खण्ड-345, अंक-5
गुरूवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(4 सितम्बर, 1980 ई0)

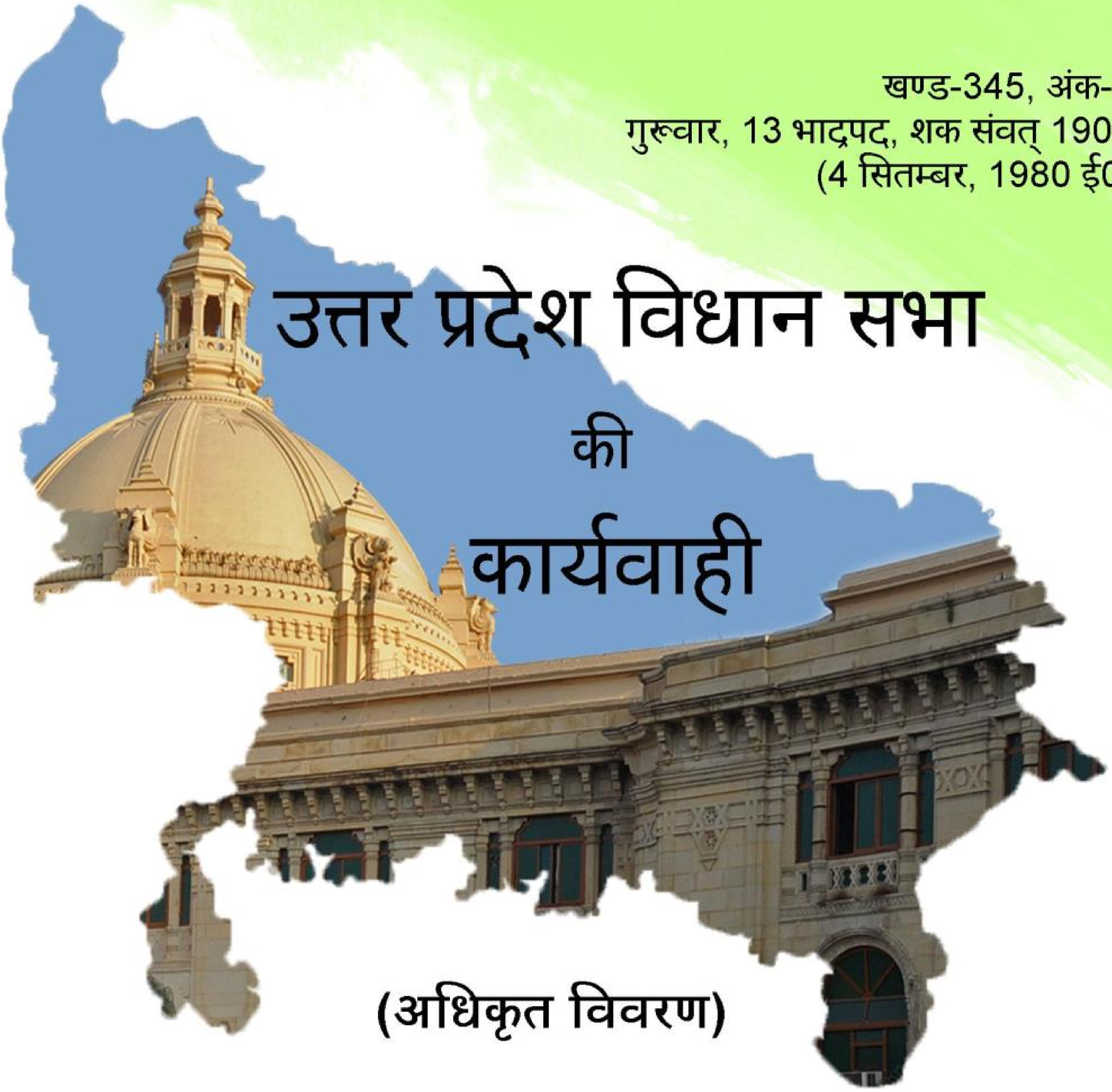

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	399–403
प्रश्नोत्तर	404–436
ग्राम रूरा, बुलन्दशहर में हरिजन बस्ती पर हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा 8 व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	436
इलाहाबाद में अतिवृष्टि के कारण कतिपय स्थानों पर जल भराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	436–437
नैनीताल जिले के कतिपय स्थानों पर संक्रामक रोगों से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	437
बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजना हेतु अंवटित गेहूं की चोर बाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	437
प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर तथा नैनीताल के तराई क्षेत्र में सूखे के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	438
श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना	438
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया) ..	438
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	438–439
1980–81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 10–आबकारी विभाग तथा अनुदान संख्या 76–क–आबकारी विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	440–476
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	476
सम्पूर्ण प्रदेश में अतिवृष्टि से हुयी क्षति की पूर्ति हेतु उचित आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	476–481
ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के सम्बन्ध में दुख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त किए जाने का प्रस्ताव (संशोधन सहित स्वीकृत)	481–510
नत्थियां	511–535

प्रदेश प्रदेश्या सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ म 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता मेंआरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—357

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद, श्री — बरेली
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद, श्री — बरेली
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री — इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री — एटा
कैलाश टन्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी-गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा

गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	ननीताल
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवरधन, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू, श्री उर्फ (दीप नारायण)	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेटली, श्री	फैजाबाद

प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
ब्रज किशोर, श्री — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री — बदायूं
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भूप सिंह केन, श्री — गाजियाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय, चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुखतार अनीस, श्री — सीतापुर
मुंशी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रमा कान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेशचन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर/राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
रामकरन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण, उपाध्याय, डाक्टर — जौनपुर
राम गोविन्द सिंह, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी

राम चरण, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फर नगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
रामलाल, वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष, श्री — गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रिजवानुर्रमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी-गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री — पीलीभीत

विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशन लाल श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव प्रताप सिंह, श्री — बांदा
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी-गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर

सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूरज भान, पंडित — अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री — मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरनरायन सिंह, श्री — रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री — उन्नाव
हरिबंश सहाय, श्री — देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकपुरा के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर में विलीनीकरण की मांग

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी/प्रशासक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकपुरा एवं गाजीपुर ने अपने पत्र दिनांक 2 मई, 1980 के द्वारा मलिकपुरा होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की अक्षमता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मलिकपुरा होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का बिलीनीकरण गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में करने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

जी हां । जिलाधिकारी एवं प्रशासक, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकपुरा एवं गाजीपुर को यह आदेश दिये गये हैं कि मलिकपुरा होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर के छात्रों एवं अध्यापकों को गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर में क्रमशः स्थानान्तरित एवं समायोजित किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विलीनीकरण की जिस प्रक्रिया पर शासन को आपत्ति नहीं है, उसके लिये शासन पर दबाव डाला जा रहा है, किसी पक्ष से ? यदि दबाव डाला जा रहा है, तो क्या यह आश्वासन देंगे कि शासन उस दबाव पर झुकेगा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस पर दबाव डाला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस पर कुछ कह देते, तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष—

काल्पनिक प्रश्न का क्या उत्तर दें ।

यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के छात्र मोहम्मद जमील सिद्दीकी की जाली मार्कशीट

*2—श्री मसरूर जाफरी तथा श्री राम आसरे पासवान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में वर्ष 1980 में बी0यू0एम0एस0प्रथम वर्ष में कुछ अभ्यर्थियों ने जाली मार्क-शीट (उर्दू) जमा कर प्रवेश पालिया है जिसके सम्बन्ध में अनेकों शिकायती रजिस्टर्ड पत्र, मार्च

1980 से मई, 1980 तक प्रधानाचार्य, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ एवं शासन को दिये गये ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कराई गयी ? जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

इस संबंध में आवश्यक जांच करायी गयी । जांच के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री मो0 जमील सिद्दीकी, पुत्र श्री मो0 सफीक सिद्दीकी ने उर्दू विषय की जाली मार्कशीट के आधार पर प्रवेश पा लिया है । जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मसरूर जाफरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं ?

श्री लोकपति—

शिकायत दो व्यक्तियों की थी एक की नाम से और एक की अज्ञात नाम से । संबंधित छात्र को हटा दिया गया है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से और किसी का नहीं आया है ।

बाराबंकी जिले की ग्राम सभा, करोरा के कोटेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्रीमती पारवती देवी तथा श्री राम सागर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही-घाट के अन्तर्गत ग्राम सभा करोरा के ग्रामीणों ने अपनी ग्राम सभा के कोटेदार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 15-4-80 को जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा दिनांक 21-4-80 को आयुक्त एवं सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

यह सत्य है कि दिनांक 15 अप्रैल, 1980 का शिकायती पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ था । दिनांक 21 अप्रैल, 1980 का शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

जिलाधिकारी द्वारा जांच कराने पर कथित शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती सन्थम्मा चौधरी की वेतन वृद्धि

*4—श्री सन्त बक्श रावत—

सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के प्रथम गुरुवार के नत्थी (ग) के ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिन स्वास्थ्य निरीक्षकाओं को दो या दो से अधिक वेतन वृद्धियां लभ्य हो गई, उनमें से किन-किन कर्मचारियों को वेतन वृद्धियां अभी (2 जुलाई, 80) तक नहीं मिल पाई है और उन्हें कब तक दे दी जायेंगी ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वैसे आज मेरे पास सूचना आ गई है कि सिर्फ एक श्रीमती सन्यम्मा चौधरी की पदोन्नति नहीं हो पायी है क्योंकि उनकी सर्विस बुक और रिकार्ड एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद के यहां से नहीं आ पाये हैं।

श्री सन्त बक्स रावत—

मैं जानना चाहूंगा कि जो पहले प्रश्न का उत्तर था उससे स्पष्ट था कि क्रमांक 4, 5, 7 और 8 की उल्लिखित स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को 2 या 2 से अधिक वेतन वृद्धियां लभ्य हो गयी हैं। इसलिए अभी कितना समय और लगेगा ? क्यों श्रीमती चौधरी का अभी नहीं हो पाया है तो क्या केवल श्रीमती सन्यम्मा चौधरी के अलावा जो 3 और लोग हैं उनको वृद्धियां दे दी गयी हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां दे दी गई हैं।

आगरा शहर में जूनियर डाक्टर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में मार पीट

*5—श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा शहर में मई, 1980 में जूनियर डाक्टरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मध्य कोई संघर्ष हुआ था ? यदि हां, तो संघर्ष का क्या कारण था ? क्या यह सही है कि इसका सम्बन्ध अस्पताल की दवाइयों की चोरी थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

जी हां। संघर्ष का कारण दवाइयों की वितरण व्यवस्था से था, ना कि अस्पताल की दवाइयों की चोरी से।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से अधिकारी जांच करने के लिये गये थे और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति—

इसकी जांच श्रीमन्, जिलाधिकारी के माध्यम से हुई है और जिन लोगों ने शरारत की है और मार-पीट की है, उन पर कानूनी कार्यवाही हो रही है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

दोनों पक्षों ने शिकायतें पेश की थीं, वे क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति—

मार-पीट हुई श्रीमन्। फार्मेसिस्टों ने सी0 एम0 ओ0 के दरवाजे तोड़ डाले, जूनियर डाक्टरों के दरवाजे तोड़ डाले, फार्मेसिस्टों और वर्कशाप की साइकिलें तोड़ीं, उन्होंने उनके स्कूटर और मोटर तोड़ दिये, उसके बाद प्रशासन ऐक्शन में आया, 21 तारीख को अस्पताल खुल गया और उसमें कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

माननीय मंत्री जी अभी घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगा कि उस घटना का क्या कारण था जिस से घटना शुरू हुई और क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस घटना से पहले कोई दवा आदि की चोरी की रिपोर्ट थाने में हुई थी ?

श्री लोकपति—

जो घटना घटी उसका कारण था दवा की मांग की थी दो शीशी। एक टेम्टो और दूसरी डेकाड्रान। जूनियर डाक्टरों ने दूसरी दवा के बारे में एतराज किया। उसके बारे में मार-पीट की।

जहां तक चोरी का सवाल है, अभी तक कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय यह झगड़ा हुआ था, उस समय उस अस्पताल में कोई चोरी हुई थी या नहीं?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979 और 1980 के लिये कितना धन इस अस्पताल के लिए दवाइयों हेतु स्वीकृत किया गया था ?

श्री लोकपति—

बजट आ रहा है। अलग से इसकी सूचना मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

बाबई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला जालौन में डाक्टर के रिक्त पद

*6—श्री शंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के बाबई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर के स्थान कब से रिक्त पड़े हैं तथा पोस्टिंग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति—

जालौन जनपद के बाबई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का एक पद दिनांक 21-12-79 से रिक्त है।

उक्त पद नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त है तैनाती हेतु प्रयास जारी है और शीघ्र ही वहां पर एक डाक्टर की तैनाती कर दी जायगी।

श्री दल गंजन सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस अस्पताल में कोई कम्पाउन्डर कार्यरत है ?

श्री लोकपति—

जी हां।

श्री शंकर सिंह—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जालौन तहसील और हेडक्वार्टर कोठोड़ पर करीब-करीब किसी अस्पताल में न डाक्टर है और न कंपाउंडर है और क्या उन स्थानों पर वह डाक्टर भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया उसमें उन्होंने कहा है कि कम्पाउन्डर है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनवापुर, जिला बस्ती के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*7—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि जिलाधिकारी, बस्ती, मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती, ने संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, गोरखपुर तथा निदेशक, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर, बस्ती तथा वहां के और बहुत से कर्मचारियों के विरुद्ध गत तीन माह में कई पत्र लिखे हैं, तथा यह भी लिखा है कि इन लोगों का स्थानान्तरण जनहित में आवश्यक है ? यदि हां, तो पत्र क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती से संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गोरखपुर तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर (बस्ती) के चिकित्साधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में पत्र प्राप्त हुये जिनमें स्थानान्तरण की संस्तुति की गयी थी पर जिला अधिकारी, बस्ती का कोई पत्र उपलब्ध नहीं है ।

संस्तुति के आधार पर अभी केवल एक चिकित्साधिकारी को वहां से स्थानान्तरित किया गया है । क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक गोरखपुर द्वारा इस संबंध में जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अन्य आवश्यक कार्यवाही कीजायेगी ।

30-8-80 को दोनों चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । आपने कहा कि एक का स्थानान्तरण कर दिया गया, अभी बताया कि दोनों का स्थानान्तरण कर दिया गया है । श्रीमन्, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जे-डी0 (परसनल), श्रीवास्तव जी जांच करने बस्ती गये थे, जिसमें माता प्रसाद जी के बयान हुए । उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है, तो उसमें क्या संस्तुति की है और उस पर क्या हुआ ?

श्री लोकपति—

अभी कोई रिपोर्ट शासन को नहीं आई ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

आपने बताया कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 2 फरवरी को इनके खिलाफ विजिलेन्स की जांच कराने के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कोई आदेश किया था ? यदि है, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति—

2 फरवरी, 1980 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने डाक्टर राय को किसी अन्य चिकित्सालय में भेज देने के आदेश दिये थे । विजलेन्स द्वारा जांच का कोई आदेश नहीं किया था ।

श्री रामशब्द मिश्र व श्री विश्वनाथ मिश्र, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध मिट्टी के तेल सम्बन्धी लिखाई गयी रिपोर्ट

*8—श्री मोतीलाल वेहलवी, श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि थाना कोतवाली, जनपद सुलतानपुर में माह अप्रैल, 1980 को श्री रामशब्द मिश्र व श्री विश्वनाथ मिश्र के विरुद्ध द्वारा 3/7 के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी, सुल्तानपुर ने 1,10,000 (एक लाख दस

हजार) लीटर मिट्टी के तेल का गोलमाल किये जाने संबंधी जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह सच है कि माह अप्रैल, 1980 में थाना कोतवाली, जनपद सुल्तानपुर में श्री रामशब्द मिश्र तथा श्री विश्वनाथ मिश्र के विरुद्ध 1,10,000 (एक लाख दस हजार) लीटर मिट्टी के तेल का गोलमाल किये जाने के संबंध में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया गया जिसके फलस्वरूप दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त श्री विश्वनाथ मिश्र गिरफ्तार हुआ और दूसरा अभियुक्त श्री रामशब्द मिश्र अभीतक फरार है जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के अधीन कार्यवाही जारी है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट दो अभियुक्तों के खिलाफ लिखायी गयी है, यह किस तारीख को और किसकी तरफ से लिखाई गयी और वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, रिपोर्ट सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से लिखायी गयी।

श्री मोतीलाल देहलवी--

रिपोर्ट क्या थी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, रिपोर्ट की कापी फाइल में नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, इस मामले में जो अभियुक्त हैं, क्या वे किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक दल से संबंधित किसी अन्य संगठन से संबंधित हैं और किसी नेता का दबाव इस मामले को रफा दफा करने के लये डाला गया था और दबाव न मानने के कारण जिलाधिकारी का ट्रान्सफर कर दिया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी का दबाव हुआ हो।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्हीं की सूचना के अनुसार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे के खिलाफ 87/88 की कार्यवाही कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1980 का मामला है, तो क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिये 87/88 की कार्यवाही हम लोगों का प्रश्न प्राप्त होने से पहले की गयी या बाद में की गयी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, प्रश्न होने के बाद की गयी।

श्री अध्यक्ष--

अब तो प्रश्न का उत्तर आ गया है। अगला ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज से 4 महीने पहले दफा 3/7 में एफ0आई आर0 लिखाई गयी थी, तो क्या आज तक चार्जशीट सबमिट की गयी कि नहीं और यह चार्जशीट क्या है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, अब केस सी0 आई0 डी0 के पास है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम चार्जशीट के बारे में पूछ रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि सी0 आई0 डी0 के पास है तो, मान्यवर, सी0 आई0 डी0 को देने की क्या जरूरत थी ? 3/7 में साफ मामला होता है, तो, मान्यवर, माननीय मंत्री जी से फिर से पूछ लें कि सी0 आई0 डी0 को देने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्रीजी, प्रश्न है कि इस मामले में जांच करने वाले अधिकारी ने चार्जशीट सबमिट की कि नहीं ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह केस सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयेगी, चार्जशीट कैसे आयेगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, उन्होंने यह पूछा है कि चार्जशीट सबमिट हुयी कि नहीं और चार्जशीट सबमिट हुयी, तब यह उसके बाद सी0 आई0 डी0 की जांच शुरू हुयी, या पहले से हो रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना--)

यह जो सवाल किया गया कि इसमें राजनीतिक दबाव डाला गया या राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया गया, तो इसको आधार मानते हुये सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है, तो चार्जशीट देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी ने सी0 आई0 डी0 को जांच देने के लिये अनुरोध किया था या उन्होंने स्वतः इसको सी0 आई0 डी0 को दे दिया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

नहीं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, "नहीं" का मतलब क्या हुआ ? सी0 आई0 डी0 को देने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न किया था कि क्या किसी ने अनुरोध किया था इस मामले को सी0आई0 डी0 में भेजने के लिये मंत्री जी ने उत्तर दिया है। आपने उत्तर दिया है कि नहीं किया गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सी0 आई0 डी0 को देने का कारण क्या है ?

(स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होने पर)

एक सदस्य—

तीसरे मंत्री भी खड़े हो गये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं कहना चाहता हूं कि यह पूर्णतया राजनीतिक है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, सबका इम्तहान बारी-बारी से करवा दें । (हंसी)

श्री लोकपति—

मान्यवर, माननीय देहलवी जी ने कहा कि कारण क्या है, सी0 आई0 डी0, को देने का । तो सी0आई0डी0से जांच कराना या न कराना यह प्रशासन का अंग है । इसमें कोई कारण की बात नहीं होती ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभियुक्त हैं क्या उनके पास तेल और डीजल का लाइसेंस है, तो क्या उनका लाइसेंस रद्द किया गया है या नहीं ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

रद्द कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी को राजनीतिक दबाव के बारे में कोई शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो वह क्या थी जिसके आधार पर यह केस सी0 आई0 डी0 को दिया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

ऐसी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो सी0 आई0 डी0 को जांच दी गयी है, वह किस स्टेज पर है ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

ऐसी सूचना बताने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री फखरे आलम—

यह बहुत गंभीर केस है । सवाल यह है कि 1लाख 10 हजार लीटर तेल का गोलमाल किया गया है । जो गोलमाल किया गया, वह कहां भेजा या ? मान्यवर, जब स्पष्ट शिकायत थी, तो सी0 आई0 डी0 को भेजने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं । आप बैठें ।

श्री हुकम सिंह—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सी0 आई0 डी0 से पूर्व किस एजेंसी द्वारा इसकी जांच करायी गयी ? उसने क्या रिपोर्ट दी । यदि उसने रिपोर्ट दी, तो वह क्या है ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, हमारे विभाग ने सीधे इस केस को पुलिस को दिया था और पुलिस ने दफा 82-83 में कार्यवाही किया । एक अभियुक्त ने अपनी जमानत करवा लिया और दूसरा अभियुक्त फरार है । कोर्ट में यह केस विचाराधीन है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक अभियुक्त के विरुद्ध दफा 82-83 की कार्यवाही चल रही है और दूसरे अभियुक्त ने अपनी जमानत करवा लिया, तो इसकी जमानत रद्द करवाने के लिये सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, रद्द कराने की कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि 1,10,000 लीटर तेल का घोटाला है और विभाग ने इसकी इंक्वायरी के लिये सी0 आई0 डी0 को दे दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन पार्टियों द्वारा क्या शासन के ऊपर किसी तरह की एप्रोच दौड़ भाग की जा रही है, या नहीं ? यदि की जा रही है, तो उसमें शासन का क्या विचार है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार उन दोनों महानुभावों के पक्ष में, जिन्होंने 1,10,000 लीटर तेल कहीं में बेच दिया है, जांच न कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है। आप लोग बैठें।

*9--श्री रूपराम दिनकर--

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तकमीलुत्तिब तिब्बिया कालेज, लखनऊ को दिया गया अनुदान

*10--श्री अकबाल हुसैन-- (अनुपस्थित)--]

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमीलुत्तिब तिब्बिया कालेज, लखनऊ एक अल्प संख्यक संस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे कब तक अल्प संख्यक की संज्ञा देगी और उसकी गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

उक्त संस्था को अल्प संख्यक संज्ञा दिये जाने का सवाल नहीं उठता है। सस्था की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से उसके प्रबन्धतंत्र को वर्ष 1979 में निलम्बित कर दिया गया और जिलाधिकारी, लखनऊ प्राधिकृत निरीक्षक नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 1979-80 में इस संस्था को कुल रु0 3,06,822.14 का अनुरक्षित अनुदान भी दिया गया।

नगरमहापालिका, वाराणसी के कर्मचारियों का नियमितीकरण

*11--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी में 69 कर्मचारी जिसमें 8 लिपिक, 10 नाब मोहर्रिर, 43 चपरासी तथा 8 बेलदार सन् 76-77 से दैनिक वेतन पर कार्य करते चले आ रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शासनादेश सं0 4507 ए0/न0 वा0-4-5के-1977, लखनऊ, दिनांक 6 जुलाई, 1978 तथा

शासनादेश सं0 2665/11–न0 पा0–4–5के-77, लखनऊ 28 अप्रैल, 1979 के अन्तर्गत 69 कर्मचारियों को अब तक रेगूलर क्यों नहीं किया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)––
जी हां।

प्रश्नगत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक औपचारिकातायें पूर्ण कराई जा रही हैं।

श्री ऊदल––
क्या मंत्री जी जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है और कई बार जी0 ओ0 भी हुये हैं कि 4 वर्ष से ज्यादा काम करते हुये जिन कर्मचारियों को हो जाय उनको रेगूलर कर दिया जाय तो अभी तक उन कर्मचारियों को रिगूलर न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना––
औपचारिकतायें पूरी की जा रही है और अक्टूबर तक पूरी हो जायेंगी।

श्री भीखालाल––
मान्यवर, यह प्रश्न वाराणसी के सम्बन्ध में है लेकिन इसी प्रकार की समस्या प्रदेश में हर नगरपालिका में है, तो क्या सामान्य तरीके से इस पर शासन विचार कर रही है कि दैनिक वेतन पर जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलर कर दिया जायेगा ?

राम सिंह खन्ना––
इसको देखेंगे।

तहसीलदारों को सीमेंन्ट वितरण का दिया गया अधिकार

*12––श्रीमती प्रेमवती (बदायूं) (अनुपस्थित)
क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट वितरण का अधिकार विकास क्षेत्र अधिकारियों से लेकर तहसीलदारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या स्वस्थ विकास की दृष्टि से यह अधिकार पुनः विकास क्षेत्र अधिकारियों को दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी––
क्षेत्र विकास अधिकारियों से सीमट वितरण का अधिकार लेकर तहसीलदारों को इस उद्देश्य से दिया गया है ताकि क्षेत्र विकास अधिकारी प्रसार कार्यों में पूरा समय दे सकें और विकास कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी संघ की ओर से भी यह मांग आयी थी कि सीमेंट के वितरण का कार्य उनसे वापस ले लिया जाय। सम्प्रति सीमेंट वितरण का कार्य पुनः क्षेत्र विकास अधिकारी को देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका, फतेहपुर सीकरी में नलकूपों का छिद्रण

*13––श्री बदन सिंह––
क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी को जानकारी है कि आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी नगर-पालिका क्षेत्र में नगर की जनता कोपानी दने के सन् 1978 व 1979 में किये गयें बोरिंग अभी तक बन्द पड़े हैं यदि हां, तो वे किन कारणों से चालू नहीं हुए ?

श्री राम सिंह खन्ना ––
आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी नगरपालिका क्षेत्र में नगर की जनता को पानी देने के लिये वर्ष 1978 में नलकूपों के 3 बोरिंग किये गये थे। तीनों ही नलकूपों पर जलकलों की स्थापना की जा चुकी है। विद्युत संयोजन के लिये कार्यवाही हो रही है। आशा है कि तीनों नलकूप अक्टूबर, 1980 क अन्त तक चालू हो जायेंगे।

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी के उत्तर के सदर्भ में सन् 1978 में तीन नलकूपों की जो बोरिंग की गई थी उनको अभी तक चालू न कराने का क्या कारण था ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिये कार्यवाही की जा रही है। जिस दिन बोरिंग हुई, उसके बाद विद्युत् कनेक्शन लेने के लिये औपचारिकता की गई। यह उनको सेंक्शन हो गया। उसके बाद इस्टीमेट बन गया और इसके बाद जल निगम के पास विचाराधीन है, क्लियर होने के बाद अक्टूबर तक पूरा हो जायगा।

(प्रश्न संख्या –14 पुकारे जाने पर)

श्री बदन सिंह —

मान्यवर, मैंने एक ही प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न हो तो गया। आप के प्रश्न का उत्तर आ गया। तुरन्त बिजली लग जायेगी।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिए। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सीकरी नगर में इस वक्त कितने गैलन पानी की आवश्यकता है ?

श्री राम सिंह खन्ना —

इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। इसके अन्तर्गत यह सवाल नहीं आता।

गोरखपुर जिले के कस्बा महराजगंज व बांसगांव को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

*14— श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज (मऊपाकड़ चिउरहा एवं महराजगंज कस्बा आदि) एवं तहसील बांस गांव के ग्राम बांसगांव खास जिसमें 5 ग्राम सभायें हैं तथा इन दोनों मुख्यालयों के गांवों की जनसंख्या 10 हजार से ऊपर है, को टाउन एरिया बनाने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ग्राम सभा महाराजगंज आदि तथा बांसगांव को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं किन्तु भारत सरकार के आदेशों के अनुसार जनगणना 1981 का कार्य पूरा होने तक किसी शहरी स्थानीय निकाय का नया सृजन नहीं किया जा सकता। जनगणना का कार्य मार्च, 1981 तक चलने की सम्भावना है। इस कार्य के समाप्त होने के बाद प्रश्नगत दोनों टाउन एरियाओं के सृजन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

होम्योपैथिक छात्रों की मांगों पर विचारार्थ गठित समिति की रिपोर्ट

*15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में शासन द्वारा होम्योपैथिक छात्रों की विभिन्न मांगों पर विचार करने हेतु गठित 7 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि उसके आधार पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति--

जी हां। समिति की यह संस्तुति कि प्रदेश के समस्त 15 गैर-सरकारी होम्योपैथिक कालेजों की प्रबन्धकारिणी समिति को विघटित करके इन कालेजों का सम्पूर्ण प्रशासन संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के नियंत्रण में कर दिया जाय, मान लिया गया है। इन कालेजों का प्रबन्धग्रहण दिनांक 4 मई, 1979 से कर लिया गया है एवं संबंधित जिलाधिकारियों को उनका प्रशासक नियुक्त किया गया है। होम्योपैथिक संबंधी विधेयक सदन के इसी सत्र में पटल पर रखा जायेगा अतएव रिपोर्ट को सदन के पटलकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि सात सदस्यीय कमेटी की सिफारिशें क्या हैं और आप देख लें मंत्री जी ने किस संभावना के आधार पर आपकी आज्ञा का अनुपालन करने में असमर्थता प्रकट कर दी है कि हम उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार नहीं हैं। इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहते हुए प्रश्न करना चाहता हूं। आप देख लें....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने बताया उस पर विधेयक आ रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हमें क्या पता। फिर से जानकारी चाहता हूं। सात सदस्यीय कमेटी की सिफारिशें क्या हैं। एक सिफारिश मान ली गयी जैसा मंत्री जी ने बताया, शेष सिफारिशें कौन-कौन हैं और उन पर शासन का दृष्टिकोण क्या है?

श्री लोकपति--

सिफारिशें निरपेक्ष हैं। जिस संदर्भ में, जिस समय, सिफारिशें आई थीं उस समय शासन की कोई नीति नहीं थी कि उन होम्योपैथिक विद्यालयों को सरकारी तन्त्र में ले लिया जायगा। उनके प्रान्तीयकरण की बात थी। अब उनका सरकारी अधिग्रहण हो रहा है जो समिति की सिफारिशें हैं अगर आप कहेंगे तो आपके माध्यम से मैं रख दूंगा मगर अब उन की कोई कीमत नहीं रह गई, वर्तमान संदर्भ में।

रामसागर मिश्र नगर की सम्पत्ति का टेक्निकल आडिट :

*16--श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की राम सागर मिश्र (इन्दिरा नगर), कालोनी के कार्य खंड दो (2) द्वारा निर्मित सम्पत्तियों के रिकार्ड गत वर्ष सील करके टेक्निकल आडिट कराया गया? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है? तथा इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के कार्य खंड दो द्वारा रामसागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) में निर्मित सम्पत्तियों के अभिलेख गत वर्ष सील तो नहीं कराये गये थे परन्तु उक्त कालोनी के सेक्टर 3 के निवासियों की शिकायत पर भवनों का तकनीकी परीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्प्रेक्षण कोष्ठ द्वारा अवश्य कराया गया था। सम्प्रेक्षण कोष्ठ की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उक्त रिपोर्ट का अध्ययन एवं विवेचन शासन तथा आवास परिषद् के स्तर पर किया जा रहा है। अन्तिम स्थिति ज्ञात होने पर ही निर्माणों को ठीक कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी? यह रिकार्ड क्यों नहीं सील कराया गया?

श्री राम सिंह खन्ना--
उस समय रिकार्ड सील कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--
क्या वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--
विचार करने के बाद अवश्य रखी जायगी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक कमरे के मकानों से लगी अतिरिक्त भूमि

*17--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--
क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक कमरे के कार्नर (किनारे) के भवनों से लगी हुई अतिरिक्त भूमि उक्त कार्नर के मकानों के साथ ही देने का प्राविधान है ? तथा ऐसे कार्नर के कुछ भवनों की अतिरिक्त भूमि ऐसे भवनों के साथ दी गई है ? यदि हां, तो अलीगंज में निर्मित भवन संख्या ई-तीन-849, ई-तीन 473, ई-तीन 474, ई-तीन 429 आदि से लगी हुई अतिरिक्त भूमि उक्त भवनों के साथ क्यों नहीं दी जा रही है ? क्या सरकार उक्त भूमि संबंधित आर्थिक दृष्टि से कमजोर उक्त भवन के साथ देकर संबंधित व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--
जी हां । जिन्होंने भूमि का मूल्य जमा कर दिया है उन्हें दी गई है ।

इन भवनों के आवंटियों द्वारा अतिरिक्त भूमि का मूल्य अभी तक प्राधिकरण के कोष में जमा न करने के कारण भूमि नहीं दी गयी है । उक्त भवनों में कार्नर की भूमि की धनराशि जमा हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को कार्नर की भूमि दे दी जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुबेर भण्डारी--
यदि वह रुपया जमा करना चाहते हैं और अधिकारी लेने में आनकानी करते हैं तो शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--
ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य की है तो आप मुझे दीजिये, मैं कार्यवाही करूंगा ।

रथखाना, लखनऊ में जल आपूर्ति-व्यवस्था की मांग

*18--श्री प्रियदर्शी जेतली--
क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की एक घनी बस्ती रथखाना में वर्ष 1978 से निवासियों द्वारा बराबर प्रयत्न करने के बाद भी आज तक पीने के पानी की मेन लाइन नहीं लग सकी है ? क्या यह भी सही है कि इसको लगाने हेतु एक विधायक द्वारा माह जून, 80 में एक पत्र माननीय स्वायत्त शासन मंत्री एवं अध्यक्ष, जल निगम को दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--
जी हां ।

लखनऊ के रथखाना क्षेत्र में पेयजल की पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बच्चा पाठक का 19 जून, 1980 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ। उस पर जल संस्थान, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। जल संस्थान ने सूचित किया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें रथखाना क्षेत्र भी है, में जल वितरण नलिका डालने हेतु जल निगम द्वारा दो योजनायें बनाई गई हैं। जल निगम द्वारा उन योजनाओं के अन्तर्गत जल वितरण नलिकाओं के डालने हेतु व्यवस्था की जा रही है। तदनुसार स्थिति से अवगत कराते हुए माननीय सदस्य को दिनांक 29 अगस्त, 1980 को शासन द्वारा पत्र भेजा गया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

यह योजना कब बनी थी और इसकी लागत क्या है और कब तक यह योजना पूरी हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके लिये दो लागत तैयार की गयी हैं 24.15 लाख और 24.81 लाख की और इसी के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता का स्थान भी आता है। उसकी अवधि देखकर बता सकता हूं।

डुमरियागंज, बस्ती में चीनी की दुकानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अनशन एवं ज्ञापन

*19--श्री शिवपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज, जनपद बस्ती के विधायक श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ एवं विधायकश्री माता प्रसाद पांडेय ने डुमरियागंज तहसील की जन समस्याओं एवं चीनी की दुकानों व्याप्तभ्रष्टाचार को लेकर अपने 300 कार्यकर्त्ताओं के साथ पिछले महीने तहसील मुख्यालय पर अनशन प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगों में से कितने को पूरा कर दिया गया है और कितनी अवशेष है ? तथा कब तक बाकी मांगों को पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

जी हां। माननीय विधायकगण द्वारा दिये गये ज्ञापन में इंगित सुझावों के अनुरूप आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर ली गई है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इस प्रश्न में दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अब बाद में लिया जायेगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इन लोगों ने जो अनशन किया था उसके लिए क्या-क्या सुझाव दिये थे ? मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया ज्ञापन में इंगित सुझावों के अनुसार आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर ली गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह अनशन कितनी देर चला और किन-किन बातों पर समझौता हुआ और किन आश्वासनों पर मामला रफादफा किया गया और कौन सी मांगें थी और कौन पूरी की गयी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, यह ज्ञापन तो लम्बा चौड़ा है 13, 14 मांगें थी। जो मांगें सही पायी गयीं उनको लागू कर दिया और कुछ मांगें थी जो गलत पायी गयीं। इसलिये उत्तर में कहा गया है कि आवश्यकतानुसार कार्यवाही की गई है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या इस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया था कि जो सीमेंट के परमिट काटे जांय वह क्रमवार काटे जांय लेकिन इसके बावजूद भी हजारों बोरी सीमेंट एक ही परिवार को एस० डी० एम० और तहसीलदार ने जारी कर दिये जिसकी सूचना भी दी गयी तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

सीमेंट के लिए निरीक्षण कराया जा रहा है यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो दंडित किया जायेगा ।

डालीगंज, लखनऊ में नागरिक सुविधाओं की मांग

*20--श्री सूबेदार सिंह तथा श्री केदार नाथ सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डालीगंज लखनऊ स्थित इन्दिरा-पुरी मुहल्ले के नागरिकों को सुविधा के लिये (पानी, बिजली, सड़क और पानी निकास के लिये नालियां आदि) नगर महापालिका लखनऊ की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । सर्वेक्षण कार्य हो रहा है । कियान्वयन में अभी समय लगेगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और क्या इसके लिये कोई इस्टीमेंट बनाया गया ? साथ ही क्या इसके लिये आप कोई अवधि निश्चित करेंगे और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें निश्चित अवधि के बारे में तो नहीं कह सकता । अब सर्वेक्षण जारी हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सूबेदार सिंह--

कोई इस्टीमेंट बना था ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके लिये आदेश दिये गये हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

इस बात को देखते हुये कि इस क्षेत्र में इस वक्त पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और लोगों को चलने फिरने में बड़ी तकलीफ हो रही है कोई इस तरह की तुरन्त व्यवस्था करने की आप कृपा करेंगे ताकि लोगों को यह तकलीफ न हो और लोगों के निकलने में आसानी हो सके ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके लिये प्रयास जारी है ।

श्री सूबेदार सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों की यह समस्या हल हो सके ? साथ ही यदि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई शक हो तो व वहां जाकर रिहर्सल देंगे और लोगों को बतायेंगे कि किस तरह से मोहल्ले से निकाला जा सके ?

श्री राम सिंह खन्ना--
यह काम मंत्री जी से न कराओ, कुछ काम आप भी करो।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई की संडीला नगर पालिका के सम्मुख आमरण अनशन एवं मांगें

** 1--श्री राम आसरे वर्मा--
क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला के मुख्य द्वार पर जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह से तहसील सण्डीला के कांग्रेस (आई) के मंत्री एवं एक अन्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार को उनकी मांगें पूरी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--
जनपद हरदोई की नगर पालिका सन्डीला, के मुख्य द्वार पर श्री हर प्रसाद पाण्डेय, मंत्री कांग्रेस (आई) कमेटी, सन्डीला तथा सर्वश्री सिद्धनाथ द्विवेदी व बद्री प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिनांक 30-7-80 व अन्य एक व्यक्ति ने दिनांक 31-7-1980 को बिना पूर्व सूचना के अनशन प्रारम्भ किया था। किन्तु परगनाधिकारी, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका सन्डीला से हुई बार्ता से संतुष्ट होकर श्री बद्री प्रसाद ने दिनांक 31-7-80 तथा शेष व्यक्तियों ने दिनांक 6-8-1980 को अनशन समाप्त कर दिया।

अनशनकारियों की मांगों तथा उन पर पालिका द्वारा की गई तथा की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्नक में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 511 पर)

श्री राम आसरे वर्मा--
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनशनकारियों से वार्ता किस अधिकारी ने की थी और किस तारीख को की थी और क्या अनशनकारी उससे संतुष्ट हो गये थे ?

श्री राम सिंह खन्ना--
मैंने अपने उत्तर में बताया है कि परगनाधिकारी, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका संडीला से बातचीत हुई और उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। अगर संतुष्ट न होते तो अनशन जारी रखते।

श्री राम आसरे वर्मा--
क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने बताया बातचीत से संतुष्ट हो गये। तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि संडीला इन्क्रोचमेंट के नाम पर ही द्वेश भावना से दो दुकानें हटायी गयीं और शेष दुकानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--
ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इसको निकलवायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--
जो अनशनकारी लोग थे उनके साथ नगरपालिका के अधिकारियों की जो बात हुई उसमें जिन-जिन बातों पर तसफिया हुआ था उसक लिए कोई टाइम बांड हुआ था कि इतने समय में यह सारी चीजें पूरी हो जायेंगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें समयबद्ध की बात का कोई तस्फिया नहीं हुआ था, 16 मांगों पर विचार किया गया और उनमें से कुछ मान ली गईं और कुछ स्थगित हो गईं।

श्री राम आसरे वर्मा--

उन मांगों में क्या एक यह भी मांग थी कि कस्बे में सफाई नहीं रहती है, वहां खुले रूप में सुअर घूमा करते हैं और वहां का जितना भी कूड़ा कचड़ा है डाला जाता है, उसको हटाने की तरफ भी क्या कोई अब तक कदम उठाये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो ऐसी शिकायत थीं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

सफाई वगैरह के लिए भी क्या अब आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ेगी ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सूबेदार सिंह--

यह शिकायत कि वहां पर सुअर ज्यादा घूमा करते हैं, निश्चित रूप से वहां मेहतर ज्यादा होंगे, तो इस बात को देखते हुए क्या वहां से मेहतरों का निष्कासन करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष अनुपस्थित--

आपके प्रश्न से ऐसा लगता है कि आपके पास अब प्रश्न नहीं हैं।

त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी दिये जाने की मांग

**2--श्री बाबू राम (अनुपस्थित)--

मुस्लिम राशन कार्ड होल्डर्स को ईद के अवसर पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से प्रति माह दिए जाने वाले कोटे के अतिरिक्त चीनी दिए जाने सम्बन्धी वर्तमान शासकीय व्यवस्था के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगामी महीनों में आने वाले हिन्दू पर्वों के अवसर पर क्या अतिरिक्त चीनी दिए जाने की व्यवस्था चालू रहेगी और हिन्दू राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ही प्रभावी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

यथा समय चीनी की उपलब्धता तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए यदि सम्भव हुआ तो हिन्दुओं के प्रमुख त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी वितरित किये जाने का प्रयास किया जायगा।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न समाप्त।

श्री जटा शंकर सिंह--

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण और लोकमहत्व का प्रश्न है, इस पर हमें पूरक कर लेने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष--

यह पहले कहना चाहिये था, अब तो मैंने समाप्त कर दिया है।

नोट:--(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री जटाशंकर सिंह ने पूछा।)

श्री जटाशंकर सिंह—
मैं तो पहले से ही खड़ा हो चुका हूं।]

(अनुमति मिलने पर)

श्री दलगंजन सिंह—
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा बन्धन के अवसर पर शक्कर उत्तर प्रदेश में बांटी गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जटा शंकर सिंह—
क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानते हुए कि बहराइच जनपद में जन्माष्टमी के अवसर पर शक्कर का एक दाना भी जनता को राशन की दुकानों से नहीं दिया गया, इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ? और यदि सरकार की नीति उन्हें इस अवसर पर शक्कर देने की थी, तो न दिये जाने के बारे में जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—
जरूर करवायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—
यह देखते हुए कि 13 अगस्त को ईद का त्योहार था और अगस्त की चीनी का कोटा बंटा वह ईद में डायवर्ट कर दिया गया। मुसलमानों की प्राथमिकता के आधार पर एडिशनल चीनी देने के लिए, उसके बाद उसी माह में 26 तारीख को रक्षाबन्धन का त्योहार और दो सितम्बर को जन्माष्टमी थी, उस ईद वाले कोटे के बाद से कोई भी शक्कर अब तक नहीं बांटी गई है, तो क्या इसका कारण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन दो त्योहारों को दृष्टि में रखते हुए अगला कोटा ईश्यू न करने के क्या कारण हैं और क्यों नहीं ईश्यू की गई थी ?

श्री अजीत सिंह सेठी—
नहीं बंटी।

श्री अध्यक्ष—
क्या मंत्री जी रियासत हुसैन जी के प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—
चीनी केन्द्र से सप्लाई होती है और जब वहां से नहीं मिली तो बांटी नहीं गयी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर चीनी का कितना उत्पादन हुआ और उसको आप किस प्रकार से बांट रहे हैं ? क्या आपके विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री लोकपति—
चीनी का उत्पादन 12 लाख टन से घटकर 3 1/2 लाख टन हो गया ....

श्री अध्यक्ष—
आप कृपया बैठें, मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार से ईद के अवसर पर चीनी का आवंटन किया गया उस प्रकार से आगे के आने वाले किन-किन त्योहारों पर सरकार द्वारा चीनी का आवंटन कराया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका काल्पनिक प्रश्न है।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ईद के अवसर पर जो मुस्लिम कार्ड होल्डर्स को चीनी दी गयी, वह देहात में रहने वालों की 20 प्रतिशत काट कर दी गयी है?

श्री अजीत सिंह सेठी—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रक्षा बंधन के अवसर पर चीनी दी ही नहीं गयी क्या यह सही है कि ईद के मौके पर पहले शासन से आदेश निर्गत किये गये थे कि चीनी दी जाय लेकिन दूसरे ही दिन दूसरा आदेश पहुंचा कि चीनी नही दी जायेगी? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री अजीत सिंह सेठी—

ऐसी कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं कि पहले राज्य सरकार ने ईद पर चीनी देने के आदेश भेजे और दूसरे ही दिन दूसरा आदेश दिया गया कि नही दी जायेगी। मैं इसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा?

श्री भीखा लाल—

इस समय राज्य सरकार की चीनी के वितरण के सम्बन्ध में नीति बहुत ही अनिश्चित है। इस कारण न तो चीनी सरकारी दुकानों पर मिल रही है और न खुले बाजार में ही। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आने वाले त्योहारों में विशेष रूप से और दुकानों पर सामान्य रूप से चीनी मिलती रहेगी?

श्री अजीत सिंह सेठी—

बिल्कुल प्रबन्ध किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर के स्थानान्तरण आदेश का रद्द किया जाना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के जिला पूर्ति अधिकारी का अभी हाल में ही स्थानान्तरण गैर जिला में कर दिये जाने के बाद पुनः स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिया गया है? यदि हां, तो रद्द करने का कारण क्या है?

श्री अजीत सिंह सेठी—

जी हां, जिलापूर्ति अधिकारी, सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश निर्गत किया गया था किन्तु बाद में जनहित में इस आदेश को निरस्त कर दिया गया।

डुमरियागंज (बस्ती) में चीनी की दुकानों की जांच एवं कार्यवाही

2—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील जिला बस्ती में कुल कितनी चीनी की दुकानों की जांच पिछले 5 महीने में कराई गई और कितने दुकानदार दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री अजीत सिंह सेठी—

पिछले 5 महीनों में तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के 73 चीनी की दूकानों की जांच कराई गई और उनमें से 23 दूकानदार दोषी पाये गये जिनमें से 19 दुकानें निलम्बित की गई और 4 दूकाने निरस्त की गई हैं।

वाराणसी के कतिपय ब्लाकों में एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना

3—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान बरहीं नेवादा, ब्लाक बड़ागांव व स्थान मंगारी, ब्लाक पिंडरा हेडक्वार्टर जिला वाराणसी में एक-एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो दोनों स्थानों पर कब तक अस्पताल खोल दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला जालौन के कदौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण

4—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जालौन जनपद के कदौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी थी ? अभी तक इस भवन का निर्माण कार्य शुरू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कदौरा, जिला जालौन के भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दिसम्बर, 1979 में प्रदान की गयी थी किन्तु पूर्व स्वीकृत अनुमानित लागत पर निर्माण कराना सम्भव नहीं था, अतः आगणन को पुनरीक्षित करना पड़ा। पुनरीक्षित आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

डुमरियागंज, जिला बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव

5—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की डुमरियागंज प्रा० स्वास्थ्य केन्द को उच्चीकृत कर 50 बेड का करने का प्रस्ताव कुछ समय पूर्व स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसका काम कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। अतःशेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्हें पुत्र जानकी, निवासी जिला बरेली की नसबन्दी

6—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 15 जो 1979 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार को उत्तरित था में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया था कि जिला बरेली में तहसील नबाबगंज के ग्राम दुवावट के श्री नन्हे पुत्र जानकी की नसबन्दी अविवाहित होने पर भी कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी डाक्टर तथा कर्मचारियों को क्या सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री नन्हें को क्या मुआवजा दिया गया और क्या उनकी नस पुनः जुड़वा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां,

मामले में जांच की गयी। श्री नन्हें ने, अपनी नसबंदी स्वयं कराई थी, इस कारण किसी भी डाक्टर अथवा कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी को भी सजा देने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है। श्री नन्हें को उनकी नस पुनः जुड़वाने हेतु उन्हें काफी समझाया गया परन्तु इसके लिए वह तयार नहीं हुए।

सिटी बोर्ड, गाजियाबाद में कर निरीक्षकों की नियुक्तियां/पदोन्नतियां

7—श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बोर्ड गाजियाबाद में कर निरीक्षकों के पदों पर अवैध नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन तथा शासनादेश दिनांक 2–1–80 में क्यों नहीं निरस्त की गयी? क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय में इस विषय पर पालिका अधिकारी मानहानि का मुकदमा पालिका व्यय पर लड़ रहे हैं? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम सिंह खन्ना—

सिटी बोर्ड गाजियाबाद में कर निरीक्षकों के पदों पर की गयी तथाकथित अनियमित नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट ने कुछ बिन्दुओं पर शासन से विधिक परामर्श मांगा था। वही परामर्श शासनादेश दिनांक 2–2–1980 न कि दिनांक 2–1–1980 द्वारा भेजा गया। इन पदों पर नियुक्तियों व प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में समस्त अधिकार पालिकाओं के प्रशासक में निहित हैं जो स्वयं नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करने हेतु सक्षम हैं।

जी हां।

शासन द्वारा किसी कावाही कियेयं जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर जिला बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

8—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सरकारी स्टोर का पांच गट्ठे दिनांक 14–2–80 को निकलवा लिया गय था उसके खुझे से निजी सोफासेट बनवाया गया जिसकी पुष्टि मुख्यचिकित्साधिकारी बलिया ने दिनांक 22–2–80 को किया है? यदि हां, तो उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई है?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय चिकित्सालय, मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़ के उन्नीकरण की दिशा में हुई प्रगति

9—श्री खलील बशर तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के उन्नीकरण हेतु फरवरी, 78 में शासन द्वारा आदेश पारित किये गय? यदि हां, तो उस दिशा में हुई प्रगति क्या है तथा उन्नीकरण की सारी औपचारिकताएं कब तक पूरी कर दी जायगी?

श्री लोकपति—

फरवरी, 1978 में नहीं वरन् मार्च, 1978 में जिला आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन राजकीय चिकित्सालय को 50 शैय्यायुक्त करने के उद्देश्य से शासन द्वारा 35,000 रुपये स्वीकृत किये गये थे तथा उसके लिये सभी सामान क्रय भी कर लिये गये हैं, किन्तु भवनों के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

भवन निर्माण हेतु आगणन बनवाये जा रहे हैं जिनके तैयार हो जाने पर भवन निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

डुमरियागंज, जिला बस्ती, के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात मलेरिया इन्सपेक्टरों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

10—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज पी0 एच0 सी0, जनपद बस्ती के अन्तर्गत कार्यरत मलेरिया विभाग के सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर तथा सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर अपने पद पर कितने वर्षों से एक ही स्थान डुमरियागंज में कार्य कर रहे हैं ? यदि उनका कार्यकाल नियमों के विरुद्ध है तो क्या उन्हें तत्काल हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

बस्ती जनपद में निम्नलिखित सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर तथा सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज पर कार्यरत है :—

1—श्री ई0 ए0 सिद्दीकी, सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर 9–9–75

2—श्री जे0 पी0 मिश्रा, सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर 11–9–75

3—श्री आर0 के0 यादव, सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर 20–7–79

4—श्री एस0 एम0 खिजिर, सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर 19–8–71

उक्त दोनों संवर्ग जनपदीय स्तर के हैं । इस लिये इन संवर्गों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण साधारणतया प्रशासनिक आधार पर अथवा उनके निजी अनुरोध पर ही किया जाता है ।

मुफ्तीगंज, जिला लखनऊ में भूमि अतिक्रमण की शिकायतें

11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग को कितने शिकायती-पत्र, दिनांक 20–11–79 से जनवरी, 1980 तक मोहल्ला मुफ्तीगंज (दौलतगंज वार्ड), लखनऊ में अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 एम0 के0 अन्सारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य) जिला हरदोई के विरुद्ध कथित रिपोर्ट

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई के वर्तमान उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य), डा0 एम0 के0 अन्सारी के विरुद्ध थाना सान्डी, जिला हरदोई में तत्कालीन

चेयरमैन ने एक रिपोर्ट वर्ष 1975 में दर्ज कराई थी ? उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि इनको मुख्य चिकित्साधिकारी बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप डा0अन्सारी को प्रोन्नत करके मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर के पद पर तैनात किया गया है ।

डा0 एम0 के0 अन्सारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य), जिला हरदोई के स्थानान्तरण की मांग

13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि डा0 एम0के0अंसारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य), जिला हरदोई उसी जनपद में लगातार वर्ष 1974 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां । डा0 एम0 के0 अन्सारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर हरदोई जनपद में माह जून, 1974 से कायरत थे । इनका स्थानान्तरण प्रोन्नति पर मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के पद पर शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 1980 द्वारा कर दिया गया है ।

नगरपालिका खैराबाद, जिला सीतापुर की आर्थिक स्थिति

14—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका खैराबाद (सीतापुर) जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है, को विशेष राजकोष सहायता दे कर उनके आर्थिक हालत में सुधार की कोशिश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु राजकीय सहायता नहीं दी जाती । नगरपालिकायें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु स्वयं व्यवस्था कर सकती है । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद में श्रीमती आरती देवी झुनझुनवाला राजकीय महिला चिकित्सालय, बीकापुर का निर्माण

15—श्री सीताराम निषाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीकापुर, जनपद फैजाबाद में "श्रीमती आरती देवी झुनझुनवाला राजकीय महिला चिकित्सालय, बीकापुर" के निर्माण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदान की है ? यदि हां, तो इस चिकित्सालय का निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री लोकपति—

जी हां। प्रश्नगत चिकित्सालय का निर्माण श्री एस0के0 झुनझुन वाला के दान से उन्हीं के द्वारा कराया जाना है। दानकर्ता के बाहर चले जाने के कारण भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

डा0 ए0 एन0 सिंह, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई के विरुद्ध शिकायतों की जांच

16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के जिला चिकित्सालय के अधीक्षक (श्री ए0 एन0 सिंह) जब से हरदोई में तैनात हैं तब से अब तक उनके विरुद्ध कितनी भ्रष्टाचार व स्टोर में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

डा0 ए0 एन0 सिंह, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई के विरुद्ध अक्टूबर 1977 में एक ही विषय पर दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच के फलस्वरूप शिकायत निराधार पाई गई। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की मांग

17—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के कालपी विधान सभा के क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में इस वर्ष सूखे के कारण कुओं में पानी सूख गया था तथा पेयजल की कमी हो गयी थी ? इनमें कौन से ग्राम ऐसे हैं जिनमें पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन पहुंचाई गई थीं ? इन पाईप लाइनों को बिछाने में ग्रामवार कितना खर्च आया और उन पाइप लाइनों में से कितने दिन पानी पहुंचा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के 55 ग्रामों में (संलग्न परिशिष्ट संख्या—I) इस वर्ष सूखे के कारण कुओं का पानी सूख गया था तथा पेयजल की कमी हो गयी थी। इन ग्रामों में से 13 ग्रामों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछा कर जल सम्पूर्ति की गयी थी। (विवरण परिशिष्ट में है) 3 ग्रामों में बबीना ग्राम समूह जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत स्थायी व्यवस्था के रुप में पाइप लाइन बिछाकर जल सम्पूर्ति की गयी जो गांव मझवार, बिस्वापुर और अलापुर हैं। इन पर स्थायी नलिकायें इत्यादि बिछाने पर क्रमशः रु0 71,520.00, रु0 1,27,200.00 तथा रु0 92,640 रु0 का व्यय किया गया।

उक्त सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 ग्रामों के लिए पाइप लाइन बिछाने पर होने वाला व्यय तथा जितने दिन पानी पहुंचाया गया उसका विवरण भी परिशिष्ट में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 514 पर)

बारामंडल क्षेत्र अल्मोड़ा में चिकित्सा सुविधाओं की मांग

18—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बारा मंडल क्षेत्र अल्मोड़ा में ग्रामीण अंचल में चिकित्सालय हैं ? कितने में चिकित्सक हैं, कितने में नहीं है ? कितने वर्षों से नहीं हैं ? कब तक चिकित्सकों की व्यवस्था शासन करदेगी ? भवनों की क्या स्थिति है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

होम्यो औषधालय सब्सीडी स्कीम की समाप्ति तथा डाक्टरों का ज्ञापन

19—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 218/बी0एच0/पांच 1677–1952, दिनांक 21–9–53 के द्वारा होम्यो औषधालय सब्सीडी स्कीम लागू की गई और सब्सीडाइज्ड क्वालीफाइड डाक्टर भी नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कीम को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश संख्या 25फ/300/70/4123, दिनांक 6–8–75 के द्वारा सब्सीडाइज्ड होम्योपैथिक औषधालयों को समाप्त कर दिया ?

श्री लोकपति—

जी हां। प्रश्नगत स्कीम शासन के आदेशानुसार निदेशक स्वास्थ्य सेवा द्वारा वर्ष 1975 में समाप्त कर दी गयी थी।

20—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक सब्सीडाइज्ड औषधालयों में कार्य करने वाले डाक्टरों ने सरकार को ज्ञापन दिया और शासन ने सन् 76 में निर्णय लिया था कि राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों में उन डाक्टरों को रखा जायगा ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जो कार्य करने लायक डाक्टर हैं उनको जल्द से जल्द राजकीय औषधालयों में नियुक्त करेगी ?

श्री लोकपति—

सरकार को इस विषय में ज्ञापन प्राप्त हुए थे। प्रश्नगत डाक्टरों को राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों में रखे जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। राजकीय औषधालयों में चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले डाक्टरों की नियुक्ति पर नियमानुसार विचार किया जाता है।

औरास टाउन एरिया, उन्नाव द्वारा खरीदी गयी ईंट का उपयोग

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की टाउन एरिया औरास द्वारा मार्च, 1973 ई0 में 40 हजार ईंटा खरीदा गया था ? यदि हां, तो उस ईंटे का उपयोग किस-किस काम के लिए किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उन्नाव जिले की टाउन एरिया औरास में 40,000 ईंटा 1973 में खरीदा गया था। यह ईंटा टाउन एरिया औरास में स्थित बाजार से चमरौधा तक सड़क किनारे-किनारे रख दिया गया था जिसका उपयोग किसी कार्य में नहीं किया गया। तत्कालीन सुपरवाइजर कानूनगो, जो इस अनियमितता के लिये उत्तरदायी थे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

22—श्री राम आसरे वर्मा—

(माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज तथा जिला चिकित्सालय, एटा में चिकित्सा तथा औषधियों पर राजकीय व्यय

23—श्री मानपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में जिला चिकित्सालय, एटा तथा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज में अलग-अलग 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक बाह्य रोगियों की चिकित्सा और औषधियों पर कितना-कितना राजकीय व्यय किया गया? क्या सरकार वाह्य रोगियों की संख्या तथा मिलने वाले वार्षिक बजट की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज का बजट बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, एटा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज में 1जनवरी, 1979से 31 दिसम्बर, 1979 तक वाह्य रोगियों की संख्या तथाउन पर चिकित्सा एवं औषधि सम्बन्धी व्यय के विवरण संलग्न तालिका में दे दिये गये हैं ।

कासगंज, जिला एटा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर का बजट आवंटित है । यदि भविष्य में उक्त केन्द्र से अतिरिक्त अनुदान की मांग प्राप्त होती है तो उस पर यथा समय विचार कर लिया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 518 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज, जिला एटा में पोलियो तथा एन्टीरैबिक बैक्सीन की व्यवस्था की मांग

24—श्री मानपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज में पोलियो वैक्सीन एवं एन्टी रैबिकवैक्सीन तथा उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों और कब तक यह व्यवस्था कर दी जायगी?

श्री लोकपति—

जी नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज, जिला एटा में ऐन्टी रैबिक वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है जिसकी आपूर्ति जिला चिकित्सालय एटा से की जाती है । इसके रख रखाव हेतु केन्द्र में थर्मोकोल की व्यवस्था है ।

पोलियो वैक्सीन की व्यवस्था उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं है । यह व्यवस्था कासगंज स्थित महिला चिकित्सालय में पिछले माह से प्रारम्भ कर दी गयी है ।

सलेमपुर (देवरिया) में आवंटित सीमेन्ट की मात्रा

25—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील में सीमेन्ट के कितने-कितने दूकानदार हैं तथा उन्हें 1 मार्च, 1980 से 15 जुलाई, 1980 तक कितने-कितने बोरी सीमेन्ट वितरण हेतु आवंटित किया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

देवरिया जनपद की सलेमपुर तहसील में कुल 43 सीमेन्ट के लाइसेंसी हैं, इनको 1 मार्च, 1980 से 15 जुलाई, 1980 अर्थात् जनवरी–मार्च, 1980 एवं अप्रैल–जून, 1980 त्रैमास की अवधि में आवंटित सीमेन्ट की मात्रा की सूची संलग्न है । जिन लाइसेंसियों ने प्रश्न गत अवधि के पूर्व के त्रैमासों में सीमेन्ट की उठान नहीं की थी, उन्हें उल्लिखित अवधि के त्रैमासों में आवंटन नहीं किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 519 पर)

तहसीलदार, जौनपुर द्वारा दिये गये सीमेन्ट के परमिट

26—श्री सूर्य नाथ उपाध्याय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के तहसीलदार 1 फरवरी, 1980 से अब तक कुल कितने आवेदन पत्र सीमेन्ट के लिये प्राप्त किये और कितने को कितनी-कितनी मात्रा में सीमेन्ट दिया?

श्री अजीत सिंह सेठी—

तहसीलदार, जौनपुर को 1 फरवरी, 1980 से 16 जुलाई, 1980 तक कुल 4,235 प्रार्थना-पत्र सीमेन्ट के लिए प्राप्त हुए जिनमें से 2,103 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों पर 2 बोरी से लेकर 20 बोरी तक कुल 9,350 बोरी सीमेन्ट के परमिट जारी किये गये ।

कांठ, जिला मुरादाबाद में महिला चिकित्सालय के निर्माणार्थ प्राप्त धनराशि

27—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कस्बा कांठ में महिला चिकित्सालय निर्माण हेतु कार्य कबसे प्रारम्भ हो रहा है तथा जनता द्वारा दान दी गई धन-राशि कितनी है तथा कहां जमा है? गत वर्षों में जो ईंट निर्माण हेतु आई थी वह कहां गई?

श्री लोकपति—

कांठ, जिला मुरादाबाद में महिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य के शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है । उक्त कार्य हेतु जनता से दानस्वरूप प्राप्त रु0 20,232 (बीस हजार दो सौ बत्तीस रुपया) राजकीय कोषागार में जमा है । वर्ष 1974–75 में धनाभाव के कारण उक्त निर्माण कार्य के स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यस्थल पर जो ईंटें जमा की गई थी उन्हें अन्य कार्य के उपयोगार्थ स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

डा0 एम0 के0 अन्सारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य), जिला हरदोई के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी (स्वास्थ्य), जिला हरदोई (डा0एम0के0अन्सारी) द्वारा गत वित्तीय वर्ष 1979–80 में प्रोफार्मा बिल तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं संबंधी शिकायती-पत्र शासन को यथासमय दिये गये हैं ? क्या सरकार इनका सारा रिकार्ड सील करवाकर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर सदन को अवगत करायेगी?

श्री लोकपति—

जी नहीं, ऐसे कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए नहीं प्रतीत होते । अतः रिकार्ड सील करने और सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की बेकार गाड़ियों की नीलामी की मांग

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण से संबंधित कुल कितनी गाड़ियां बेकार पड़ी हैं? इनको अविलम्ब नीलाम न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 5 वर्षों में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कितनी गाड़ियां खरीदी गयीं, इनमें से कितनी गाड़ियां इस समय चालू हैं और इन पर अब तक मरम्मत आदि में कितना अतिरिक्त व्यय हो चुका है ? तथा जो गाड़ियां निष्क्रिय (चालू नहीं) पड़ी हैं उनसे कितने औसत किलोमीटर की दूरी तय की गई और निष्क्रिय गाड़ियों के ड्राइवर किन कामों के साथ सम्बद्ध किये गये?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल निगम के लैब सहायकों का नियमितीकरण

31—श्री खुशहाल सिंह रांगड़—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम मुख्यालय के तदर्थ रूप से कार्यरत लैब सहायकों की सेवायें वर्ष 1979 में समाप्त कर दी गई जबकि तदर्थ रूप से कार्यरत नैत्यिक लिपिकों को 1979 में नियमित कर दिया गया है? उक्त पदों की नियुक्तियों में एक सी नीति किन कारणों से नहीं अपनाई गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं । लैब सहायकों की तदर्थ नियुक्तियों के पश्चात् परीक्षा के आधार पर इन पदों पर नियमित नियुक्तियां की गयीं । इनमें से दो तदर्थ रूप से नियुक्त लैब सहायकों, जिनकी नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी, को भी नैत्यिक लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त कर दिया गया । इस प्रकार तदर्थ रूप से कार्यरत लैब सहायकों में से किसी की भी सेवायें समाप्त नहीं की गयीं और तदर्थ रूप से नियुक्त लैब सहायकों एवं तदर्थ रूप से नियुक्त नैत्यिक लिपिकों की नियुक्ति में कोई अलग अलग नीति नहीं अपनाई गई ।

जल निगम मुख्यालय के अधिकारी अभियन्ताओं का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

32—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जल निगम मुख्यालय में कितने ऐसे अधिशासी अभियन्ता हैं जो शासनादेश के विरुद्ध 5 साल से भी अधिक समय से मुख्यालय में ही तैनात हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं का तत्काल स्थानान्तरण करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल निगम मुख्यालय में केवल एक ही अधिशासी अभियन्ता ऐसे थे जिन्हें मुख्यालय में तैनात हुए 5 वर्ष से अधिक हो गये थे । इनके अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं ।

मुरादाबाद तथा रामपुर जनपद के मलेरिया निरीक्षकों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

33—श्री अकबर हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद व रामपुर जनपद में कितने मलेरिया निरीक्षक ऐसे हैं जो इन जनपदों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं? इनके स्थानान्तरण के संबंध में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री लोकपति—

जनपद मुरादाबाद तथा रामपुर में केवल एक मलेरिया निरीक्षक श्री एस0 डी0 गौड़ जनपद मुरादाबाद में मलेरिया निरीक्षक के पद पर वर्ष 1967 से तैनात हैं ।

मलेरिया निरीक्षक का सम्वर्ग जनपदीय स्तर का है। इसलिये इस सम्वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण साधारणतया प्रशासनिक आधार पर अथवा उनके निजी अनुरोध पर ही किया जाता है।

जिला देवरिया के मेंसर्स पदम कुमार हरिशंकर, सलेमपुर तथा मेसर्स महालक्ष्मी दाल मिल सलेमपुर को आवटित सीमेन्ट

34—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत मेसर्स पदम कुमार हरिशंकर सलेमपुर तथा मेसर्स महालक्ष्मी दाल मिल सलेमपुर नामक दो सीमेन्ट के विक्रेताओं को 1 जनवरी, 1980 से 15 जुलाई, 1980 तक कितनी बोरी सीमेन्ट अलग-अलग आवंटित की गयी थी उसमें कितनी सीमेन्ट उपरोक्त फर्मों द्वारा मंगाया गया? शेष सीमेन्ट के न मंगाने का कारण क्या है ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मेसर्स पदम कुमार हरिशंकर तथा. महालक्ष्मी दाल मिल सलेमपुर नामक दो सीमेन्ट विक्रेताओं को 1 जनवरी से 15 जुलाई, 1980 अर्थात् जनवरी–मार्च, 1980 एवं अप्रैल–जून, 1980 त्रैमासों में सीमेन्ट का आवंटन एवं विक्रेताओं द्वारा सीमेन्ट की उठान का विवरण निम्नवत् है :—

(मात्रा मीट्रिक टन में)

सीमेन्ट लाइसेंसी का नाम	जनवरी–मार्च, 80 (त्रैमास		अप्रैल–जून, 80 (त्रैमास)	
	आवंटित मात्रा	आयातित मात्रा	आवंटित मात्रा	आयातित मात्रा
1—मैसर्स पदम कुमार हरिशंकर सलेमपुर।	12	12	25	..
2—मैसर्स महालक्ष्मी दाल मिल सलेमपुर	24	24	25	..

जनवरी–मार्च, 80 त्रैमास में उक्त दोनों फर्मो ने आवंटित सीमेंट का आयात कर लिया था। अप्रैल–जून, 1980 त्रैमास में आवंटित सीमेन्ट की अग्रिम धनराशि सम्बन्धित फैक्ट्री को भेज दिया है तथा उनकी सीमेन्ट की लदान हो चुकी है परन्तु अभी रिसीट प्राप्त नहीं हुई है।

चिकित्साधिकारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण

35—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने 1700 डाक्टरों को बिना लोक सेवा आयोग के स्वीकृति के चिकित्सीय सेवाओं में तदर्थ आधार पर नियमित करने की घोषणा जुलाई, 1980 में की है? यदि हां, तो क्या इसमें अनुसूचित एव जनजाति के आरक्षित कोटे का पालन किया गया है? यदि हां, तो कितने डाक्टर उक्त कोटे के अन्तर्गत नियमित किये गये? यदि हींन, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है जिसमें अनुसूचित एवं जनजाति के चिकित्साधिकारियों के बारे में भी नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जिला चिकित्सालय, हरदोई के डा० जे० सी० गुप्ता के विरुद्ध शिकायतें एवं स्थानान्तरण की मांग

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय हरदोई के आर्थोपेडिक सर्जन, डा० जे० सी० गुप्ता अपने गृह जनपद में कई वर्षों से तैनात है ? क्या नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी को उन्हें अपने गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाता है? यदि हां, तो इन्हें वहां पर तैनात करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करेगी? क्या उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कांग्रेस (ई०) के विधायकों द्वारा कोई शिकायती-पत्र जुलाई, 1980 में दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। राजपत्रित अधिकारी को उनके गृह जनपद में सामान्यतया तैनात नहीं किया जाता है। डा० जे० सी० गुप्ता का गृह जनपद हरदोई नहीं है अतः उन्हें उक्त जनपद में तैनात न करने तथा उन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

कांग्रेस (ई) के विधायकों का उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है और जांच कराई जा रही है।

मुजफ्फरनगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निरस्त किये गये लाइसेन्स तथा अनुसूचित जातियों/जन जातियों को वरीयता।

37—श्री हुकुम सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में जून, 1980 से लेकर 15 जुलाई तक कितनी सस्ते गल्ले की दुकानों के लायसेन्स निरस्त किये गये तथा उनके स्थान पर कितने नये डीलर नियुक्त किये गये ? नये डीलरों की नियुक्ति में जनजाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के सदस्यों को कोई वरीयता प्रदान की गई या नहीं?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मुजफ्फरनगर जनपद में 1 जून, 1980 से लेकर 15 जुलाई, 1980 तक 14 (चौदह) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये गये तथा उनके स्थान पर 10 (दस) सस्ते गल्ले के नये डीलर नियुक्त किये गये। नये डीलरों की नियुक्त में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के सदस्यों को शासनादेश के अनुसार वरीयता दी गयी और दो दुकानें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित हुई हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज (एटा) की एक्स-रे मशीन तथा टैक्नीशियन

38—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद टा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज में नई एक्स-रे मशीन गत चार वर्ष से अस्पताल में रक्खी हुई है और आज तक उसकी फिटिंग नहीं की गई है तथा एक्स-रे टेक्निशियन की कई वर्षों से वहां पोस्टिंग नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? और कब तक एक्स-रे मशीन का फिटिंग करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां । प्रश्नगत एक्स-रे मशीन 26-3-77 को प्राप्त हुई थी किन्तु उसे अभी तक निम्न कारणों से नहीं लगाया जा सका है :

1--मेसर्स साइमंस इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने जिनसे यह मशीन क्रय की गई थी एक्स-रे मशीन लगने वाले कमरे की बिजली की फिटिंग को दोषपूर्ण बताया । समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् जनवरी 1980 में विद्युत विभाग द्वारा बिजली की नई फिटिंग करा दी गई है ।

2--एक्स-रे मशीन चालू करने की औपचारिकतायें पूर्ण हो गई है और वह शीघ्र ही चालू कर दी जायेगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज जिला एटा में एक्सरे-टेक्नीशियन तैनात है

लखनऊ नगरमहापालिका के चुंगी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार ।

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका में चुंगी विभाग में व्याप्तभ्रष्टाचार के सिलसिले में प्रशासक तथा शासन को कोई जानकारी जून व जुलाई, 1980 में मिली है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । जांच की जा रही है ।

नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय, लखनऊ, के लेखाधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

40--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय, लखनऊ के लेखाधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत अप्रैल, 1980 व मई, 80 में प्राप्त हुई है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अध्यक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । जिसमें लगाये गये आरोपों की जांच निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण द्वारा की जा रही है

लखनऊ मास्टर प्लान का अननुकूल उपयोग कर

41--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर-प्लान में अनुकूल उपयोग कर लगाने का प्राविधान है, यदि हां, तो इस कर से गत 5 वर्षों में कितनी आमदनी हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । अभी तक कोई आमदनी नहीं प्राप्त हुई ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

42--श्री रामयश सिंह--

क्या आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश (श्री जयन्ती प्रसाद दुबे) के विरुद्ध सन् 1979 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सतर्कता जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अधिकारी विशेष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विषय में शासन द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय के अनुसार अन्य तथ्य प्राप्त किये जा रहे हैं। तत्पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

गोरखपुर में जल पूर्ति जल निकासी आदि योजनाएं तथा उन पर अनुमानित व्यय

43--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर नगर में जलपूर्ति योजना, जल निकासी योजना और सफाई योजना को लागू करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इस पर अलग-अलग कितना धन खर्च करने का विचार है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त कार्य हेतु कोई योजना शीघ्र बनाएगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उपचारिका अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश में आग से नष्ट बिजली तथा फर्नीचर की व्यवस्था की मांग

44--श्री खुर्शेद अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कैसरबाग स्थित उपचारिका अनुभाग में दिनांक 29-2-1980 को बिजली से आग लग जाने के कारण काफी रिकार्ड तथा फर्नीचर ध्वस्त हो गया है? क्या यह सही है कि तब से आ तक उक्त कार्यालय में बिजली एवं फर्नीचर की व्यवस्था नहीं की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब उपरोक्त व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री लोकपति--

जी हां। उक्त कार्यालय में बिजली की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है और आवश्यक फर्नीचर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

गोरखपुर जिले में हैण्ड पम्प लगाने की योजना

45--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में पेय जल संकट दूर करने के लिए कुछ हैण्ड पम्प लगाने के लिए वर्ष 1979-80 में जल निगम द्वारा योजना चलाई गयी थी ? यदि हां, तो कौड़ीराम, पिपरौली एवं खोसबार विकास खण्डों में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाए गये थे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

गोरखपुर जिले में पेयजल संकट दूर करने के लिये सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत 1979-80 में विकास खण्ड कौड़ीराम में कुल चार हैण्ड पम्प लगाये गये जिसमें से दो ग्राम अहिरौली में तथा एक-एक ग्राम हरपुर एवं परेसापार में लगाये गये। पिपरौली एवं खीराबाद विकास खण्डों में कोई हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा नहीं लगाया गया।

लखनऊ जनपद के स्थानान्तरित चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी

46--श्री सन्त बक्श रावत--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1980 तक कितने चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया ? उनमें से अब तक कितने चिकित्साधिकारियों ने अपना कार्यभार नये चिकित्साधिकारियों को नहीं दिया? तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जनपद लखनऊ में 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1980 तक 5 चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया। इनमें से केवल एक ने नये चिकित्साधिकारी को अपने पद का कार्यभार नही सौंपा है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक आदेश दे दिए गये हैं।

ग्राम रूरा बुलन्दशहर में हरिजन बस्ती पर हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा 8 व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत आज 12 सूचनायें प्राप्त हुई थें, जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह तथ्य आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्तमान शासन में हरिजनों की जानमाल की हिफाजत का कोई प्रबन्ध नहीं रह गया है। मान्यवर, बुलन्दशहर जिले के ग्राम रूरा में हरिजनों की बस्ती पर रविवार के दिन सामूहिक हमला बोलकर सम्पूर्ण बस्ती भस्मसात कर दी गयी। प्रतिरोध करने पर एक जाटव को गोली से उड़ा दिया गया और अनेक घायल हुए। उनमें से एक महिला भी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उस गांव में परस्पर मन मुटाव था। तनाव की भीषणता को ध्यान में रखते हुए वहां प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गयी थी परन्तु उक्त हरिजनों के बारम्बार आग्रह करने के बाद भी कि अभी हम असुरक्षित हैं पी0 ए सी0 न हटाई जाय, मान्यवर, पी0 ए0 सी0 हटा ली गयी और शासन ने नर पिशाचों को मौका दे दिया कि विगत दिवस सशस्त्र धावा बोलकर यह हत्या कांड कर दिया गया। पुलिस की ढिलाई का नमूना यह है कि अभी तक मात्र 4-6 व्यक्ति पकड़े जा सके हैं। अभी भी वहां व्याप्त आतंक के कारण क्षेत्र के हरिजन अपने को असुरक्षित एवं असहाय अनुभव कर रहे हैं।

अतएव लोक महत्व के प्रश्न की ओर श्रीमन, शासन का ध्यान आकृष्ट कर आततायियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा हरिजनों की रक्षा हेतु प्रभावी पग उठाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी तत्काल इ स पर कार्यवाही करें यहमैंनिवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें।

इलाहाबाद में अतिवृष्टि के कारण कतिपय स्थानों पर जल भराव के सम्बन्ध में निगम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, विगत 24/25/26 अगत को इलाहाबाद में अतिवृष्टि हुई जिसके कारण इलाहाबाद नगर के जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, सोबतियाबाग, दारागंज, अलोपी बाग, अल्लापुर, बाघूम्बरी आदि मुहल्लों में 7 से 9 फुट तक पानी भर गया। तब तक गंगा का जल स्तर काफी नीचा था, गंगा के बंधों पर बने मोरी गेट यदि समय से खोल दिया गया होता तो इस महानगरी की एक लाख आबादी जल भराव की समस्या से बच जाती किन्तु जल निगम एवं नगर महापालिका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण आज भी लाख के करीब की आबादी 5 फुट गहरे पानी में रह रही है। सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गये। सैकड़ों पशु मर गये, दर्जनों मोटर गाड़ियां, साइकिलें व बाई साइकिलें पानी में डूब कर नष्ट हो गयी। मैंने स्वयं देखा है। मृत पशुओं की सडांन से नगर में महामारी फैल गयी है। जमा हुआ पानी सड़ रहा है। जल निकासी की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। इस तरह से पानी महीनों में भी नहीं निकलने वाला है। सरकारी राहत कार्य नगण्य है। सीवर लाइनें टूटने से अन्दर की सब गन्दगी ऊपर पानी में तैर रही है। स्वास्थ्य विभाग भी भीषण जल जमाव के कारण टीके नहीं लगा रहा है। भोजन की भी समस्या है। मैं प्रदेश शासन से अपील करता हूं कि इलाहाबाद नगर में इस अभूतपूर्व जल जमाव के लिये दोषी नगरमहापालिका व जल निगम के कर्मचारी निलम्बित हों। त्वरित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायें। आबादी को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाये। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। पानी में भरे पड़े बच्चों व जानवरों की लाशें को शीघ्र निकाला जाये।

नैनीताल जिले के कतिपय स्थानों पर संक्रामक रोगों से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

अध्यक्ष महोदय, जिला नैनीताल के हल्द्वानी बाजपुर, कालाढूंगी, लालकुआ, रुद्रपुर, किच्छा में हजारों व्यक्ति संक्रामक रोग से ग्रस्त हैं जिसमें लगभग 19 व्यक्ति मर चुके हैं जिससे सारे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें।

मान्यवर, जहां यह रोग शुरू हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--

अब और मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब आप कृपया बठें।

बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजना हेतु आवंटित गेहूं की चोर बाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जनपद में खाद्यान्न योजना हेतु आवंटित गेहूं का खुले आम चोर बाजारी किया जा रहा है। गत एक सप्ताह के अन्दर अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) ने लगभग 3500 बोरा गेहूं रेलवे माल गोदाम से बरामद किया जिसे अवैध रूप से बिहार भेजा जा रहा था। ऐसा सुना जाता है कि कई राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति दोषी व्यक्तियों को छुड़ाने और सारा मामला दफन कराने के भरसक प्रयास मे लगे हुए हैं और जिला प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। जनपद से खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सारा जनहित का कार्य ठप्प पड़ा है और पूछने पर जिला विकास अधिकारी कहते है कि खाद्यान्न के अभाव मे कार्य नही हो पा रहा है और दूसरी तरफ इतने अधिक मात्रा मे खाद्यान्न व्यापारियों अधिकारियों तथा रेलवे के सांठ गांठ से अवधारित रूप से बाहर भेजा जा रहा है अतः सरकार से अनुरोध है कि समस्त मामले की पूरी छानबीन कराकर दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाय।

प्रदेश के बरेली रामपुर, मुरादाबाद बिजनौर तथा नैनीताल के तराई क्षेत्र में सूखे के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर तथा नैनीताल की तराई के क्षेत्र में इस समय भीषण सूखे का प्रकोप है, जिसके कारण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा गन्ना की खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंची है। डीजल की महंगाई और बिजली पूरे समय न मिलने तथा नहरों में पर्याप्त पानी न होने के कारण इस क्षेत्र के किसान अपने भारी प्रयासों के बावजूद भी इस दैविक आपदा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण सन् 1978 सैलाब सन् 1979 के सूखा और इस वर्ष के भारी सूखे के प्रकोप होने से इस क्षेत्र के किसान को भारी चिन्ता और अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है। मैं लोक महत्व के इस अवलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर सरकार का ध्यान इस माननीय सदन की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य विधान सभा, गोरखपुर को कारावासित किये जाने एवं रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त हुई है जिसकी सूचना इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या–11 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 1980†

राजस्व मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनायें कार्य-स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त हुई थीं, सभी सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमारा एक कार्य-स्थगन था, प्रदेश भर में चीनी के भाव में अत्यधिक वृद्धि एवं चीनी के बाजार से गायब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 6 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष ---

नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं---माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की थीं जो शासन की नीति के कारण प्रदेश भर में चीनी के भाव में अत्यधिक वृद्धि एवं चीनी के बाजार से गायब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में थी। माननीय मोहन सिंह की भी इसी सम्बन्ध में सूचना थी, माननीय मित्रसेन यादव की भी इसी सम्बन्ध में थी। श्री बदन सिंह की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा की, कार्यालय में घुर कर पिटाई और कार्यालय कर्मचारियों की निरन्तर 10 दिन की हड़ताल एवं उस पर अधिकारियों द्वारा ठोस कदम न उठाने से उदासीनता के सम्बन्ध में थी। ये सभी अस्वीकृत की गयी हैं।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, करोड़ों रुपये का घोटाला है। इस समय बाजार में 20 रुपये किलो चीनी बिकने जा रही है। मान्यवर, शासन ने एक अशिष्टता की थी, जब सत्र चल रहा था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप बैठ जायं।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय बदन सिंह, आप कृपया बैठ जायं।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं कि आप बैठ जाइए। यह चर्चा का विषय नहीं है। इस लिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

(राजस्व मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, हमारे पूरे क्षेत्र में धान की फसल बेकार हो रही है, उसमें दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जाएं, आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं और सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, केवल विधान सभा से तनख्वाह लेने नहीं आए हैं। हमारी बात को भी सुनिए, बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए हमको भी मौका दीजिए। मैं थोड़े समय में अपनी बात को कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाएं और अब माननीय सदस्य जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गये)

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों केलिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 10–आबकारी विभाग तथा अनुदान संख्या 76–क–आबकारी विभाग–पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–क आबकारी विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,00,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, यह एजेन्डे में भी विभाग के नाम के आगे आबकारी विभाग का नाम है और आम जुबान पर भी इसका नाम आबकारी विभाग है। मान्यवर, मैं बड़े धर्मसकट में हूं कि इसका (हंसी) मान्यवर आज तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर आक्रमण करेगा मुझ पर कि प्रदेश में समूचा मद्य-निषेध सरकार ने क्यों समाप्त कर दिया (शोर)।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, इस सत्ताधारी दल का बिना नशे के कोई काम नहीं चल सकता।

श्री यशपाल सिंह––

मान्यवर, मैं अर्ज कर हा था कि विपक्षी दल मुझ पर आक्रमण करेगा कि जो मद्य-निषेध पिछले वर्षों में लागू किया गया था, उसे इस सरकार ने क्यों समाप्त कर फिर पीने की इजाजत क्यों दे दी ? मान्यवर, मैं इस बात को बहुत ही विनोदात्मक ढंग से कह रहा हूं जो लोग इसको लेकर नाराज हो रहे हैं, वे चाहें तो मुझ से दावत भी ले सकते हैं, इसमें अधिक नाराज होने की उनकी आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, पहला उद्देश्य मद्य-निषेध को समाप्त करने का यह है कि प्रदेश में जितने मन्शी अश्याये हैं, उनसे यहां के जन-जीवन को बचाया जाए। उसके खराब असरात से यहां के लोगों को बचाया जाए। और दूसरा मकसद यह है कि अगर कोई ऐसी चीज, जिसे सरकार रोकने में असमर्थ हो, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर कंट्रोल किया जाए। मन्शी अश्यायों से दूर रखने के लिए पिछले सालों से मद्य-निषेध हमारी भूतपूर्व सरकार ने लागू किया था। प्रदेश के बहुत से भागों में उन्होंने ड्राई एरिया घोषित कर दिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार का होते हुए भी, प्रदेश में यह मद्य-निषेध हो, लोगों को पीने की आदत छूटे, पीने के बाद जो क्राइम वह करते हैं, उनसे छुटकारा मिले लेकिन मान्यवर, यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जो पिछला तजुर्बा था वह कुछ अच्छा नहीं रहा। उसने बजाय क्राइम घटने के क्राइम बढ़े। किस रूप में बढ़े ? मान्यवर, इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले से दूसरे जिले में, जिले में ही नहीं बल्कि तहसीलों में स्मगलिंग का जबरदस्त कार्य शुरू हो गया है। शराब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। पीने वालों ने पीना नहीं छोड़ा। लेकिन अवैध तरीके से एक पीने की आदत पड़ गयी।

मान्यवर, इसके साथ-साथ फार्मेसी जो अल्कोहल से चीजें तैयार करती हैं। 19 इस प्रकार की शराबें दवाओं के नाम पर शयज हो गयीं। उनको इतना जबरदस्त बल मिला, उनका जबरदस्त प्रचार बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यदि वह चाहें तो बता सकता हूं। मृत संजीवनी के नाम से तीन प्रकार की शराबें, सुधा संजीवनी, सुरा संजीवनी, और मृत संजीवनी, तीनों

दवाओं के नाम से शराब का प्रचलन हो गया। इसी प्रकार 19 दवाओं की फहरिस्त है। दवाओं के नाम पर उनका शराब के रूप में इस्तेमाल करके प्रदेश को जो राजस्व मिलने वाला था उसमें बहुत जबरदस्त घाटा हुआ। 1976 में 73 करोड़ रुपये की गलत तरीके से आमदनी घट कर 52 करोड़ हो गयी। उससे भी ज्यादा घट जाती अगले वर्षों में अगर हम एक्सशाइज डयूटी बढ़ाते। इस प्रकार का किसी से फायदा नहीं। लिहाजा मौजूदा सरकार ने यह विचार करके कि अगर इस शराब को बन्द ही करना है तो उसके लिए बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने, शायद वर्मा जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव मेरे मन के मुताबिक दिया है, कि इस अल्कोहल से बजाय शराब बनाने के जो हमारे देश में, बल्कि दुनिया में कमी पैदा हो रही है पेट्रोलियम की, उसको दूर किया जा सकता है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं उनके इन विचारों से बहुत सहमत हूं। लेकिन मान्यवर, सब एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए समय की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी गम्भीरता से विचार करके उस पालिसी को लागू करना पड़ेगा।

मैं, मान्यवर, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसके दिल दिमाग में यह ख्याल पदा हो गया है कि सरकार शराब बन्द नहीं करना चाहती तो वह निराधार है। यह सरकार उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन बहुत साइंटीफिक ढंग से खत्म करना चाहती है। (हंसी)

मान्यवर, बहरहाल पिछले तौर तरीके से यह सरकार इत्तिफाक नहीं करती। यह सरकार जो तरीका अख्तियार करेगी आने वाले दिनों में जाहिर हो जायेगा। मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव है। अल्कोहल को पेट्रोलियम में तबदील करने का। पेट्रोल की दिक्कत देश को और दुनिया में बढ़ी है। इस दिक्कत को दूर करना है।

मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करें और मद्य-निषेध के बारे में जो प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं जिनकी वह आवश्यकता समझते हैं वह सुझाव दें। सरकार उनका समादर करेगी और उनको यथा सम्भव कोशिश करेगी कि उनका कार्यान्वियन किया जाय। मान्यवर केवल बहस को केवल मुखालिफाना ढंग से न किया जाय। माननीय सदस्य जानते हैं मैं मद्य-निषेध के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1946 में चरस पर पाबन्दी लगाई गई, सन् 49 में हरिद्वार, ऋषिकेश में पूर्ण शराब बन्द की गई सन् 56 में गांजा के औषधिक प्रयोग पर बन्दी लगाई गई, सन् 59 में इसी प्रकार से अफीम पर बन्दी की गई। सन् 68 में कुछ तीर्थ-स्थान केदारनाथ, बद्री नाथ में रोक लगाई गई और सन् 69 में चमोली, उत्तर काशी तथा पिथौरागढ़ में पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया गया। सन् 74 में स्कूल तथा चिकित्सालय में पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया गया, सन् 75 में मद्यपान के सम्बन्ध में विज्ञापनों पर रोक लगाई गई और सन् 76 में 5 प्रतिशत से अधिक अल्कोहलवाली बियर की बिक्री पर बन्दी की गई, 77 में गांजा पर पूर्ण निषेध लगाया गया। सन् 78 में ताड़ी पर निषेध लगाया गया और मान्यवर, इसी प्रकार से 30 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और जो नेशनल त्योहार है उन दिनों पर भी इस पर बन्दी लगाई गई।

मान्यवर, पहले सप्ताह में एक दिन दुकान बन्द रहती थी अब शुक्रवार को भी दुकान बन्द रहेगी। इसके अलावा महीने की आखिरी तारीख को जो तनख्वाह का दिन होता है दुकान बन्द रहेगी जिससे थोड़ा उसके ऊपर रोक लगेगी। मान्यवर, पिछले वर्षों में कुछ इलाकों को ड्राई किया गया था अगर शराब को बन्द करना है तो सरकार का कर्तव्य होगा कि इसको एकदम बन्द करे और एकदम बन्द करने के लिये मेरी जेहन के मुताबिक यह कैसे बन्द हो सकती

[श्री यशपाल सिंह]—

है, शराब बनाने को बन्द किया जाय और जो हमारे पास अल्कोहल है उसको मुझे पेट्रोल में तबदील करना है। शराब देश और प्रदेश में हर जगह बन्द हो, नहीं तो इससे सिवाय स्मगलिंग के कोई चीज नहीं होगी। पिछले वर्षों में अवैध शराब स्मगलिंग से हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आई है। हमारे प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी अन्य प्रदेश से ज्यादा है उसकी वजह से हमारे प्रदेश को पंजाब, हरियाणा से बराबर स्मगलिंग की गई। इसके लिये आदेश कर दिये गये हैं कि किसी दूसरे प्रदेश से अवैध शराब हरगिज हमारे प्रदेश में न आने पाये।

मान्यवर, मैं बहुत समय इस सिलसिले में माननीय सदस्यों का नहीं लूंगा। उनके विचारों से अवगत होना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि रचनात्मक सुझाव उनकी ओर से आयेंगे और उनसे सरकार फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसके बाद अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कहेंगे तो जवाब में कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट कर सकूं

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि अनुदान संख्या 10—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—क—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने राज्य सरकार का जो आबकारी से संबंधित मांगें प्रस्तुत की और उनका भाषण सुनने के बाद वह बात सुनिश्चित हो जाती है कि मुझे यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य था। विभाग ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। एक तरफ घोषित करते हैं कि जो इन्होंने आबकारी विभाग की विवरण पुस्तिका-वितरित की है उसके प्रथम अध्याय में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आबकारी प्रशासन का मूल सिद्धांत भारतीय संविधान की धारा 47 पर आधारित किया गया है जिसके अनुसार ऐसे मादक पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों, उनका केवल दवाओं के लिए प्रयोग छोड़कर पीने और खाने के लिए, उन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाते हुए मद्य-निषेध की नीति को बढ़ावा देना। यह तो उद्देश्य है लेकिन उसका क्रियान्वयन देखें, बिल्कुल उसका विरोधी है। एक तो सरकार भारी पैसा खर्च करती है मद्य निषेध के बारे में यह केवल दिखावे के लिए। आज महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं और जिस समय पूज्य बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय उन्होंने देश और समाज को यह भी नारा दिया था कि अंग्रेज यहां से चले जायें तो भी विकास नहीं होगा जब तक कि हम सात्विक सिद्धान्तों पर, आदर्श नीतियों पर नहीं बढ़ेंगे। यह हमारा निगेटिव आस्पेक्ट है। हम आगे तभी बढ़ सकेंगे। इसका सपना संजोया महात्मा गांधी ने। यह बात भूली नहीं है कि हममें से बहुत से माननीय सदस्य बैठे हैं, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, शराब की दुकानों पर धरना देते थे अंग्रेजों की लाठी खाते थे अपने घरों को नेस्तनाबूद कराते थे। उनकी मान्यता थी कि नशाबन्दी पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। देश आजाद हुआ लेकिन वह सिद्धान्त तिरोहित हो गया। सरकार चाहे न माने लेकिन उस समय एक व्यक्ति ने पूछा था कि आखिर राजस्व कहां से आयेगा तो पूज्य बापू ने उत्तर दिया था मुझे तो विश्वास नहीं है कि आज वह कोई प्रेरणा दे सकेगा, उन्होंने कहा कि राजस्व तो चोरी से भी प्राप्त हो सकता है तो क्या चोर को चोरी करने का सार्टिफिकेट प्रदान करेंगे? वेश्यावृत्ति की फीस लेकर, लाइसेंस दे सकते हैं? इससे भी राजस्व प्राप्त होगा। तो लाइसेंस नहीं दे सकते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चोरी का प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि सरकार शराब के ठेके नीलाम करके शराब से पैसा लेकर राजस्व प्राप्त करें। कोई धार्मिक ग्रन्थ नहीं है जिसमें कि शराब पीने की छूट दे रखी गयी हो।

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, वह यह कि जितना हम मद्य निषेध की दिशा में आगे बढ़ चुके थे, जैसा कि प्रस्तावना में हमने पढ़कर सुनाया कि नीति निर्देशक तत्वों में है कि पूर्ण मद्य-निषेध हमारा लक्ष्य होगा, आज हम उससे पूर्णतया पीछे चले गये हैं। यह सही है कि सरकार शायद इकट्ठा पूरे देश में मद्य निषेध न कर सके, वह कदम ब कदम बढ़ना चाहती है। सरकार जहां तक बढ़ गयी थी पीछे हटने की क्या जरूरत पड़ गयी? 46 में यह किया, 47 में यह किया, 48 में यह किया, एक-एक वर्ष में आगे बढ़ती चली जा रही थी, एक दिन वह आया जिस समय हमारी जनता पार्टी सरकार के प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने पूर्ण मद्य निषेध लागू किया। पूरे देश में मद्य निषेध की नीति की घोषणा की गयी। उसके तहत उत्तर प्रदेश में करीब 41 जिलों में मद्य निषेध लागू कर दिया गया था। सरकार उसमें 2 जिले बढ़ाती, 3 जिले बढ़ाती, समाप्त करके पीछे हटने का उसको अधिकार नहीं था। यह कदम समाज विरोधी है। पिछली बार मद्य-निषेध लागू हो जाने के बाद भी क्या पीने की आदत समाप्त हो गयी थी? आदत समाप्त नहीं हुई थी, शासन के कर्मचारियों की वजह से आबकारी विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह पीना जारी था परन्तु यह अंकुश अवश्य लगा था। यह बात सही नहीं है कि बहुत से होनहार नवयुवक खुले रूप में पीते थे। न मिलने के कारण एक नया पैसा भी जिसमें चरित्र था, चरित्र पर नियंत्रण रखता था, उसने पीना बन्द कर दिया था। पैसा न जाने कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। यह कहा गया कि दुकानें वहां खोली जायें जहां लड़कियों के स्कूल का रास्ता न हो, आम बाजार न हो, धार्मिक स्थल पास न हो परन्तु दुकानें खुली हैं, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। 4 दुकानें सीतापुर में खुली हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है सीतापुर में कमलापुर में, सिधौली में, अटरिया में खुले रूप में बोर्ड लगे हैं। लोग गाली-गलौज कर रहे हैं, खून टपक रहा है, मार-पीट कर रहे हैं, लड़कियों के स्कूल वहीं पर हैं, मन्दिर मस्जिद धार्मिक स्थान हैं। पैसा प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए समाज की मान्यताओं को तिरोहित कर देना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, सरकार की इस नीति की खुले शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं। सरकार समाज में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अराजकता पैदा करने जा रही है, पैसा लेकर। इन बातों पर मैं चाहूंगा कि सरकार पुनः विचार करे। एक ओर सरकार पैसा पैदा करने के लिए मद्य-निषेध समाप्त कर रही है दूसरी ओर बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है मद्य निषेध का प्रचार करने के लिए। यह दोहरी नीति क्यों चलाई जा रही है? एक आदमी दूध दुहता है बालटी में, नीचे चलनी लगी हो, छेद हो, सब बहता चला जायेगा, एक बूंद भी दूध इकट्ठा नहीं होगा। बोर्ड लगा दिया जाये—मद्य जहर है। एक लड़का है बाप की कमीज पकड़ कर खींच रहा है। बाप भाग रहा है—लड़का आंसू बहा कर कह रहा है पिता जी आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। इससे क्या प्रेरणा मिलती है। एक ओर तो इस तरह के बोर्ड लगाते हैं दूसरी ओर मधुशालायें आपने खोल दी हैं। जहां पर खुलेआम शराब पी जायेगी, यह विरोधाभास शासन की नीति का है। कृपया इसको समाप्त करें।

ठेके खोल दिये हैं। इसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय ठेकेदार नीलामी के लिए जाता है, तो जाकर हैसियत का प्रमाण-पत्र लेता है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि लखनऊ तहसील में 25/25 प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। मान्यवर, देखें कि कितने बड़े पैमाने में ये प्रमाण-पत्र जारी किये गये। एक-एक नायब तहसीलदार ने एक एक दिन में 25—25/26 प्रमाण-पत्र जारी किये। मान्यवर, इसकी इन्क्वायरी करवा लें तो पायेंगे कि क्या ये सही हैं? नहीं, मान्यवर, इनमें गोलमाल है। मान्यवर, लखनऊ में शराब की दुकानें बिकी हैं और दूसरी जगहों पर बिकी हैं। पहले फुटकर में होता है फिर एक में लेकर जाते हैं और अधिकारियों से सांठ-गांठ करके कम पैसे में कर लेते हैं।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

लखनऊ में जोन बना दिया है जहां पर विदेशी मदिरा के लिये आदमी तय कर दिया है—5/6 जिलों की बिक्री के लिये। अर्थात् कोई दूसरा दुकानदार उसी दुकान से सामान ले जायेगा। उसको अधिकार है कि उतनी शराब लायेगा। और मूल्य पर नियंत्रण नहीं हुआ है। शायद मूल्य पर नियंत्रण इसलिए नहीं किया कि जिससे लम्बी बोली पर ठेके दिये जायें। लेकिन, मान्यवर, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो मान्यवर, संक्षेप में इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, यह जो मद्य-निषेध का सवाल है, यह पार्टी या किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। यह राष्ट्रीय जीवन के मूल्यों का सवाल है। पैसे के साथ राष्ट्र का चरित्र बेचने का सवाल नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि मेरे इस प्रस्ताव को, चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों चाहे उधर के बैठने वाले सदस्य हों, सभी का समर्थन प्राप्त होगा और वे सरकार पर इस बात का दबाव डालेंगे, सरकार को इस बात की चेतावनी देंगे, कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें। केवल पैसे की लालच में राष्ट्र के चरित्र की हत्या नहीं करेंगे और अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार को बढ़ावा नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय, राजस्व मंत्री जी ने जो आबकारी विभाग के परिव्ययों हेतु अनुदान की मांग की है, उसके बारे में जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

मान्यवर, केवल इस प्रश्न को आध्यात्मिक दृष्टि से अथवा मोरेल की दृष्टि से देखेंगे, तो यह जो प्रश्न है, इस पर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो मद्य-निषेध की नीति अपनायी थी, उस नीति में अगर गुण थे तो साथ ही साथ कुछ थोड़े से दोष भी पैदा हो गये थे और वे दोष इतने बड़े हो गये थे, कि जगह-जगह पर बोर्ड शहरों में देखने को मिल रहे थे कि चोरी-छिपे शराब पीना, जहर पीना है। अखबारों में और रेडियो पर प्रचार सुनायी देता था कि आज अमुक नगर में चोरी से बेची जा रही जहरीली शराब से इतने आदमियों की मौतें हुई। यह भी सूचना मिलती थी कि सायकिल के टायर और मोटर के टायरों में और अन्य तरीकों से जो अवैध शराब का व्यापार कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। मान्यवर, इस अतिरिक्त शासन व्यवस्था का जो काफी बड़ा अंग है, वह इन अपराधिओं को पकड़ने में लगा हुआ था और देश और समाज की उन्नति के कार्य जो होना चाहिये थे, उनमें नहीं लगा हुआ था। साथ ही साथ केवल प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, यदि मान्यवर, हम पूरे संसार का इतिहास उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, अमेरिका देश के अन्दर यह प्रयोग किया गया था। वहां पर यह प्रयोग बुरी तरह से असफल हुआ और बूट लागिग की प्रक्रिया इतनी बढ़ गयी की अन्त में वहां की सरकार को यह प्रयोग बंद करना पड़ा।

अभी विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कूलों के सामने शराबघर खुलें हैं, मंदिरों के सामने शराबघर खुले हैं। तो इस संबंध में जनता शासन काल का एक छोटा सा आंकड़ा मैं उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, बुलन्दशहर हेड क्वार्टर पर जनता पार्टी के शासनकाल में, हमारे यहां जो मुख्य चौराहा है, कालेआम, जिसको शहीद चौक भी कहते है वहां पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद के सामने एक शराब का ठेका, जनता शासन काल में खोला गया था। जिस पर वहां पर काफी धरना दिया गया था। मैंने भी विरोध करने के लिए हस्ताक्षर किये थे। दूसरा एक नमूना मैं और बतलाना चाहता हूं। जनता शासन काल में बुलन्दशहर में अनूपशहर है, वहां पर बस का अड्डा है, उसके सामने एक शराब का ठेका खोला गया। उस पर बोर्ड लगा था कि शराब का ठेका। वहां बोतले टंगी थी। यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा था कि यहां पर अच्छी शराब सस्ते मूल्य पर मिलती है, कपड़े का प्लकार्ड लगा हुआ था। उसके सामने ही सरकार की नीति के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा था कि शराब पीना, जहर पीने के समान है। तो यह विरोधाभास नहीं है तो क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि यह विरोधाभास नहीं है तो क्या है ? इस तरह की दो मुही नीति जो जनता शासन काल में चली। मैं उस नीति का विरोध करते हुए मैं इस बात को सवाल के तरीके से कहना चाहता हूं कि कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी शरीफ आदमी, इस बात को जायज नहीं समझता कि शराब पीने की छूट हो, शराब वाकई में अच्छी चीज नहीं है, सिगरेट पीना भी हानिकारक है उस पर स्टैच्यूटरी वार्निग लगी रहती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि लोग-बाग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं और एक आदत में वह चीज आ गयी है, मंत्री जी ने बतलाया कि यह शासन बहुत जल्दी ही नयी नीतियां लाने का प्रयास करेगा जिससे ऐसी हानिकारक चीजें जो समाज के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं, उसको सामाप्त कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह अधिकारी विभाग के लिए जो खर्च है यह बहुत आवश्यक है जिससे हम जनता की जान बचा सकें, जहरीली शराब पीने से बचा सकें।

जैसा कि मंत्री जी ने बताया पुदीन हरा, संजीवनी बूटी, इस प्रकार की नकली दवायें जो हैं वह बिकनी बन्द हो जायेंगी। इससे यह बात साफ है कि जो चोर बाजारी, काला बाजारिये, मुनाफाखोर जो इस प्रकार की दवाओं का धंधा करते थे, उनको रोका जा सकेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह जो नीति अपनायी है वह जनहित में है। मैं विनोदात्मक ढंग से कह रहा हूं, मंत्री जी ने भी विनोदात्मक ढंग से कहा है, मैं समझता हूं कि विरोधपक्ष के लोग-बाग खुलकर नहीं, दबकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि मन में जरूर इसका स्वागत कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह राना ---

आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, अभी नशाबंदी के संबंध में सत्तापक्ष से जितने तर्क आये हैं वह इतने थोथे और अपने आप में लुजपुंज थे कि उन पर विचार करते हुए शर्म आती है। उदाहरण अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और जापान आदि देशों का दिया गया, तो उनसे भारत भूमि की तुलना नहीं की जा सकती है। वह देश ठंडे हैं इसलिए वहां शराब पीना एक आदत है और वहां की जलवायु के हिसाब से इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस देश की जलवायु वैसी नहीं है इसलिए शराब की यहां आवश्यकता नहीं हो सकती।

दूसरी बात मान्यवर, मंत्री जी ने तर्क दिया कि चोरी-छिपे खुल कर पीने से खुल कर पीना अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहता हूं, कि समाज मे बुरे काम खुले रूप में नहीं किये जा सकते हैं और बुरे कामों को चोरी-छिपे करने की सामाजिक प्रवृति को रोकने की आवश्यकता हमेशा रही है और रहेगी। ऐसा कभी संभव नहीं कि समाज में जो चोरी-छिपे काम और व्यभिचार हो रहे हैं उनको खुले रूप से करने की छूट दी जा सके।

तीसरी बात इसलिए नशाबंदी की छूट देना कि आप मुद्रा अर्जन कर सकें तो मुद्रा के लिए क्या जीवन मूल्य न्यौछावर कर दें ? यदि ऐसा है तो जो गरीब लोग है उन्हें मुद्रा अर्जन के नाम पर अपनी बहन और बेटियों से व्यभिचार कराये जाने की छूट होगी और उसको पाप कर्म नहीं माना जायगा। जब ऐसा होगा तो हम मानेंगे कि शराब पीना पाप कर्म नहीं है लेकिन यदि व्यभिचार को पाप कर्म मानते नहीं तो इस तर्क पर शराब पीना भी पाप कर्म है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि धनोपार्जन के साधन और भी हो सकते हैं हमारे मंत्रियों में उन्हें खोज निकालने की बुद्धि होनी चाहिये। इसलिए वह अपनी बुद्धि का स्तेमाल करें और अपने-अपने विभागों को चलाने के लिए कहां से आय के स्रोत होगें उनको ढूढ़ना चाहिये। परन्तु उनके लिए पाप कर्मों को करने की खुली छूट देकर इस देश में धनोपार्जन की बात करें और जीवन के मूल्यों की रक्षा न करें। तो इस देश की सारी परम्परायें ध्वस्त हो जायेंगी। इसलिए मान्यवर, थोथे तर्क देना ठीक नहीं है और अच्छा होगा कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। हमारे मंत्रियों में इतनी उदारता होनी चाहिये यदि उनकी बात में समाधान के तर्क नहीं है, तो उससे ज्यादा भला है कि दूसरे के तर्क को वह स्वीकार

[श्री विजय सिंह राना—]

कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को यह देखें कि इस देश की भावी परम्पाराओं, संस्कृति और भावी जीवन रक्षक मूल्यों का जितना भयंकर नुकसान होने जा रहा है, उससे देश बच नहीं सकता है, इसलिए थोड़े धन के लालच में यह शराबबंदी समाप्त न करें। मैं चाहूंगा कि शराबबंदी का हम और आप सब मिलकर स्वागत करें पहली सरकार प्रयास करके जिस पर रोक लगा सकी थी उसको समाज के सामने पुनः न लायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

*श्री राम जी राम —

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि एक तो मंत्री जी से मैं आश्वासन लेना चाहता हूं कि और दूसरा मैं सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री महोदय जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों की जो भूमिका रही है और जिस तरह से देशी शराब मजदूर इस्तेमाल करते हैं क्या मंत्री महोदय उनमें जो देशी शराब में मिलावट है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है ? जिससे वह मौत के शिकार होते हैं इसलिए मंत्री महोदय से मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या उन पर जहरीली वस्तुओं के मिलावट पर कोई ठोस पाबंदी लगाने की कृपा करेंगे या इस प्रकार का नियंत्रण करेंगे कि जिससे वह मिलावट लाइसेन्सी दुकानदार न कर सकें और उसको पीकर जो साधारण हैं, मजदूर सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, मेहनतकश इन्सान हैं, जो कम उम्र में और मरने से पहले की स्थिति में आकर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, क्या मंत्री महोदय इस चीज पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठायेंगे ?

नम्बर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवहारिक चीज आप के सामने रखना चाहता हूं और मंत्री महोदय इस बात से अवगत होंगे कि गांवों में छोटे तबके के लोग' साधारण किस्म के लोग, कहीं-कहीं बड़े किस्म के लोग, शराब बनाते हैं और आये दिन वे पकड़े जाते हैं और उससे पुलिस वालों की आमदनी होती रहती है, उससे इंस्पेक्टरों की आमदनी होती है, वह बंद नहीं होती। एक तो गरीबी की रेखा के नीचे दूसरे गांवों में ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, उनको हम लाइसेन्स देंगे। उन्हें गांवों में जो कंन्ट्री में शराब बनाते हैं उसका लाइसेन्स देंगे जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और पुलिस जो उनसे नाजायज पैसा लेती है और उनका काम भी चालू रखती है, उन्हें कभी-कभी बंद भी करती है, परेशान करती है, उससे हमेशा के लिए उनको छुटकारा मिल सके।

मंत्री महोदय, अभी एक शेर मुझे याद आ गया, आदत के बारे में। मैं चाहता हूं कि आपके सामने उसे रख दूं—

पहले तो सेठ जी ने झांका इधर उधर,
फिर उसके बाद दाखिल मैखाना हो गये।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन को बधाई देना चाहता हूं उसने बड़े सूझ-बूझ से काम लेकर मद्य-निषेध के बारे में एक स्पष्ट नीति की घोषणा की है। श्रीमन्, आपके माध्यम से एक शेर पढ़ दूं जो मेरे साथी उधर बैठे हैं उनके लिए मुखातिब हैं—पिलाकर गिराना तो सबको आता है,
मजा जब है गिरतों को थाम ले साकी।

तीन साल की गल्तियों को सुधारने का मौका हमको मिला है। इन तीन सालों में उधर जो मेरे माननीय सदस्य बैठे हैं जब वे इधर बैठते थे तो मद्य-निषेध के बारे में जो नीति अख्तियार की थी उसके परिणाम स्वरूप हजारों, लाखों लोग मृत्यु के निकट पहुंचे गये हजारों, लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये, किसी को टी० बी० हो गयी, किसी के गुर्दे खराब हो गये, किसी

की आखों की रोशनी जाती रही। हां, एक बात जरूर हुई अच्छी। चौधरी साहब का ख्वाब कि काटेज इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाय। तो गांवों में श्रीमन, उन्होंने काटेज इन्डस्ट्री स्थापित कर दी जिससे कच्ची शराब बिकने लगी जिसमें चूहे मारने की दवा मिलाई जाती थी यूरिया की शराब बनायी जाती थी और जिसका अन्जाम आपने लखनऊ में देखा, जिलों में जिससे हजारों, लाखों लोगों को अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। यही नहीं श्रीमन्, नैनीताल जाने का मुझे इत्फाक हुआ। जनता पार्टी का शासन था। दूसरे दिन सुबह जब मैं टहलने के लिए निकला तो वहां सड़कों की झाड़ियों में हजारों बोतलें मृत्यु संजीवनी सुरा के नाम पर खाली पड़ी थीं। श्रीमन्, उनमे मैथिलेटेड स्प्रिट को प्रोसेसिंग करके हरे रंग को निकाल कर भरा जाता था और बेचा जाता था। हमारे जो पूर्व के आबकारी मंत्री थे, माननीय मोहन सिंह जी जानते हैं, लाखों रुपये कमा कर ले गये अपने मंत्रित्व काल में।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य जरा ध्यान रखें कि वह क्या कह रहे हैं ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल––

मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री मोतीलाल देहलवी––

मान्यवर, जिस पर माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है अगर वह सदन में न हो और इस समय सदन का सदस्य न हो तो क्या उस पर आरोप लगाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य के भाषण में जब यह बात आई तो मैंने पहले उनको इस बात से आगाह किया कि वह इस तरह से आरोपात्मक भाषण न करें। देहलवी जी ने जी व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि जो सदस्य इस सदन में नहीं हैं उसके संबंध में निश्चित रूप से कोई आरोप नहीं हो सकता है लेकिन अगर कोई सदस्य किसी पद पर रहा है तो उस पद के अनुसार की गयी कार्यवाहियों पर, उस पद के अधिकार के कारण किये गये कार्यों पर चर्चा हो सकती है चाहे वह उपस्थित हो या न हो। लेकिन ऐसा आरोप जो पद से संबंधित न हो, जैसे बहुत कमाया तो कमाने के लिए पद नहीं होता वह व्यक्तिगत आक्षेप है और ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल––

माननीय गुप्ता जी ने अभी महात्मा गांधी का नाम लेकर फरमाया कि पूरे प्रदेश में मद्य-निषेध होना चाहिये था। इसमें उनकी पार्टी का क्या योगदान है उसके लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आगरा में एक घटना घटित हुयी जिसमें अवैध शराब पीने से एक दर्जन लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। उसके बाद कैमिस्टों के यहां छापे मारे गये एक कैमिस्ट के यहां आगरा के सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, ए० डी० एम० (सिटी) तथा ड्रग निरीक्षक तलाशी लेने के लिये पहुंचे। बाहर जो कमरा था उसकी उसने तलाशी दे दी। उस कैमिस्ट की दूकान के अन्दर एक कमरा और था जिसमें ताला लगा हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि इस ताले को खोलो, इसकी तलाशी लेनी है तो उस कैमिस्ट ने फरमाया कि यह कमरा भारतीय जनता पार्टी (शहर) का कार्यालय है और इस ताले की ताली उनके अध्यक्ष के पास है और जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक वह कमरा नहीं खुल सकेगा। यह उस कैमिस्ट ने लिखकर दिया। दुकान के अन्दर जाकर कोई कमरा हो जिसमें कोई रोशनी न हो न कोई खिड़की हो और जो दुकान 10 बजे खुलती हो और आठ बजे बन्द हो जाती हो वह किसी पार्टी का कार्यालय हो यह बात किसी की समझ में नहीं आ सकती। इस घटना से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि नकली अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कौन हैं ? इधर हैं या उधर

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--]

है इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं और उस कैमिस्ट के उक्त कथन से भी आप समझ सकते हैं कि कहने में और करने में कितना अन्तर है। तलाशी नहीं होने दी। उनके अध्यक्ष ने मना कर दिया कि वह ताला नहीं खुलेगा। इसमें श्रीमन्, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां जो अवैध शराब का स्टाक था वह जनता पार्टी के कार्यालय के नाम से खुला हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपस में बातचीत न करें।

[समय 1 बजे अपराह्न]

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, शासन ने जो अब निर्णय लिया है वह बहुत ही सामयिक कदम था। विगत जनता पार्टी के काल में लाखों करोड़ों रुपये का जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिये था उससे भी हाथ धोया और दारू फिर भी बन्द नहीं हुयी, बिकती रही। आगरे की एक मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर जनता पार्टी के शासन में एक मन्दिर के बगल में एक दुकान खुली। वह राम मन्दिर कहलाता है। जब पुलिस की दबिश होती थी तो लोग मंदिर में पहुंच जाते थे और गोश्त और मीट खाने के बाद उसकी हड्डियां मंदिर में फेंक दिया करते थे। श्रीमन इस सम्बन्ध में वहां के लोगों ने अनशन किया कि इस ठेके को वहां से हटा दिया जाये। काफी कोशिशों के बाद वह कच्ची शराब का ठेका वहां से हटा दिया गया लेकिन उसके बाद उसी ठेके को एक ऐसे मोहल्ले के अन्दर ले जाया गया जहां हरिजन और गरीब लोग रहते हैं मजदूरी पेशा के लोग वहां रहते हैं, जहां पर महिलायें सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिये आती हैं और गली में सोती भी हैं। ऐसी जगह पर उस ठेके को स्थानान्तरित कर दिया गया। वहां पर आज दो महीने से लगातार वहां के नागरिक, महिलायें, पुरुष अनशन पर बैठे हुये हैं और कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने यह समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने यह आदेश दिया कि उस बस्ती से उस ठेके को हटा दिया जाये और अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाये लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आज 15 दिन होने जा रहे हैं अभी तक उसे स्थानान्तरित करने की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी है। ऐसे मौके पर मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो आमरण अनशन पर इस विषय में लोग बैठ रहे हैं उससे स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है। हजार पांच सौ महिलाओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी जिलाधीश के कार्यालय पर किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यावाही नहीं हो सकी है। तो आबकारी मंत्री जी, यह एक मानवीय समस्या है जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं, इसलिये आप इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। जिन ठेकों का अभी नीलाम हुआ है उनके लिये अलग जगह बनायी जाये। वे ऐसे स्थान हों जो स्कूल और कालेजों और औद्योगिक संस्थानों से अलग हों। बस्तियों से अलग उनको जगह दी जाये और मैं समझता हूं कि इसके लिये विधान भी है कि उन्हें स्कूल, कालेज, मन्दिर या मस्जिद या धार्मिक संस्थाओं से अलग बनाया जाये ताकि आम नागरिक की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं सिर्फ दो-तीन मिनट ही और लूंगा। श्रीमन्, कल लखनऊ के अंदर पूरे जोर-शोर से सेलीब्रेट किया गया। अमीनाबाद में कोकाकोला की बोतलों में आधी शराब

और आधी कोकाकोला मिलाकर लोगों ने पीया और हजरतगंज नरही में एक लम्बी लाइन लगी हुयी थी आदमियों की और "झूम शराबी झूम" का गाना गाते हुये लोग निकल रहे थे। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी नजर रखनी होगी। लोग पियें लेकिन दायरे के अन्दर रहकर। मैं राना साहब से भी यही निवेदन करूंगा। इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, आज बड़ी संकट की परिस्थिति मंत्री जी के लिये है और वह भी ऐसे मंत्री के लिये जो स्वयं जहां तक मेरी जानकारी है शराब पीते नहीं हैं। अपनी मर्जी के खिलाफ उनको मजबूरी में जैसा कि उन्होंने कहा, यह अनुदान रखना पड़ रहा है। यह कितने खेद की बात है कि आज यह पहला ही दिन है इस माननीय सदन में मांगों पर चर्चा का और उसका शुभारम्भ शराब के नशे से शराब खोलने से हुआ है। यह कितने खेद की बात है। पूरे प्रदेश के लोग क्या समझेंगे कि इस माननीय सदन के अधिकतर सदस्य क्या शराबी हैं, या इस मंत्रि-मण्डल के अधिकतर सदस्य शराब पीते हैं, मैं तो इससे भी बढ़कर यह समझता हूं कि आप यहां पर महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हुये मजबूर हैं कि इस मांग को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिये अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर इस माननीय सदन में लगी हुयी है।

श्री अध्यक्ष––

वह तो माननीय सदस्यों की आज्ञा का पालन करना है।

श्री रियासत हुसैन––

तो आज क्या चीज पास होने जा रही है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का हवाला मैंने इसलिये दिया कि "शर" के माने होते हैं झगड़ा और "आब" के माने होते हैं पानी, तो झगड़े का पानी पिलाने के लिये इस माननीय सदन में मांगे पास की जा रही हैं। जैसा कि अभी डाक्टर साहब ने कहा कल हजरतगंज और अमीनाबाद में क्या हुआ ?

श्री त्रिवेनी राय––

मैं आपके माध्यम से रियासत साहब से पूछना चाहता हूं इससे पहले भी ऐसा हुआ है।

श्री रियासत हुसैन––

मैं समझ रहा था कि माननीय मंत्री जी इस प्रदेश के इतने उदार हो गये हैं कि कहीं उन्होंने कपबोर्ड के अन्दर शराब न रख दी हो यह आशंका मुझे हो गयी थी मान्यवर, जनता पार्टी के शासन में एक कदम उठाया गया था जिसके लिये आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का आप पूरा इतिहास उठा लें कि जब से इस देश के अंदर उसका जन्म हुआ कोई भी अधिवेशन ऐसा नहीं हुआ जिसमें प्रोहीबीशन के लिये प्रस्ताव न पास हुआ हो, जिसमें प्रोहीबीशन के लिये सत्याग्रह न किया गया हो और लोग जेलों में न गये हों। इस देश में सबसे आगे बढ़कर इस काम के लिये यहां की औरतों ने कदम उठाया और शराब की दुकानों के आगे पीकेटिंग की। कौन सी कार्यवाही नहीं की गयी प्रोहीबीशन के लिये इसे मुझे बताना जरूरी नहीं है, मंत्रि परिषद् का हर सदस्य इस बात को जानता है क्योंकि पहले तो लोग समझते थे कि शराब पीने दुकान में घुस रहे हैं खराब समझते थे दायें देखा और बायें देखा और भक से अन्दर। यानी छुपकर, शर्म के साथ जाते थे। अब वह चीज नहीं होगी, अब पीने वालो को यह परमिशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

मिल गयी कि उत्तर प्रदेश सरकार और शासन ने जिलों जिलों के अन्दर इसे चला दिया है--वह शराबबन्दी कार्यक्रम को चलाने के लिये नाकाम हो गयी है और उससे हार मानकर सरकार ने मजबूरी बेशर्मी के साथ उसे खोल दिया है। अब पीकर मूछों पर ताव देकर यह कहकर निकलेंगे कि देख लो लोगों हम शराब पीकर निकले हैं। अब उससे अनेकानेक झगड़े होंगे चाहे कुटुम्ब के अन्दर हों और चाहे सड़क पर हो, चाहे रात के झगड़े हों, वह कितने ज्यादा होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होगी।

अब मैं छोटी-छोटी दो एक बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं यह जो है कि रिक्शा वाला पिये तो वह मुजरिम, वह जेलखाने में बन्द कोई मिडिलमैन पिये तो वह खराब आदमी है, किन्तु यदि नैनीताल क्लब और जिलों के क्लबों में बैठकर वह पी जाती है, जिसे वकील-बैरिस्टर, सेठ और अफसर तथा सरे सफेद पोश लोग बैठ के पीते हैं तो वह शौक करते हैं, एक अच्छा-सा काम करते हैं, यह चीज अब कतई नहीं होनी चाहिये। क्लब में बैठकर पीने वाले से कोई नहीं पूछता कि क्या पी जा रही है, क्यों पी जा रही है। तो अब सब जगह बैठकर पीने वालों के साथ एक-सा कानून और एक सा उसका पालन होना चाहिये। इसमें हमने बड़ी बेशर्मी से कमर बांध ली है, तो उस पर अब ज्यादा चर्चा ही क्या करनी है?

पहले दुकानों से स्कूल, कालेज, मन्दिर, मस्जिद और दूसरे ऐसे ही स्थान पास होने की शिकायतें आपके पास आती थी। तो आप कम से कम इस सम्बन्ध में एक चीज अवश्य कर दें कि आज जो भी कोई दुकान खुले वह दुकान जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र में हो, उससे राय जरूर लें अर्थात् उसकी स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में कोई दुकान कतई खोलने की सरकार की तरफ से अनुमति न दी जाये। क्योंकि कोई दुकान गलत जगह पर खुले और फिर विधायकों द्वारा आपके पास शिकायत आये कि यह मस्जिद के पास है या मन्दिर के या और ही कुछ ऐसा और उस मामले में इनक्वारी करते फिरें, विवाद हो, तो उससे अच्छा और उचित यही होगा कि पहले से ही आप यह सावधानी अवश्य बरतें, जिससे यह नौबत ही न आने पाए। इससे जो वर्तमान रूल्स हैं उनकी अवहेलना नहीं होने पायेगी। इन बातों को सामने रखते हुए मैं कुछ ज्यादा न कहकर, केवल मुझे खेद है कि जनता पार्टी ने देश में एक अच्छा काम किया था, सही दिशा में कदम उठाया कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उसे समाप्त कर दिया, उसका जो भी फल होगा उसको आप भोगेगें। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बजकिशोर--

मान्यवर, हमारे राजस्व मंत्री ने आबकारी के संबंध में जो अनुदान संबंधी मांगें प्रस्तुत किया हैं, सर्वप्रथम तो मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा (व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने शराब शब्द का विश्लेषण किया है। मैं समझता हूं कि वे उर्दू भाषा के ज्ञाता हैं लेकिन उन्होंने इस शब्द का विश्लेषण ठीक ढंग से नहीं किया है। शराब एक ऐसी वस्तु है कि इसे हर आदमी नफरत की निगाह से देखता है लेकिन क्यों महात्मा गांधी का नाम बार-बार हर मुद्दे पर उठाना, हर मुद्दे पर उसकी चर्चा करना उचित है? मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य सत्यता से कोसों दूर रह कर महात्मा गांधी की चर्चा किया करते हैं। मैं उनकी याद को पुनः ताजी करना चाहूंगा कि जब उनकी हकूमत थी तो शराब बन्दी की आवाज बहुत जोरों से उठायी गयी थी, चन्द जगहों पर शराब बन्दी करने के आदेश भी पारित किए गये थे। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस आदेश का पालन आपने महात्मा गांधी के निर्देश के अनुसार करने की कोशिश की थी। आपने उत्तर प्रदेश, आपने बिहार, आपने मध्य प्रदेश, आपने राजस्थान में ऐसी व्यवस्था की कि स्मगलिंग और तस्करी का अम्बार लग गया। अखबारों के पन्ने में रोज पढ़ने में आता था कि कानपुर में

शराब पीने से 10 आदमी मर गये, किसी दिन पढ़ने को मिलता था कि पटना में 44 आदमी शराब पीकर मर गये। क्या आपकी शराब बन्दी की यही व्यवस्था थी? जब आप की हुकूमत प्रदेश में और दिल्ली दोनों जगह थी तो मैं स्वागत करता यदि आप पूरे देश में शराब बन्दी का आदेश जारी करते। आपने उस समय वैसा क्यों नहीं किया? अगर मैं सत्यता के रूप में कुछ कह दूंगा तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि सत्य कहना कटु होता है। शराब के नाम पर आपने संजीवनी सुरा चला रखी थी, शराब के नाम पर आपने मूत्रपान तक कराया, मैं इस को दुहराना नहीं चाहता। शराब कोई अच्छी वस्तु नहीं है, निहायत ही बुरी वस्तु है लेकिन अगर समूचे देश में इसे बन्द करते लेकिन आपने केवल कागज पर तो कानून बना दिया कि शराब बन्दी कर दी जाय लेकिन हुआ क्या? पान और चाय तक की दुकान पर शराब मिलने लगी तो इस प्रकार से पिछली सरकार ने दुर्व्यवस्था से इस प्रदेश को जर्जर कर दिया, इसका सत्यानाश कर दिया, उसको मैं पुनः दुहराऊंगा नहीं। जो भी कानून बने, मैं चाहता हूं कि वह पवित्र बनें, व्यवस्था जो लागू हो, वह सही तरह से लागू हो। अगर इस चीज को हमारी सरकार करती शराब बन्दी करने का निर्णय लिया होता, तो मैं दिल से शुक्रगुजार होता लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि तस्करी और स्मगलिंग ही होने लगे। माननीय गुप्ता जी कह रहे थे कि जिस समय कांग्रेस हुकूमत आयी थी मद्यनिषेध लागू करने की बात कही गयी थी।

मान्यवर, जब आपकी (विरोधी पक्ष) में हुकूमत थी तो शराब की दूकाने गलियों में और चौक में खुलती थीं। हमारे मोहन सिंह जी जो इनकी बगल में बैठते हैं, उनके ही यहां तिलक चौक में सबसे अधिक दुकाने खुलीं, उस वक्त आपकी बुद्धि कहां चली गयी थी।

श्री अधिष्ठाता --

अब आपका समय समाप्त।

श्री बृज किशोर--

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री छत्तर सिंह --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी बिल पास करने के लिये, इस बिल पर बोलने का मौका दिया। प्रदेश में शराब खोलने के लिये सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है इससे बड़ा समाज विरोधी काम और कोई हो नहीं सकता गांधी जी ने कहा था कि जब तक इस समाज के बीच शराब रहेगी तब तक उस गरीब, मेहनतकश और समाज में दबे हुए लोगों का विकास नहीं हो सकाता जो ऐसे लोग रोजाना रोजी कमाते हैं उनकी गाढ़ी कमायी का अधिकांश पैसा शराब में चला जाता है। उसकी बीबी और बच्चों को रोटी तक नसीब नही हो पाती है। इसके अलावा शराब का पीना स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक होता है। जो सरकार गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने का दावा करती है वही आज उनके सिद्धान्तों को तोड़ रही है। गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले शराब को हटाना होगा।

मान्यवर, यह सरकार ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने जा रही है जहां मन्दिर है चौक है, स्कूल और कालिज हैं। उनके नजदीक शराब की दुकानें खोलने से बच्चों पर बड़ा खराब असर पड़गा है। समाज के नैतिक मूल्यों का कायम रखने के लिये, नवजवानों का चरित्र ऊपर उठाने लिए, यह आवश्यक है कि कम से कम ऐसे स्थानों पर शराब की दूकानें न खोली जायें जहां पीने वालों को हर आदमी देख सकें, बच्चे देख सकें। जब आदमी शराब पी लेता है तो वह आदमी नहीं रहता, उसका विवेक चला जाता है सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति आ जाती है। शराब के ही कारण समाज में अनेकों अपराध बढते हैं। शराब पीने वाले दूसरे लोगों के लिए एक सरदर्द बन जाते है। शराब के ही कारण अपराध अधिक होते हैं। तो कम से कम अगर शराब

[श्री छत्तर सिंह--]
न होती, इस शराब को हटा लिया होता पूर्ण रूप से अपराध कम करने की दिशा में भी एक कदम होता । मगर सरकार चाहती है, कांग्रेस सरकार चाहती है कि इस प्रदेश में अपराध कम हों या न हों, लेकिन ठेके नीलाम करने से जो सरकार को एक गन्दी आमदनी होने जा रही है, उसमें कुछ लोग भागीदार हो जायें । मैं यह कहता हुं कि शराब समाज के लिए कलंक है । इस शराब को अगर इन्होंने पूर्ण प्रदेश से हटाया होता, जनता पार्टी की सरकार ने तो कुछ जिलों से हटाया था, अगर यह सरकार पूर्ण प्रदेश से हटाती तो हम भी समझते कि इन्होंने गांधी जी के कदम पर चलने का प्रयास किया है ।

श्री अधिष्ठाता--
माननीय सदस्य का टाइम खत्म हो रहा है ।

श्री छत्तर सिंह--
मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के संबंध में पुनः विचार करके इसको वापस ले लें ।

श्री मुईद अहमद--
माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह बिल पास होने जा रहा है शराब के सिलसिले में, इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मद्य निषेध और दूसरी तरफ शराब खुलने की बात है । यह दो बातें बड़ी विरोधाभास लग रही है । हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों की यह बात सही है कि एक तरफ मद्य निषेध लागू किया जाता है और उसके लिये सारा दफ्तर है और दूसरी तरफ शराब खोली जा रही है । ऐसे ही एक सुझाव मैं देना चाहता हूं जब जनता पार्टी का शासन कायम हुआ, तो कुछ जिलों में मद्य निषेद्य लागू किया गया, तो उस समय माननीय सदस्यों को विरोधाभास नहीं लगा, जब उन्होंने कुछ जिलों में शराब बन्द करने की योजना को लागू किया और कुछ जिलों में शराब चालू की । जहां पर उनकी योजना शराब बन्द करने की थी, वहां पर भी लोग अवैधानिक रूप से शराब पी रहे थे । यही नहीं लोग जहरीली शराब भी पीने लगे थे जिनके कारण अनेकों मौतें हुई, जो अखबारों से पता लगता है । आज यह माननीय विरोधी दल के सदस्यों को विरोधाभास लग रहा है । लेकिन इनको सही माने में व्यवहारिक दृष्टिकोण देखना चाहिये । जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, तो उसने व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं देखा । उस समय एक तरफ तो कुछ जिलों में शराब बन्दी की गयी थी कुछ जिलों में खोली गयी थी । जहां पर शराब बन्दी थी, वहां पर दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में बढ़ावा हो रहा था ।

आज व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह बिल अपनी जगह पर बिलकुल सही है । अगर हम शराब कुछ जिलों में खोल रहे है या शराब जो बन्द कर दी गयी थी, उस जिले में बढ़ावा दे रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जहां पर शराब बन्द हो गयी थी, वहां पर न पीना बन्द था और न बिकना बन्द हुआ था । इस संबंध में मेरा सुझाव है । जब शराब बन्द कर दी गयी थी, वहां पर अवैधानिक तरीके से शराब बनती थी और बिकती थी और वहां पर अवैधानिक तरीके से शराब बनाने वालों का धंधा चलता था । यह अतिउत्तम होगा कि यह अवैधानिक तरीके से बेचने वालों के बजाय वहां पर वैधानिक तरीके से शराब खोली जाय, जबकि उससे लाभ हो और जो चोरी-चोरी सब काम होता था, पुलिस को रिश्वत दी जाती थी वह सब के सब अवैधानिक धंधे बन्द हो जायेंगे । आज उन जिलों में जहां पर शराब बन्दी लगी हुयी थी, वहा पर भी शराब जनता सरकार रोक नही पायी । मैं एक उदाहरण देकर कह सकता हूं कि अगर कहीं थाना कायम किया जाय और वहां चोरी डकैती न बन्द हो तो यह कह दिया जाय कि थाना बन्द कर दिया जाय । यह उचित नहीं । मगर शराब बन्दी के लिए यह बात वैसी नहीं है । अगर आपको वाकई मद्य निषेध लागू करना है तो हमको शिक्षा द्वारा उसके भंयकर परिणामों, उसके द्वारा फैलने वाली कुरीतियों तथा उसके जरिए बढ़ने वाले अत्याचारों के बारे में पब्लिक को, आवाम को बताएं तब जाकर मद्यनिषेद लागू करें । इस तरह कानून द्वारा लागू कर इसका नतीजा आपने

देख लिया, जिससे तमाम बुराइयों ने जन्म ले लिया, तस्करी शुरू हो गयी, उस पर ब्लैक शुरू हो गया। पीने वाले चोरी छिपे पी लगें। लोगों ने जहरीली शराब बनानी शुरू कर लोगों को मारन शुरू कर दिया। यह उस वक्त की व्यवहारिक नीति थी और आज आप शराब बन्दी की बात करते है।

सुल्तानपुर जिला मान्यवर, एक पिछड़ा हुआ जिल है। सिविल लाईन के पास पिछली सरकार के जमाने में कुछ लोग बैठा करते थे, जिस जगह पर गवर्नमेन्ट स्कूल भी है, शराब की दुकान खोली गयी, जिसमे बैठ कर वहां के लोग पीते हैं। जहां कुछ शरीफ घराने के लोग भी रहते थे। वह गुण्डों का राज्य कायम किया गया इनके राज्य में। मै कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय रियासत साहब यहां मौजूद नहीं है, जिन्होने शराब की स्पेलिंग को गलत ढ़ग से बताया। उसको 'शर' यानी बुराई से लिया लेकिन सर में छोटी सीन और रे है और शराब में बड़ी शीन है।

मान्यवर, आज यह विपक्षी लोग महात्मा गांधी की दोहाई दे रहे हैं और महात्मा गांधी की समाधि पर कसम खाकर भी उनके आदर्शों को तोड़ रहे और आर0एस0 एस0 के लोगों की जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, उन्ही लोगों के इशारे पर पिछली सरकार ने सारे काम किए और आज शराब बन्दी पर जोर दे रहे हैं और बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं अगर सही मायनों में शराब को बन्द करना है तो वह पढ़ाकर, समझा कर ही बन्द की जा सकती है, तभी देश और प्रदेश को ससे लाभ होगा।

*श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आबकारी मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तुत की गयी मांगों का समर्थन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार और उसके जो मुख्य मंत्री है और उनके मंत्रिमण्डल का मै आभारी हूं कि जनता सरकार ने जो भावना मे आ कर के जो शराब बन्दी का निर्णय लिया था, उसको समाप्त किया। मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय रियासत हुसैन पूजनीय महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि महात्मा गांधी के सामने अब यह बात बार-बार आयी तो उन्होने कहा कि शराब बन्द कर दी जानी चाहिए। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनको मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस इस देश की परिस्थिति सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही बदला करती है जिस प्रकार से आज यह विरोधी पक्ष के लोग शराब बन्दी के विषय पर अड़ गये हैं, जिस तरह से पिछले तीन वर्षों में जनसंघ, सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग एक दूसरे से जुड़े थे।, जब कि एक दूसरे के विचार अलग अलग थे, लेकिन इन लोगों की उस वक्त की यह मांग थी कि यह सब जुड़कर मिलकर एक सरकार बनावें और सरकार बनाकर उसको कुछ दिन चलाए। लेकिन विचार नहीं मिले और समाज ने उसको कबूल नहीं किया। तो तीन वर्षों के अन्दर फिर टूट गयी और आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में जब शराब बन्दी लागू किया, उत्तर प्रदेश का पहला आदेश जब प्रसारित हुआ तो केवल 12-13 जिलों में शराबन्दी लागू की गयी। बाकी सारे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। पहाड़ के एक आध जिले को ले लिया, बाकी सारे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। उस वक्त मालूम नहीं था कि महात्मा गांधी के विचार क्या थे? मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकार पर कुछ ऐसा दबाव पड़ा कि कुछ जिलों में शराब बन्दी लागू न की जाय इसलिए जानबूझ कर उन जिलों में लागू नही किया और जिलों में लागू किया। लेकिन हुआ क्या? उनके नेता जो दिल्ली में बैठे हुए थे दिल्ली में बैठ कर सबको पेशाब पीने का उपदेश दे रहे थे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री मै शायद याद दिलाना चाहता हूं, जब अमेरिका गये और वहां पत्रकारों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री से पूछा कि आपने पेशाब पीने के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा प्रेस वालों से कि जरा पीकर देखिये। इस तरह की बुरी बात भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कही, तो जब कहा कि शराबबन्दी लागू की जाय तो क्या असर पड़ा होगा? दूसरे शराब बन्दी नाम को लागू थी, गांव-गांव शराब की भट्टियां चालू हो गयी थीं। जो पुलिस लोग थे, जो दरोगा और थाने के लोग थे, उनके लिए रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी]

कमाने का स फ रास्ता खुल गया था। स्प्रिट रंग करके बेची जाती है। इनकी शराब बन्दी का परिणाम हुआ कि स्प्रिट पीना शुरू हो गया। जो स्प्रिट पीना बन्द हो गया था शराब बन्दी लागू होने से स्प्रिट पीने का शौक लोगों को बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के हर कस्बे और गांव के लोग शराब पीकर घूमते थे। यही नहीं सड़क पर शराब पीकर घूमते थे और आज कहते हैं कि हम तो शराब बन्दी के माफिक हैं। इनके आंकड़े लिए जांय तो पता चलेग कि उत्तर प्रदेश मे हजारें लोग इस कानून से मर गये। लखनऊ में 70-80 आदमी शराब पीकर मर गये और आज शराबबन्दी की बात कहते हैं। जो उधर विद्वान सदस्य बैठे हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि बार-बार गांधी जी का नाम लेकर अपने को कंलकित न करे। वह अपनी सरकार को चला ही न सके, अपने विच र को लागू नहीं कर सके। अब शराब बन्दी की बात करते है। इन शब्दों के साथ सरकार की तरफ से जो मांग प्रस्तुत की गयी है, मै उनका समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी —

अधिष्ठात महोदय, जब कभी किसी बात में तर्क नहीं होता तो मान्यवर, कुतर्क का सहारा से ही लेना पड़ता है। आज इस बात को देख कर कि शराब खोलने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो तर्क दिये हैं उन कुतर्कों को सुनकर मेरा ख्याल है कि इस सदन के काफी लोगों की गर्दन शर्म से झुक गयी होगी। मान्यवर, मंत्री जी का एक तर्क यह था कि उन्होने शराब इसलिए खोली कि तस्करी होती थी। दूसरा तर्क आप का था कि लोग जहरीली शराब पी रहे थे। उससे आमदनी हो नही रही थी और लोग मर रहे थे। तीसरा तर्क दिया कि मृतसंजीवनी सुरा कोई औषधि थी जिसे लोग उसका सेवन करने लगे थे उससे नुकसान उठा रहे थे। चौथा तर्क दिया कि मान्यवर, जब कि तक सम्पूर्ण देश में नशाबन्दी लागू न की जाय तब तक कुछ जिलों में अथवा प्रदेश के कुछ जिलों में नशाबन्दी लागू करना ठीक नहीं होगा उसमें से नशाबन्दी की स र्थकता नहीं होगी। मान्यवर, एक दिन वह था कि जब इसी सदन में आपके पीछे जो पूज्य महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, एक दिन वह इस सदन मे आया था जब इस सदन के माननीय सदस्यों ने शराबबन्दी करके सही माने में,सही अर्थों मे पूज्य महात्मागांधी के चरणों पर श्रद्धा के फूल अर्पित किये थे। आज ऐसा अभागा दिन है इतना अशुभ दिन है कि मान्यवर, आज शराब खोलकर हम महात्मा गांधी की वाणी का अपमान करने जा रहे हैं।

म न्यवर, एक तर्क यह देते हैं कि अवैध शराब बिकने लगी थी। अगर शराब बन्दी करनी है तो पूरे देश में होनी चाहिये। मैं कहना चहत हूं। कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि आज लगभग सभी प्रदेश में आपकी सरकार है दिल्ली में आपकी सरकार है। अगर आप पूरे देश में नशाब दी लागू करना चाहें तो कौन रोक सकता है ? कोई नहीं रोक सकता नशाबन्दी पूरे देश में यह करा सकते हैं लेकिन करना चाहते नहीं। दिल्ली में था गाधी जी की प्रार्थना सभा में सन् 47 में उस समय पाकिस्तान से विस्थापित लोग दिल्ली आ रहे थे उनके स मने यह प्रश्न पैदा किया गया कि हमारे पास जब इतनी जगह नहीं है तो हम किस किस विस्थापित को जगह दें। मान्यवर, गांधी जी का कहना थी कि आप सब विस्थापितों को स्थान दें पायेंगें या नहीं प्रश्न यह नहीं है। आप जितनों को स्थान दे सकते है आप उन विस्थापितों को अपने यहां स्थान दे। गांधी जी का शब्द था मान्यवर उसी तरह नशाबन्दी का प्रश्न है कि, आप शनैः-शनैः जितनी जगह नशाबन्दी पर सकते हैं, शराब बन्दी कर सकते हैं करते और एक दिन वह लाते कि सारे देश की शराब बन्दी, नशाबन्दी हो जाती। मान्यवर, शायद मेरे इस तर्क से माननीय मंत्री जी सहमत हों। भाई रियासत हुसैन ने बताया कि उनको शराब से चिढ़ है, नहीं पीते हैं। माननीय मंत्री जी मेरे इस तर्क से सहमत होंगे कि शराब विवेकशून्यता देने वाली पदार्थ है और अनुचित कार्य का उत्प्रेरक पदार्थ है और मान्यवर, विवेक शून्य कौन होता है ? अपराधी, अपराध करने वाला और वह जो व्यक्ति व्यभिचार पर उतारू हो जाता है। अगर इस सरकार को गांधी जी का ख्याल नहीं था तो मान्यवर, आज जो वर्तमान वातावरण है, वर्तमान स्थिति है समाज की कि देश में जन जीवन सुरक्षित

नहीं है, डकैती बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है, कतल व बलात्कार बढ़ रहे हैं। कई जिलों में दंगे फसाद की स्थिति पैदा है। मान्यवर, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान वातावरण में नशा बन्दी खोलना, इससे ज्यादा विवेक शन्यता की बात नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूर्णता विवेकशून्यता की स्थिति में हो गयी है कि आज ऐसा गलत काम करने जा रही है। मान्यवर, मेरे वहां मेरे लड़कों को एक वकील साहब पढ़ाने आते हैं। कल वह बयान कर रहे थे कि जिधर से निकले शराब की दुकान के पास निकलने का जगह नहीं थी, इतनी भीड़ लगी थी जो लोग शराब पिये हुए थे वे कह रहे थे कि अब हम जम कर अपराध कर सकते हैं। फलां जगह फलां सुन्दरी से मिलना है। डकैती करने वाले लोग थे और ऐसा कह रहे थे। वह मास्टर साहब कह रहे थे कि वे पीने वाले लोग कह रहे थे कि जय हो कांग्रेस सरकार की कि आज का दिन हम को मिल गया। किस को खुशी है शराब मिलने से ? डकैत को, चोरों को, अपराध करने वालों को, व्यभिचार करने वालों को। आज इस सरकार ने शर्म और हया को ताक पर रख कर, गांधी जी की वाणी को ताक पर रख कर विवेकशून्यता का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अगर जरा भी हया होती तो इस वातावरण में इस सरकार को नशा बन्दी नहीं तोड़नी चाहिये थी। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का तर्क गलत है। वह कुतर्क है। उन्होंने सिर्फ बात कह दिया मृत संजीवनी सुरा की। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नशे के लिए बिक्री हो रही है और होती रही है एक जहरीली चीज की। जब शराब बन्द हुई थी तब और खुली थी तब चीज चली थी टिंचर-जिंजर। मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर जिले में टिंचर-जिंजर का उत्पादनकर्ता कौन थी ? क्या कांग्रेस आई के लोग रहे हैं या नहीं ? वह कहते हैं कि नशाबन्दी से तस्करी हो रही थी मैं कहना चाहता हूं कि वह अभी भी होगी। इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि अगर सही माने में तस्करी रोकना चाहते हैं तो सारे देश में शराब का एक भाव व एक किस्म कर दीजिए। अगर आप शराब से लोगों की जान-माल की रक्षा करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि टिंचर जिंजर बन्द करायें और वह जहरीली नशे की चीज बन्द करायें। मान्यवर, आज भी इस जहरीली चीज को बनाया जा रहा है कि जो पहले शराब में ज्यादा नशे के लिये बनाया जाता था। लोगों की जान जाती थी और जब शराब बन्द हुई तो भी वह इस्तेमाल हुई। तो भी अन्त में सुझाव देता हूं कि अगर उन्होंने शराब खोल ही दी है तो मान्यवर, तस्करी को बचाने के कदम उठायें। तथा जहरीला पदार्थ मिलाने को रोकने का और आखिर में मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो बहुत अच्छा काम किया है, कटौती का प्रस्ताव रख कर, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कैलाश टण्डन—

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं बड़े गौर के साथ सुन रहा था। यह 4 बातें कही गयीं। मैं एक बात जानना चाहता था कि यह प्रथा इस मुल्क के अन्दर कब से है। पुराणों में, धार्मिक किताबों में, वेदों में सोमरस, मधुरस क वर्णन मिलता है। देवी-देवताओं की किताबें हैं, उनमें भी इसका वर्णन मिलता है। महात्मा गांधी की बातें बड़े जोर-शोर से की गयीं। महात्मा गांधी की नीतियों में यह जरूर था कि शराब बन्दी होनी चाहिये, शराब नहीं मिलनी चाहिये, लेकिन महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि बढ़ी हुई आबादी पर रोक लगानी चाहिये। शराब तब तक बिकती रहेगी जब तक आबादी बढ़ती रहेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश टण्डन]

जब हम लोगों ने परिवार नियोजन लागू किया तब इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि पोलियो और मेनजाइटिस के इन्जेक्शन इन्दिरा गांधी ने लगवाना शुरू किया है। (शोर)। अफवाह फैलाई कि ऐसे इन्जेक्शन से बच्चे नहीं पैदा किये जा सकेंगे। हालत क्या है, एक आदमी के बच्चे हैं, 10 रुपये रोज पैदा करता है, 7 रुपये की शराब पी डालता है, बच्चे क्रिमिनल निकलते हैं। जब तक आबादी पर रोक नहीं लगाई जायेगी शराब बिकना बन्द नहीं होगा।

कृष्ण चन्द्र जी की कहानी कहना चाहूंगा। हिन्दी में अनुवाद होकर प्रकाशित हुई है (शोर)। उसमें यह था कि मोरार जी देसाई जब सन् 52 में बाम्बे के मुख्य मन्त्री हुए वहां पर एक आदमी था जो अखबार की रद्दी बेचता था। कुछ समय बाद उसने एक बिल्डिंग बना ली। जब उसके घर कृष्ण चन्द्र जी गये तो उसके घर में मोरार जी की फोटो लगी थी। जैसे लोग राधा-कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं वह मोरार जी की पूजा करता था। पूछा मोरार जी की मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? उसने कहा इनकी पूजा तो मैं हमेशा करता रहूंगा न शराब बन्दी होती और न यह बिल्डिंग खड़ी होती। बनारस में शराब बिकती थी। (शोर)। बनारस के विश्वनाथ गली में लोक दल के लोग जूते में छिपाकर शराब लाते थे हलवैया मार्केट में शराब बिकती थी। ईमानदारी से कुरान और गीता की शपथ लेकर कर कहें कितने लोग पीते हैं, कितने नहीं पीते हैं। (हंसी)। यह सही बात है कि शराब को रोकना चाहिये। यदि शराब को रोकना है तो पूरे मुल्क के अन्दर इसका निषेध लागू होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त शराब हमारी आय का श्रोत है। विदेशों में शराब पी जाती है। लोग हज्ज करने जाते इससे काफी आमदनी होती है। सिंगापुर में भी उनकी आय का साधन यह है। जो विदेशी आते हैं वे बिना शराब के रह नहीं सकते हैं। यह भी निश्चित बात है कि जिनके पास पैसा है वे बन्द कमरों में पीते हैं। मान्यवर एक बाराबंकी के शायर रह चुके हैं उमर खैय्याम---उन्होंने लिखा है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, इस मुल्क के लोग शराब पीते थे। इसको सोमरस कहा जाता था। तो, मान्यवर, मुझे डर लगता है कि ये लोग कभी-कभी आदि सभ्यता और संस्कृति की बात बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं। मुझे तो, मान्यवर, डर लगता है कि यदि सभ्यता और संस्कृति की बात करते करते, ये लोग कहीं हम लोगों को आदिकाल की सभ्यता में न पहुंचा दें जबकि इंसान, इंसान को पहचानता नहीं था और भूख में इंसान-इंसान को खा जाता था। मान्यवर शराब बन्दी की बात उन लोगों को प्रोत्साहन देती है जो लखनऊ, बनारस और कानपुर में चुपके से शराब बनाते थे, लोगों को पिलाते थे। उसका नतीजा क्या हुआ? किसी की आंख चली गयी, कितने लोगों की मौतें हो गयी और वे मौत से पहले मर गये। तो इस तरह से शराब नहीं रुक सकती है, जिस तरह से रोकना चाहते थे। अगर वास्तव में शराब को रोकना चाहते हैं, तो चलिये सदन के बाहर निकलिये। उसके लिये प्रयास किया जाय। केवल कानून से किसी चीज को नहीं रोक पायेंगे। उसके लिए एक सामाजिक आन्दोलन होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस देश में पहले सती प्रथा होती थी। लेकिन राजा राम मोहन राय ने नेतृत्व किया, लोगों में जागृति पैदा की और सती प्रथा पर रोक लगाया गया। तो अगर आप लोगों में जरा भी ईमानदारी है तो, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके सामने कहता हूं कि यह लोग, मान्यवर, आयें और हम इनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर एक सामाजिक आन्दोलन का शुभारम्भ करने को तैयार हूं। आइये और लोगों को समझाइये कि शराब पीना गन्दी बात है इससे गरीब बच्चों को खाने के लिये पौष्टिक आहार, पहनने के लिये कपड़े और शिक्षा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आइये और लोगों को समझाइये कि शराब बुरी चीज है। आज उधर बैठ गये तो शराब की खोलने की आलोचना करने लगे।

बाराबंकी के उमरख्य्याम साहब मर गये। अम्मार साहब बैठे हैं उन को याद होगा, एक मुशायरे में बाराबंकी के खैय्याम साहब ने कहा था शराब बंद होने का क्या अंजाम हुआ? खैय्याम साहब ने कहा था कि- मीना की मौत मेरे वास्ते पैगाम बन गयी, मीना ने शराब छोड़ी तो पाकीजा बन गयी। तो शराब को बंद कराना है तो उसके लिये सामाजिक आंदोलन शुरू करें।

शराब बंदी केवल कानून से नहीं हो सकती है। उसके लिये एक सामाजिक आंदोलन चालू करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के मन को नहीं बदल सकते, तब तक लोग शराब पीना बन्द नहीं कर सकते यह दूसरी बात है कि एकादशी को पंडित जी कहते हैं कि भंटा नहीं खायेंगे और बाद में चौके में जाकर खालेंगे। तो यह चौका और चौकी की बात नहीं चलेगी कि चौकी पर कुछ कहें और चौके पर कुछ करें।

एक तरफ आप बिजली की बात करत हं। एक तरफ आप खेती की पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाय एक तरफ कहते हैं कि गांव के लोगों का विकास होन चाहिए। लेकिन पैसा है कहां से आयेगा? आप कहते हैं कि दूसरे टैक न लगायेंगे। अगर प्रोडक्शन टैक्स लगता या भूमि भवन टैक्स लगता है, तो हल मचाते हैं कि कांग्रेस सरकार की हुकूमत आयी और मंत्री-मंडल ने नये टेक्स लगा दिये और वायदा किया था कि कोई टैक्स भार नहीं लगाया यिगा। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप लोग सूबे की तरक्की नहीं चाहते हैं। आप लोग सूबे के स्तर को नहीं ऊंचा उठाना चाहते हैं। इस कारण मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हं। शराब खोलने से जो इनकम होगी, वह जो ब्लेकमार्केटीयर, तस्करी, करने वाले लोगों, चोर बजारी करने वाले लोगों के जेबों में जाती थी, वह अब उनके जेबों में नहीं जायेगी, बल्कि सरकार के पास आयेगी। एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता —
आप बैठें।

श्री कैलाश टंडन—
अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 14,16,18, लाख के ठेके बिकते हैं। 18 लाख के ठेके खरीदने ला ढ ई लाख की बिक्री दिखाता है तो फिर उ को प्रोफिट कैसे होता। जरूर इस बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस तरफ मंत्री जी जरूर ध्यान दें मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(समय 2 बजे अपर हुं)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—
मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझको आबकारी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आबकारी शब्द से मुझे चीन की याद आ गयी। जब वहां पर राष्ट्रीय सरकार च्यंगकाई शेक की थी तो वहां की सरकार ने वहां के लोगों को अफीम खाने की पूरी छूट दे रखी थी। हमारे यहां भी राष्ट्रीय सरकार बैठी हुई है। महात्मा गांधी का चित्र आपके सीधे सर के ऊपर है जो हमारी तरफ भी निगाह रखे ए हैं उन्होंने जो आन्दोलन चलाया थ शाय हमारे इन नवयुवको को उस आंदोलन का ज्ञान नहीं था। और बात भी ठीक है कि इ को उसका ज्ञान ना भी नहीं चाहिए। मुल्क बनने के बाद अगर ज्ञान आ गया होत तो शायद गांधी जी ने जिन उद्देश्यों के लिये देश का नेतृत्व किया था वह उद्देश्य पूरा हो गया होता। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में आये जिन्होंने अंग्रेजियत को अपनाया। अंग्रेज शराब पीते थे, बंगले मे रहते थे, ऐश करते थे। ठीक वही परंपरा हमारे कांग्रेसी भाइयों और नेताओं ने अपनायी। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में नेता थे उन्होंने शराब छुयी तक नहीं थी, देखी तक न थी। अगर उनमें से कोई नेता आज इस सत्ता में होता हो कभी इस बजट को न रखता।

मान्यवर, मैं गरीब श्रेणी से आया हूं और ऐसी श्रेणी से आया हं जिसके नातेदार, रिश्तेदार अनपढ़ लोग हैं, स्वयं मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। इन नेताओं ने बात कुछ और कही और करते कुछ और रहे। तो जब च्यांग काई शेक ने अफीम खाने की पूरी छूट दे दी तो उसका नतीजा हुआ कि सारे चीन के लोग अपनी आर्थिक लड़ाई को भूल गये और फिर जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आयी तो च्यांग काई शेक की सरकार का पतन हुआ। इनके लक्षण भी वही दिखाई दे रहे हैं। 30 साल तक इस सरकार का नेतृत्व पहले नेहरू, फिर लाल बहादुर

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट]
शास्त्री और फिर श्रीमती इंदरा गांधी ने किये। जिस पार्टी के नेता शराब पीते हों वह पार्टी शराब कैसें बंद कर सकती है? इसलिये जो यह आमदनी बढ़ाने के लिये, शराब के लिये जो प्रस्ताव रखा है इसमें मेरा एक सुझाव है। इनका पतन होना है तो अच्छे ढंग से हो।

मान्यवर, राक्षसी आहार को यहां हमारे देश में शराब माना गया है लेकिन कांग्रेस की सरकार चूंकि हमारे प्रदेश और देश की आमदनी घट रही है इसलिये आमदनी को बढ़ाने के लिये शराब बंदी को खोला है। इसलिये इसमें मैं दो चीजें जोड़ना चाहता हूं चंकि चोरी और व्यभिचार लोग छिपे रूप से करते हैं इसलिये इनका भी यदि ठेका हो जाय तो करोड़ों और अरबों रुपये सरकार को मिल जायेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप हमारे दल के नेता जी को जो विनोवा और जय प्रकाश नारायण के सम्पर्क में रहे हैं उनको सुझाव दे कि उनको क्या हो गया कि कम से कम बिनोवा और जयप्रकाश नारायण जी जो इस बात को नहीं मानते थे जिसको मंत्री जी ने सदन में इस प्रस्ताव को लाकर आपने जो कुछ किया ठीक नहीं है और प्रदेश के भले आदमियों को सर उठाने का अवसर नहीं दिया। इसलिये मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि इससे देश कहां जायेगा।

जो गरीबों के हित की बात की जाती है 1947 से पहले शराबी कम थे लेकिन इन्हीं की देन थी शराब को फिर खुलवाया और देश में ठेकें दिये जिससे गरीब लोग शराब पीने लगे अतः आप गरीबों का यदि हित चाहते हैं तो शराबबंदी लाग करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी —

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आबकारी मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी जितनी भी सराहना की जाय वह थोड़ी है। पिछली लोक दल और जनता सरकार के एक गलत निर्णय लेकर जिस पुलिस की वह भर्त्सना करते हैं, जिसको वह गलत कहते हैं उन्होंने अपने निर्णय से इस प्रदेश की निरंकुश पुलिस को दुगुन और तिगुन निरंकुश बन दिया। शराब बंदी से जो जन जीवन की हानि हो रही है वह तो हुई ही लेकिन इस प्रदेश की पुलिस जो अपने को जनता की रक्षक कहती है वह गली और कूचों में शराब बिकवा रही थी, उनके नेताओं के सामने शराब बिकवा रही थी जिसको वह सरकार कभी नहीं रोक पायी। मान्यवर, इस शराब बंदी से प्रदेश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का प्रशासन भ्रष्ट होता जा रहा था। हर व्यक्ति और अधिकारी तथा हर नेता चाहता था कि हमारे साथ लोग चलें और कुछ बोतलें चली चलें और जिसकी बिक्री से कुछ अर्जन होगा उससे हम लोग मौज लेंगे। मान्यवर, लोक दल और जनता शासन में तो मूत्र-पान का युग प्रारंभ हो गया था और आसव-पान बन्द हो गया था। मूत्र-पान ने प्रदेश को एक नई दिशा दिया था जिसको सभी जानते हैं। लेकिन शराब बन्दी से समाज और जो परिवार नष्ट हो रहे थे आज उनको नया प्रकाश मिला है। स्प्रिट और यूरिया खाद पिलाकर जन-जीवन को विषाक्त बना दिया गया था जिससे पूरी संतति नष्ट की गई थी एवं जो हत्यायें की गयीं, आज उसी पाप का यह लोग फल भोग रहे हैं। पाप आप लोगों के मस्तक पर चमक रहा है और उन्हीं पापों से आज आप विरोधी पक्ष में बैठे हैं। मान्यवर, यह मौजूदा शासन कृतसंकल्प है कि लोकदल और जनता पार्टी के कार्यकाल में जो भी गलत निर्णय लिये गये हैं उनको हम तोड़ेंगे और तोड़ने के लिये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार का गठन इस प्रदेश में हुआ है।

मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य जिनको उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन में महारत हासिल है उनके समक्ष मैं अपने विचार रखना चाहता था। जिस चीज पर आप बंधन लगायेंगे उसको तोड़ने के लिये लोग आगे बढ़ते हैं। पर्दे में जो चीजें होती है तो लोग झांकना शुरू कर देते हैं। जितने बंधन हैं उनको तोड़िए। आबकारी मंत्री बैठे हैं

मेरा तो उनसे कहना है कि जिस-जिस चीज पर बंधन लगा हो उसमें खुली छूट दे दो। सरकार को बधाई दो कि उसने शराबबन्दी को तोड़ा है। (व्यवधान) मेरी बात को सुनिये। उसे झुठलाइये नहीं।

हमें सोचना होगा कि कौन से ऐसे कार्य-कलाप हों जिनसे हम जन-जीवन को नई दिशा दे सकें। शराब पीना बुरा है और बुरा रहेगा लेकिन शराबबन्दी उससे कई गुना बुरा है। उसकी बन्दी से सारा समाज विषाक्त हो रहा था। उसके लिये आप दोषी थे। आबकारी मंत्री बधाई के पात्र हैं कि इस कुरीति को समाप्त करके उन्होंने इस प्रदेश की पुलिस को मद्यनिषेध की आमदनी में कमी की है वर्ना इस शराबबन्दी से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तस्करी तो चलती ही थी, सबसे अधिक आमदनी उत्तर प्रदेश की पुलिस को थी। मान्यवर, मैं राजधानी के बहुत ही नजदीक जिला बाराबंकी का रहने वाला हूं। इस छोटे से जिले में शहर कोतवाल की आमदनी शराब से 15 हजार रुपये महीने की थी। उनके घर में आज मातम मनाया जा रहा है। इसके लिये बधाई दो हमारी सरकार को पुलिस की आमदनी में गिरावट आई। आपके जमाने में यूरिया खाद मिलाई जाती थी लेकिन अब शराबबन्दी खत्म होने से शुद्ध तथा सस्ती शराब मिलेगी। मेरे दोस्त जो सामने खड़े हुए हैं इस समय शराबबन्दी खत्म होने का बड़ा विरोध कर रहे हैं लेकिन शाम को प्याले पर प्याले जब टकरायेंगे और उस समय जय-जयकार करते कहेंगे कि हजार साल जियो प्यारे यशपाल सिंह तुम्हारी बदौलत अंगूर की बेटी के दर्शन तो हुए।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब पिछले चुनाव हो रहे थे तो जगह-जगह बहुत से नारे सुनने को मिलते थे लेकिन एक नारा जिसकी चर्चा इस सदन में नहीं हुई वह नारा था कच्ची-पक्की पीनी है तो इन्द्रा जी को लाना है। चुनाव के समय जब यह नारा चलता था तो कोई भी राजनीतिक आदमी यह नहीं सोच पाता था कि इतनी जल्दी यह काम कर दिया जायगा। शराब के दो गुण हमारे सामने हैं। सबसे पहला गुण यह है कि कांग्रेसी बन्धु सत्ता मे आये शराब के दम पर और दूसरा गुण यह है कि उस सत्ता को आगे खींचने के लिये शराब का सहारा ले रहे हैं। आगे इसके कितने गुण निकलेंगे, मैं नहीं कह सकता।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, आबकारी की पुस्तिका जो वितरित की गई थी उसका उद्धरण सुनाया था। उससे साफ जाहिर हो गया था कि संविधान की हत्या इन्होंने कर डाली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संविधान, कानून, से ऊपर होती हैं। वह है नैतिकता। नैतिकता के बारे में यहां पर हमारे भाई जब बोलते हैं तो उसका समानता नहीं की जा सकती। जब शराबबन्दी लागू हुई थी उससे पहले की बात है। मैं अपने हरदोई जिले की बात बताता हूं। ठेके पर से शराब पी-पी कर लोग जाते थे, बसों पर चढ़ जाते थे, किसी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। कम से कम इसी सदन के अन्दर में एक ऐसा खुशनशीब विधायक हूं जिसने पिछली बार कहा था कि शराब बन्दी से कम से कम नैतिकता को बढ़ावा मिला है और बहू-बेटियों के इज्जत पर जो बसों पर, रास्ते, गलियों में हमले हुआ करते थे, उन पर रोक लगी है। यह बात सही है कि शराब बन्दी हुई थी लेकिन शराब प्रचलन में थी। शराब पीने वाले पीते थे, डर था, सड़कों पर नहीं घूमते थे। आपने रास्ता खोल दिया। जिस नैतिकता को थोड़ा प्रोत्साहन मिला था उस नतिकता को आपने ताक पर रख दिया। बहू-बेटियों की इज्जत आज खतरे में पड़ गई है, इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं ज्यादा इसके बारे में बयान क्या करूं ? पुराने जमाने की चर्चा की जाती है। कहीं सोमरस की संज्ञा दी जाती है। सोमरस की संज्ञा देने वाले लोग, मैं समझता हूं, मुझे डर लगता है, कि कल इसी सदन में कहीं यह कहने लगें कि सुरा अकेले ठीक नहीं उसके साथ सुन्दरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

भी जोड़ें, सुरा और सुन्दरी जोड़ने की हिम्मत करेंगे। मान्यवर, जो बुरा है उसे बुरा कहना ही चाहिए। जिस चीज से हमारी नैतिकता, हमारे समाज में व्याप्त नैतिकता खतरे में पड़ जाय, उसको बुरा कहना चाहिये।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व के लिए, पैसा जुटाने के लिए,नैतिकता को भी अगर ताक में रख दिया जाय तो यह अच्छी बात नहीं है। नैतिकता के मूल्य ऊंचे हैं, पैसा जुटाने के लिए बहुत से तरीके निकाले जा सकते थे, उनको निकाला जाना चाहिए था। आपस में बैठ कर बात की जा सकती थी। अब एक चीज का इन्तजार कर रहा हूं और वह है, हमारे रिजवी साहब बैठे हुए हैं, कि किसी दिन महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को, जो जगह-जगह लगी हुई हैं, एक बार शराब से धुलवा दें। इसी बात से अपनी बात खतम करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विरोध में कहना चाहता हूं।

इस सदन के अन्दर जो प्रस्ताव आया है उसकी व्यवहारिकता पर सबको विचार करना चाहिए। शराब पीने की प्रथा बहुत पुरानी है। लेकिन उसकी बुराई के कारण समाज बार बार यह मान कर चलता रहा कि उसे नहीं पीना चाहिए। यहीं बात समझ कर बिना उसकी व्यवहारिकता के पहलू को सोचे ही हमारी पूर्ववर्ती जनता सरकार ने शराब बन्दी के आदेश जारी कर दिये। मान्यवर, आदर्श और व्यवहारिकता में बड़ा फर्क हुआ करता है। हम आदर्श और नैतिकता की बात करते हैं। करनी चाहिए। लेकिन हर चीज का एक व्यवहारिक पहलू भी होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कायदे-कानून बनाते समय, नियमों को लाते समय सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि उसका व्यवहारिक पहलू कहां तक चलने वाला है।

मान्यवर, हमें दूर नहीं जाना होगा यदि हम इधर के दो-तीन सालों पर दृष्टिपात् करें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। उसके बाद किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होगी। जिन भावनाओं को लेकर जनता पार्टी और लोक दल की सरकार ने शराब बन्दी को लागू किया था क्या विपक्ष के लोग यह महसूस करते हैं कि उसमें वे सफल हुए? जब ड्राई एरिया में भी शराब बिकी तो ऐसी व्यवस्था करने से क्या लाभ है? उससे तो आपने एक दूसरा रोग फैलाया कि भ्रष्टाचर को बढ़ावा दिया, एक्साइज अथ रिटी ने,पुलिस अथौरिटी ने नाजायज शराब के ठेके कायम कराये। जो लोग नहीं जानते थे, जिनके पास पैसा नहीं था वे भी इसमें पड गये, भट्ठों की संख्या बढ़ गई। शराब में विषैली पदार्थ डालकर उसकी बिक्री होने लगी, लोगों की जानें गई। तो जिस भावना को लेकर शराब बन्दी का कानून बना था उसी पर कुठाराघात हो गया। इसलिये उसका व्यवहारिक पहलू उसको देखना चाहिए था और उसको सोचना चाहिए था। तो एक तरफ एक गल्ती चल रही थी लेकिन उसके पीछे दूसरी गल्ती भी हो रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। आने वाली सरकार ने इसको समझा कि यदि इस प्रदेश का वकास होना है, विकास की गाड़ी को तेज करना है तो दुनिया के इतिहास को देख लें। किसी भी विकासशील देश में टैक्स लगाते हैं। जब हम टैक्स लगाते हैं तो विरोध पक्ष उसका विरोध करता है, करना भी चाहिए। लेकिन एक तरफ जिस चीज के लिये हमने शराब बन्दी की थी वह पूरी नहीं हुई दसरी तरफ उससे जो हमें मिलना था, प्रदेश की गाड़ी जिससे आगे बढ़नी थी वह भी रोक दी गई, यह कहां की अच्छाई है, कहां का आदर्श है। मैं विरोध पक्ष के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे आचरण करें और देखें कि जिस कार्य क लिये वह कानून बनाया था, अपवाद हो सकता है, उसकी पूर्ति हुई।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया बैठे।

श्री राज कुमार राय—

इसलिये माननीय सदस्य को अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का समय दिया।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आबकारी की मद माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और हमारे विरोध पक्ष के साथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा माननीय रियासत हुसैन ने जो कटौती का प्रस्ताव उस पर रखा है,यह तो उनका कर्तव्य था लेकिन प्रदेश की जनता के हितों को देखकर जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, कुछ हमारे समाज की मान्यता है और उसकी रक्षा हमको करनी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं अगर उनको कायम करना है तो हमें बुराइयों से बचना होगा और समाज को भी बचाना होगा। इनके क्या कारण हैं? मान्यवर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सब लोग जानते हुए भी नहीं बता पाते। अभी माननीय बाजपेयी जी कह रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार ने मद्य-निषेध करके हमारे प्रदेश की आमदनी घटाई है और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है और जनता पार्टी ने गलत काम किये हैं। मैं कहता हूं कि जनता पार्टी के गलत कामों की वजह से ही तो आपका जन्म हुआ है। तो जब जनता पार्टी ही खराब थी तब तो उसकी औलाद भी खराब होगी और वह भी गलत ही काम करेगी। एक सरकार ने मद्य-निषेध किया था और दूसरी सरकार ने उसे लागू कर दिया। राजस्व ही बढ़ाना था तो और किसी तरीके से बढ़ा सकते थे। लेकिन इससे हमारे राष्ट्र और प्रदेश के मानव जीवन में नैतिकता, अनुशासनहीनता, अराजकता, अव्यवस्था और दुराचरण में वृद्धि होगी। सरकार जो मद्य-निषेध के मामले को खत्म कर रही है और इससे राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाना चाहती है तो आमदनी तो और भी बहुत से कामों से बढ़ सकती है जो अभी करने बाकी हैं जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि अभी बहुत से काम बाकी हैं उनसे भी आमदनी बढ़ सकती है।अगर इनको लागू कर दिया जाय तो राष्ट्र का चरित्र-निर्माण और मानव मूल्य गर जायेगा, जो गिर भी रहा है इससे अराजकता और अनुशासनहीनता बढ़ रही हैं। जिस तरह की प्रवृत्ति आज जन्म ले रही है उसमें यहें चीजें है जो कि इसके मूल में छिपी हुई है। सरकार को कुछ चीजों को नैतिकरूप से मानकर चलना होगा। व्यक्तिगत जीवन में जो होगी वही बात सार्वजनिक जीवन में भी होगी और सामाजिक जीवन में भी होगी। जो व्यक्ति शराब पीता है वह भी नैतिकरूप से नहीं कह सकता है और सार्वजनिक रूप से कि मैं शराब पीता हूं। ऐसा कोई भी सदस्य अगर वह शराब पीता है तो वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि मद्यनिषेध को लागू न किया जाय। तो जब शराब पीना सबकी नजरों में गलत है और नैतिक रूप से उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो उसे लागू करने में भी उसका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि मद्य- निषेध लागू हो। आज सरकार किन भावनाओं के साथ ऐसे अनुदानों को पेशकर रही है यहकह कर कि राजस्व को बढ़ाना है लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे ऐसे तत्व पैदा हो गये हैं जिसकी तरफ अभी हमारे रामआसरे वर्मा जी ने इशारा किया कि चुनाव के समय एक नारा लगाया गया था कि कच्ची-पक्की तभी मिलेगी जब इंदिरा जी की गद्दी पर रहेगी। कुछ लोगों की भावनायें रही होंगी लेकिन उनका भी आज यह मनोबल नहीं है कि वह कह सकें कि हम शराब पीते हैं। इसके पीछे एक ही तर्क दिया जा रहा है कि हमारे प्रशासन में ष्टाचार आ गया है और हमारी आमदनी घट गयी थी इसलिए मद्यपान लागू किया जा रहा है और हम प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं।

[श्री भीमसेन]--

मान्यवर, इसको पास करने से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि विपक्ष अल्पमत में है, लेकिन इसको यदि सरकार कुछ सुझावों के साथ स्वीकार कर ले तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी होगी, और जो नित्यप्रति घटनायें घटती हैं उनको रोका जा सकता है। जनता शासन में मृत संजीवनी बूटी खोली थी लेकिन इनके शासन में मधुशालायें खुल रही हैं। तो वह मधुशालायें सार्वजनिक स्थानों पर, बड़े-बड़े कार्यालयों के सामने और चौराहों पर न खुलें जहां पर हमारी मातायें और बहिनें खड़ी होती हैं। ऐसी जगहों पर खोलने से उनको रोकना होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मित्रसेन--

इन सुझावों के साथ मैं समझता हूं कि इस मद को पास किया जाय तो अच्छा रहेगा पास तो यह करा लेंगे अपने बहुमत के आधार पर चाहे वह गलत ही काम क्यों न हो क्योंकि बहुमत सरकार का है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर या स्कूलों के पास, बड़े बड़े कार्यालयों के पास से इन दुकानों को यह हटा लें तो उत्तम होगा और कुछ अवगुणों से बचा जा सकता है जिसने पीना हो वह दूर जाकर पीये जहां उसको अपने जैसे ही आदमी मिलें। पता नहीं इससे ये समाज को कहां ले जायेंगे जिसका नतीजा सामने आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खुदादीन अन्सारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित रूप से शराब को जारी करना एक बुरी चीज समझता हूं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा और प्रत्येक मद्य की चीजों को मैं ठीक नहीं समझता। इससे नैतिक पतन होता ही है। परन्तु समय से, पहले जिस तरीके से जनता पार्टी की सरकार ने मद्य निषेध का आदेश जारी किया उसी प्रकार उसमें विफल हुई। मैं इस आदरणीय सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि शराब को जारी रखना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन समय आने पर हमारी सरकार--कांग्रेस की गवर्नमेंट शराब को जरूर बन्द करेगी। परन्तु लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। कोई चीज जब समय पर की जाती है तो उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा बुरी तरह असफल होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको 100 साल से ज्यादा पहले ले जाना चाहता हूं। सन 1857 में देश के स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई निर्धारित तारीख से पूर्व जोश में आकर जल्दबाजी में मंगल पाण्डेय के नेतृत्व में विद्रोह छेड़ दिये जाने के कारण भारी नुकसान हुआ और जंगे आजादी को उन्होंने बहुत पीछे ढकेल दिया। इसके लिए पुनः हमारे देशवासियों ने अगणित यातनाएं सहीं, लाखों मां बहनों के सिन्दूर धुल गए और कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गयी तथा लाखों नौजवानों को शहीद होना पड़ा। फिर तब जाकर हम कहीं जंगे आजादी को जीत सके। अतः समय से पहले जब हम किसी चीज को करेंगे तो उसमें विफल होंगे ही। हमारी सरकार शराब आदि को कोई अच्छी चीज नहीं समझती है, लेकिन अभी उस पर प्रतिबन्ध का वक्त नहीं है।

आपने उन पहाड़ी इलाकों में शराब बन्दी की थी, जहां पर जाड़ों से ठिठुरते हुए बच्चे और तन ढकने में असमर्थ मजदूर रहते हैं। जहां बर्फ पिघलती है, वहां शराब के पीने से ही सम्भवतः थोड़ी सकून महसूस होती है। किन्तु आपने पहाड़ सहित 11 जिलों, में इसे बन्द किया लेकिन सहारनपुर में जारी कर दिया। जिसके कारण नकली एवं जहरीली शराब अवैध ढंग से बनने लगी। तस्करी बढ़ी और अकारण कितनी मौतें हुई मुझे खुशी तब हुई होती यदि पिछली जनता सरकार ने पूरे तौर से भारत की पवित्र धरती पर सम्पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया होता और यह कहा होता कि अबसे भारत के किसी कोने में शराब आदि मादक चीजें नहीं बेची जाएंगी, उसके लिये हम नतमस्तक होते। जनता पार्टी

के शासन काल में फुटबाल के ब्लाडर्स में,साइकिल के ट्यूब में, सड़कों के किनारे इधर-उधर शराब पी गई। जब उसने इसे बन्द किया, मैं उस समय देहरादून में था। एक मजदूर कार्यकर्ता होने के नाते, हमने पास से झांक कर देखा है। अब आपने पहाड़ी इलाकों में शराब बन्दी की तो वहां के मजदूरों ने काम से नागा करना शुरू कर दिया। शराब की तलाश में फैक्टरियों से निकल-निकल करके लोग उसकी खोज करने लगे। काम छोड़कर वह कारखानों से बाहर चले गये। नतीजा यह कि कारखाने में अवैध शराब बनाई जाने लगी। जूतों में रखकर शराब बेची गई। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन पिछली जनता पार्टी की सरकार सारी बातों में उल्टी चाल हमेशा चलती रही है।क्या कहें––"उल्टी ही चाल चलते हैं आवारगाने इश्क।"

मंदिर-मस्जिद के प्रति आदर दर्शायें कौन भारतवासी नतमस्तक नहीं होगा? लेकिन इन के पीछे हार्दिकता भी तो होनी चाहिए। स्वतन्त्रता पूर्व कभी आपने देखा इस देश में फसाद हुए? किन्तु इधर त्रिपुण्ड लगाने वाले और लम्बी दाढ़ी रखने वाले लोगों ने जो खेल खेला, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने हिंसा के नंगा नाच किया है। आज हमारी कांग्रेस की सरकार सफलतापूर्वक आगे जा रही है। आज जो भी अपराधी चेहरे हैं, हम तो चेहरों से नकाब उठाना जानते हैं और जनता पार्टी सरकार की तरह लोगों को जहरीली शराब नहीं पिलाना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि शराब को आम कर दिया जाय और सबको नैतिकता के रास्ते पर लाया जाय। गालिब का एक शेर है "जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो।" खुदा हर जगह मौजूद है। शराब बन्द अगर की गयी तो उससे बुराइयां बढ़ेंगी, चोरी छिपे बिकेगी, तस्करी होगी, स्मगलिंग होगा। समय आने पर इसका विरोध तो होगा ही और हमारी सरकार ऐक्शन भी लेगी लेकिन जो प्रस्ताव इस समय माननीय मंत्री जी ने सदन में रखा है,मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी––

मान्यवर, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से सिद्धांत रूप से सहमत हूं कि शराब एक खराब वस्तु है और शराब सभी किस्म की बुराइयों की जननी है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि उन्हें मद्य निषेध की समाप्ति पर बहुत कष्ट हो रहा है। उनकी भाव भंगिमां से भी यह लग रहा है कि वे मद्य निषेध की समाप्ति से खुश नहीं हैं परन्तु सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार की मद्य निषेध की नीति असफल रही है और वे इसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं कर सके हैं और इसी वजह से सरकार को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है और एक बुरी चीज की शुरुआत करनी पड़ रही है। इसमें सत्ता पक्ष की ओर से जनता पार्टी की कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जनता पार्टी ने एक महान उद्देश्य की शुरुआत की थी। उसमें उनकी असफलता हो सकती है लेकिन इन तीन महीनों के शासन काल में आपकी क्या कामयाबी इसमें रही है। मैं तो समझता हूं कि सत्ता पक्ष को बुराइयों का अनुकरणनहीं करना चाहिए और अगर जनता पार्टी की कोई खराबी है तो उन्हें उसकी मिसाल नहीं बनानी चाहिए और उनके लिये आदर्श नहीं होना चाहिये। जब ये समझते थे कि शराब खराब चीज है तो उसके लिये शासन को सख्ती के साथ और एक मंशा के साथ, इन्टेन्शन के साथ, उस कानून को लागू करना चाहिए था। जब सरकार की मंशा रहती है कि कोई चीज ठीक है तो वह कानून भी ठीक प्रकार से चल सकता है। आज सरकार यह भी बहाना ले सकती है कि देश और प्रदेश में अपराधों की संख्या बराबर बढ़ रही है, चोरियों और डकैतियों की संख्या बढ़ रही है, अपनी नाकामयाबी की वजह से सरकार उनको छूट नहीं दे सकती है, सरकार को उनसे निपटने के लिये सख्त कानून बनाना पड़ेगा और उनका मकाबला करना पड़ेगा। बुराइयों से निपटने के लिए सरकार का कतई यह फर्ज नहीं है कि

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

वह यह कहे कि यह बुराई समाप्त नहीं होती तो हम इसकी छूट दे दें। दूसरे माननीय राजस्व मंत्री और सत्ता पक्ष वालों ने कहा है कि इस प्रदेश की भारी आय के श्रोत से सरकार को वंचित होना पड़ रहा था।

सत्तारूढ़ दल ने चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिये गांधी जी का ही सबसे अधिक नाम लिया, परन्तु जहां सिद्धांत की बात आती है वहां ये लोग उनका नाम भूल जाते हैं। (व्यवधान) गांधी जी का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि महान कार्य के लिये साधन भी महान होना चाहिये। आप पाप के पैसे से लोक कल्याण करना चाहते हैं, यह असम्भव है। इसलिये मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी शायर ने कहा है "न पीना हराम है, न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है, ए पिलाने वाले जरा सोच लें, किसी के घर में आग लगाना हराम है।"

चर्चा चल रही शराब बन्दी खत्म हो। मेरी सत्ता, पक्ष के लोगों से इस चर्चा के विषय में जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि शराब पीना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि फिर पूरे प्रदेश में शराब बन्दी का प्रस्ताव आना चाहिये। जनता शासन ने जो शराब बन्दी की पहल की थी, वह एक अच्छा कदम था। उस समय भी मैंने कहा था कि पूरे प्रदेश में शराब बन्दी होना चाहिये और उसके लिये जनता पार्टी की सरकार ने एक कदम उस ओर उठाया था। जो लोग भी शराब का धन्धा करते हैं मैंने उनसे पूछा कि कौन सी आयु के लोग तुम्हारे यहां अधिकतर शराब खरीदने के लिये आते हैं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस पीढ़ी के हाथ में इस देश की बागडोर कल आने वाली है, जिसके लिये हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की ओर विचार कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने देश और प्रदेश का भविष्य लेकर चलना चाहते हैं, आज वह पीढ़ी इस शराब के नशे में शिकार होती चली जा रही है।

आज शराब के जो बिक्री केन्द्र खोले गये हैं और शराब के प्रसार में जो तन्त्र अपनाये जाते हैं, विज्ञापन दिये जाते हैं, उसको देखकर तो शर्म से सिर झुक जाता है। हम अपने देश के अन्दर नारी को मां और बहन कहते हैं, उस नारी के नंगे चित्र के हाथ में शराब दिखाया जाता है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा माननीय आबकारी मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस आदर्शों के लिये हम जिन्दा रहना चाहते हैं, शराब जिन दूकानों के अन्दर बिकेगी, उसके प्रसार के लिये जिस प्रकार का विज्ञापन उपस्थित होगा, देश के अन्दर कौन सा चित्र उपस्थित होगा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं, अगर शासन इस बात को स्वीकार करता है कि शराब बेचने से, ठेका देने से राजस्व की आमदनी बढ़ती है, तो आज जिस तरीके से अपने समाज के अन्दर बुराइयां पैदा होती चली जा रही हैं, तो अनेकों बुराइयों को और खड़ी कर देने से और चालू कर देने से आमदनी के और भी श्रोत हो सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आमदनी के श्रोत होने चाहिए, लेकिन श्रोत आज हम ऐसे भी कानून के रूप में खड़ा करते हैं, जिससे देश के अन्दर .....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया बैठिये, समय समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

समाज के अन्दर नैतिकता की भावनाएं लाना है और अगर चरित्र का जीवन के अन्दर कोई महत्व है, तो माननीय मंत्री जी अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सबको बारी-बारी से समय मिलेगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय आबकारी मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, इसलिए नहीं कि शराब पीना अच्छा है या बुरा है । मुझे एक मुहाबिरा याद आता है । "हैबिट इज इजी, बट हार्ड टु ब्रैक ।"

श्री अधिष्ठाता—

कृपया हिन्दी में अनुवाद कीजिए ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

आदत बनाना बहुत आसान है, लेकिन आदत जब बन जाती है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है । बहुत से साथियों की यह आदत बन गयी है कि अगर उनकी आदत पर रोक लगा दी जाय तो बहुत से लोग मर जायेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पीने वाले हैं अगर उनकी नशा रोक दी जाय, तो उनकी नशा के लिए ही मौत हो जायगी । शराब बन्दी होने से बहुत सी मौतें हुई, जिनकी जांच-पड़ताल भी कराई गयी, तो मालूम हुआ कि ये लोग जहरीली शराब पिये हुए थे । इसलिए इनकी मौतें हुई थीं ।

अगर एक ब एक रोक न लगायी गयी होती तो शायद लोग इतनी जहरीली शराब न पीते और इतनी मौतें न हुई होतीं । एक बात इस संबंध में और कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है । उदाहरणस्वरूप जैसे एकदम गरीबी हो जाए, जिससे लोग भूखों मरने लगें तो कठिनाई हो जायेगी । इसी तरह से अगर सभी लोग दौलत वाले हो जाएं और इतने ऐशो-आराम में रहने लगें और अय्याशी करने लगें तो भी लोगों का जन-जीवन दुखी हो जायेगा । इसलिये हमें मध्य के रास्ते को चुनना है और यही समाज के लिये उचित भी है । उसकी तरफ हमारी सरकार विचार भी कर रही है । परन्तु एक ब एक शराब बन्दी से लोगों को जो कष्ट होगा और उससे जो मौतें होंगी, उसके दोषीहम हो जाएंगे । इसलिए शराब बन्दी लागू करने का प्रबन्ध तो हम करेंगे, परन्तु इसके पहले यह हमें करना होगा कि शिक्षा द्वारा समझाकर उसके गुण और दोषों के बारे में बताना होगा । इसतरह से सही रास्ते की तरफ लाकर तब इस खराबी को धीरे-धीरे खत्म किया जाय यह सरकारी नीति है । सरकार कभी नहीं चाहती कि एक-दम से शराब बन्दी लागू कर एक ब एक लोगों की आदतों पर रोक लगा दें । सिद्धांतया यह धीरे-धीरे समझा-बुझा कर ही हम बदल सकते हैं । चूंकि यह सभी जानते हैं कि यह खराब चीज है, और यह अच्छी चीज नहीं है । इसलिए सरकार की यह कदापि मन्शा नहीं है कि यह कभी समाप्त न हो । और जहां तक इससे राजस्व की प्राप्ति के बारे में कहा गया है कि राजस्व के लिये बुरे कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है । यह गलत है । और उसके लिये जो उदाहरण भी उन्होंने दिये, वह हम नहीं कहना चाहते । फिर भी जैसा कि उन्होंने अपने उदाहरण में कहा अगर उस रास्ते पर चलें भी तो गलत होगा और जहां तक नशेबन्दी का सवाल है । आज जो बात हमारे सामने आयी । उसे मैं दोहराना नहीं चाहता । लेकिन पुराने जमाने से यह बात, यह कहावत भी मशहूर है कि जहां दवा है, वहां दारू है । दवा और दारू एक साथ थी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया बैठ जाएं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

केवल एक बात और कहूंगा, मान्यवर, हम चाहते जरूर हैं शराब बंदी । समाज की इस बुराई को दूर करना लेकिन धीरे-धीरे शिक्षा द्वारा समझाकर । इसलिए इन बातों को ध्यान

[श्री संकटा प्रसाद शास्त्री–]
में रखते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसको पास किया जाना चाहिए ।

श्री राम स्वरूप निम––
मान्यवर, आपने जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका..... (शोर)

एक सदस्य––
मान्यवर, मुझे भी समय दिया जाय । बड़े देर से समय मांग रहा हूं ।

श्री राम स्वरूप निम––
अधिष्ठाता जी, सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आए हैं, उनका विरोध करता हूं ।

कितनी हास्यास्पद बात है कि एक ओर जनता को रोटी और रोजी के प्रश्न है, जहां सरकार कपड़ा और मकान न दे पा रही हो वहां सदन के अन्दर शराब के विषय पर बातचीत हो रही हो । इससे ज्यादा इस सरकार का निकम्मापन क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बुराई को खतम करने के लिये पिछली सरकार ने मद्य निषेध लागू किया था आज उसी बुराई को दोबारा लाने के लिये यह सरकार प्रस्ताव ला रही है और बिल पेश कर रही है मुझे लगता है, कि माननीय मंत्री से मेरा पुराना परिचय है, मैं उनके बारे में बहुत अछी तरह से परिचित हूं । वह शराब नहीं पीते हैं। लेकिन लगता है कि किसी बाप ने अपने बेटे से यह कहा कि बेटे शराब पीना छोड़ दो । तो बेटे ने कहा कि पिता जी एक दिन आप पी लो उसके बाद छोड़ दूंगा । जब पिता ने पीना शुरू कर दिया तो बेटे ने कहा कि पिता जी शराब छोड़ दो, तो पिता ने कहा कि तू छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा । लगता है कि मंत्री जी ने कदाचित उसका स्वाद चख लिया हो इसलिए प्रस्ताव रखा हो । जिस जिले से वह आते हैं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा शराब पैदा करने वाला जिला है । मुझे लगता है कि उन धन्ना सेठों से इस सरकार अपने जमाने में पैसा इकटठा करके यह वायदा किया कि अगर हम सत्ता में आये तो वह शराब के ठेके खोल दिये जायेंगे, आप हमें एलेक्शन लड़ने के लिये पैसा दें । उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिये यह बिल लाया जा रहा है । जो सरकार अपने को लोक कल्याणकारी सरकार कहती है, उसने नहीं सोचा कि इससे उन लोगों का क्या भला होगा जो गरीब पेट भर रोटी नहीं खा सकते, क्या वह शराब पीकर जिएंगे? कितनी हया और शर्म की बात है इस सरकार के लिए ।

आज जो सबसे गरीब प्रदेश है उसके सदन के अन्दर शराब के बारे में चर्चा की जा रही है । उसके लिए सत्ता पक्ष के लोग गला फाड़ कर कर रहे हैं कि शराब होनी चाहिए । ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कोई हस्ताक्षर अभियानचला कर मंत्री जी को दिया हो कि हम इतने लोग पीने वाले हैं, आप हमारे बारे में सोचें तभी हम आपके साथ रहेंगे और मजबूर होकर मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा । इस तरह की बातें करने से देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता । वह नैतिकता को समझें । मंत्री जी ने कहा कि काशपहली सरकार पूरे प्रदेश में या पूरे देश में शराब बन्दी कर देती तो शायद बहुत बड़ा फायदा हो सकता था । महात्मा गांधी ने कहा कि अगर किसी आदमी से किसी काम को बन्द करने के लिये कहते हो तो पहले स्वयं आदत डालो । मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करने वाली सरकार व मंत्री जी शराब पीकर कहने लगे हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं । उनका चरित्र बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं । लेकिन हो सकता है कि सत्ता की भावनाओं में पड़कर प्रस्ताव उन्होंने रखा हो ।

श्री अधिष्ठाता––
माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री राम स्वरूप निम—

मैं इस प्रस्तावाका घोर विरोध करता हूं। मैं चाहूंगा कि यह सरकार जो अपने को कल्याण-कारी सरकार कहती है वह इस प्रस्ताव को वापस ले तभी इस प्रदेश और समाज का कल्याण हो सकता है।

(समय 3 बजे अपराह्न)

श्री दीना नाथ—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। कारण इसका यह है कि जनता सरकार की तरफ से शराब बन्दी का जो नियम बनाया गया था वह सफल नहीं हुआ। उसमें जनता एकोनामिक दृष्टिकोण से तृसित हुई और पुलिस के लोग फायदेमन्द हुये। शराब की दुकानों की बन्दी जरूर की गई लेकिन एक की जगह अनेकों दुकानें खोल दी गईं और पुलिस के इशारे पर शराब की स्मगलिंग होती थी। आज जो लोग शराब के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं यही लोग उस समय थे और प्रदेश देश में इनकी सरकारें थी। देश और प्रदेश में एक ही दिन शराब बन्दी कानून लागू नहीं किया गया था। मुझे ऐसा अहसास होता है की देश के अन्दर शराब की स्मगलिंग कराने के लिये जितने शराब के उत्पादक लोग हैं उस सरकार से मिलकर शराब बन्दी कानून पास कराया था। मुझे ऐसा भी मालूम होता है कि उन उत्पादकों से चुनाव चन्दा मांगा लेकिन शायद चुनाव चन्दा न पाने के कारण शराब बन्दी कानून इन लोगों ने लागू कर दिया।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहाड़ पर तो शराब बन्द कर दी गई लेकिन मैदानी इलाकों में शराब भेजी जा रही थी। लखनऊ को ड्राई एरिया किया गया, लेकिन गोरखपुर और बस्ती को नहीं किया गया। इन्ही के लोग गोरखपुर और बस्ती से शराब लाकर लखनऊ शहर में शराब की स्मगलिंग करते थे, आज यह प्रस्ताव का विरोध कर रहे है। मै माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं कि जो शराब 10 रुपये में बिकती है वह 10 रुपये में बिके। उस जमाने में दस रुपये शराब का दाम पीने वाले लोगों को 50 रुपया देना पड़ता था इससे शराब के उत्पादक लोग फायदेमन्द होते थे और पुलिस डिपार्टमेन्ट के लोग फायदे-मन्द होते थे। मान्यवर, पीने वाले लोगों ने पीना बन्द नहीं किया बल्कि उनको पैसा ज्यादा देना पड़ा और लुकछिप कर पिया। जो पीने वाले लोग हैं केवल जनमत तैयार करने से पीना बन्द करेंगे। इसलिए मै आग्रह करता हूं कि सदन के लोगों से जनमत देश और प्रदेश के अन्दर तैयार करें कि शराब पीना गलत है और कानून बनाकर शराब बन्द नहीं कर सकते है। इसलिए पुन: मै माननीय मंत्री जी का यह प्रस्ताव जो आया है मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री जटा शंकर सिंह —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया इसके लियेमैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी हमारे सदस्य सत्ता पक्ष में, अपने बात में कहते चले गये और बार-बार उधर से अपील हो रही है सत्ता पक्ष की, कि कानून तो बन जाने दीजिये, चलिए हम जन आन्दोलन करेंगें और जनता को जनावे कि वह शराब न पिये, कैसी विडम्बना है अधिष्ठाता जी, कि कानून बन जाय जिसे वह बनाना चाहते हैं उसे बनायेंगे यह अपने को कटिबद्ध कर लिए हैं और बुरी है वह चीज जिसको स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करते हुए जने आन्दोलन की बात करते हैं। जन आन्दोलन कुछ है, जनता की भी भावना कुछ है, उसका इनको एहसास है, जन आन्दोलन चल सकता है और जन आन्दोलन चलाने लायक यह विषय है इसको यह स्वीकार करते ह।

[श्री जटा शंकर सिंह—]

लेकिन उसकी बुराई को, निकृष्टता को स्वीकार करते हुए भी, कानून बनाने के लिए कटिबद्ध दुराग्रह किये हुए हैं। यह एक दुख: और विडम्बना का विषय है। किसी भी गलत बात को नैतिकता से परे बात को इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कहा जा सकता है, इसका अगर कोई, प्रमाण देखना चाहें तो आप सत्ता पक्ष की वक्ताओं में देख सकते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ये शराबबन्दी का विरोध क्यों कर रहे हैं और शराब खोलने क्यों जा रहे हैं, इसके विषय में संकेत करूंगा।

माननीय सदन के सदस्यों को उस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि समाचार-पत्रों के बहुत दीर्घ अन्तराल की ओर जायें तो उसमें मिलेगा कि एक अधिवेशन में जा रही गाड़ियों में खाली बोतले प्राप्त हुई थी। ऐसे लोग सत्ता में आने के बाद शराब खोलेंगें नहीं तो और क्या करेंगे ? मान्यवर, यह ध्यान देने की बात है बड़े जोरों से लगभग सत्ता पक्ष के सभी वक्ताओं ने अपने तर्क में कहा है कि शराब को खोलना पड़ रहा है कि जनता शासन ने शराब बन्दी की जो घोषणा की और उसकी नीति को लागू किया उसके कारण चोरी-चोरी उसे बनाने और पीने से आदत बन गयी। एक माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख करना उचित नही समझा, और होश में हैं, बिना पिये बैठे हैं वो अगर पी करके जिस दिन बैठ जायेंगे, वह विवेक भी खो देंगे। उस शराब का अगला कदम वह भी है जिसकी ओर आप संकेत नहीं करना चाहते। और कानून द्वारा वह रोके हुए हैं और क्या राजस्व की प्राप्ति के लिए उन पर टैक्सेशन करके, उस कर को भी वैधता प्रदान करने वाले हैं, शराब का पहला चरण है, क्या उसमें भी अगला कदम उठायेंगें ? यह सोचने की बात है ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र नानपारा में बस स्टेशन के ठीक सामने केवल 10 गज की दूरी पर, 200 गज की दूरी पर वहां एक इण्टरमीडिएट कालेज है, प्राइमरी स्कूल की दूरी 250, 300 गज की है, वहां मार्केट भी है, वहां पर दुकान की अनुमति अभी प्रदान की है। आप जरा गौर करें, रात में बस स्टेशन में बसें आती हैं, पीकर लोग मैदान में निकलेंगे, नारियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर क्या आदर्श बनेगा, कौन सा स्वरूप आयेगा ?

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कि यह सत्ता पक्ष के बन्धु निर्विवाद रूप से ध्यान दे लें कि इस प्रकार से शराब का खोला जाना, जैसा कि खोल रहे हैं, बेशर्मी और बेहयाई की सीमा को तोड़ कर खोल रहे है। इसका कुपरिणाम इन्हें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा और मान्यवर, एक ओर ये कहते है कि हम देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हैं । और दूसरी ओर कदम–कदम यह उस ओर बढ़ रहे हैं जो प्रदेश और देश को घोर अन्धकार की गर्त में ले जाकर गिरा देगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज इनको कभी क्षमा नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखकर जो भी कानून बनाना चाहें राक्षसी बहुमत एवं प्रवृत्ति पर उतारू होकर बनायें। (शोर)

श्री सतीश अजमानी ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के कटौती के प्रस्ताव, का मैं तहे दिल से विरोध करता हूं । विरोधी दल के सदस्य अपना ध्येय बना चुके हैं कि चाहे कोई भी प्रस्ताव रखा जाये विरोधी दल को तो इसका विरोध करना ही है। बस यही इनका काम है चाहे सदन के बाहर जाकर यह बात उनको कहना पड़े कि क्या करें विरोधी दल का हूं, विरोध करना है, वैसे यह प्रस्ताव बुरा नहीं है। जो प्रस्ताव आबकारी मंत्री जी द्वारा रखा गया है वह एक बहुत ही सराहनीय प्रस्ताव है। इससे देश प्रदेश में जो गुन्डागर्दी बढ़ रही थी, पुलिस वाले जो इस काम में ब्लेक मेल करते थे, वह कम होगी। जिन इलाकों में शराब खुली हुई थी वहां से लाकर शराब जो लोग बेचते थे उनका धन्धा बन्द हो गया। शान्ति व्यवस्था की ओर पुलिस का ध्यान न जाकर इस ओर जाता था कि किस तरीके से शराब की बोतलें इधर से उधर ले जाकर धन्धा चलाया जाये। कितने गुन्डे करोड़पति हो चुके है इस प्रकार की आमदनी से शराबबन्दी पूरे इलाके में

नहीं की गयी कुछ इलाकों मे खुली रही इसी का नतीजा है कि गुन्डों के पास, बदमाशों के पास इतना पैसा हो गया। लखीमपुर के निधासन क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां शराब खुली है। उनके मालिकान से बात हुई उनका कहना था कि हमारा धन्धा हो गया है। पूछा गया क्या बात है क्या लखीम पुर के लोगों नें शराब पीना बन्द कर दिया? उन्होंने कहा यह बात नहीं है, लखीमपुर से लखनऊ तक ही सभी इलाकों को जिस तरह से नहरें सिंचित करती है, उसी तरह से शराब सिंचित किया जा रहा है। खुले रूप में नैतिकता का सहारा लेकर समझा कर शराब को बन्द करना चाहिये। आपने ऐसा नहीं किया। विरोधी दल माननीय सदस्य ने कहा कि खद्दर पहने हुए लोग शराब में पकड़े जाते थे। बिल्कुल सही है लोग पकड़े जाते थे। लेकिन बाद मे पता चलता था वह जनता पार्टी से संबंधित है न कि कांग्रेस से। विरोधी दल कह दे कि यह खद्दर नहीं पहनते तो हम इल्जाम मान जायेंगें।

महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। महात्मा गांधी के बताये हुए तरीके से यदि आप चले होते तो ढ़ाई साल में वहां विरोध में न चले गये होते और हम लोग यहां सत्ता में न आ गये बात लेकर, उनकी समाधि पर गंगा जल छिड़ककर, इस तरह के नाटक करके ही वहां विरोध होते। महात्मा गांधी की मे चले गये। जनता ने पांच साल के लिए चुनकर भेजा था 32 महीने में ही अपना असली रूप दिखाकर विरोध में बैठने लगें। आज वह महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। कहा गया है कि दुकानें वहां खुली हैं जहां स्कूल हैं। अगर माननीय विरोधी दल के सदस्य मेरे साथ लखीमपुर चलें तो उनको दिखा सकता हूं कि जैसे हम यहां आमने समाने बैठे हैं इस तरीके से शराब की दुकाने और बच्चों के स्कूल हैं। आज दुहाई देते हैं कि यहां दुकानें खुल गयी, वहां दुकानें खुल गयीं, मान्यवर, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर किसी गुरुद्वारे के पास, किसी मस्जिद के पास कोई दुकान हो तो उसको हटाने की व्यवस्था की जाय हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यह कह दें कि केवल आपके जमाने में यह हुआ तो यह सरासर गलत है।

मान्यवर, होना तो यह चाहिये कि सरकार के अच्छे प्रस्तावों का विरोधी पक्ष समर्थन करे। लेकिन आज तक कभी यह देखने को नहीं आया कि विरोधी पार्टी ने सरकार के किसी प्रस्ताव का समर्थन किया हो। भले ही वे यहां से बाहर जाकर यह कह दें कि सरकार का यह प्रस्ताव अच्छा था। तो इन बातों से यह साफ जाहिर होता है कि वे खुद चाहते हैं, लेकिन केवल विरोधी गुट में बैठने के कारण वे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

मान्यवर इन शब्दों के साथ माननीय आबकारी मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका एक बार फिर समर्थन करता हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा––

मान्यवर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने आबकारी राजस्व में कटौती का जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उस समर्थन में चर्चा करना चाहता हूं। अभी इसके पहले सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने शंका किया और चर्चा किया कि पुराने जमाने में भी कवि और लेखक व बुद्धिजीवी तबके के लोग शराब पीते थे। तो उनके अनुसार अगर इस जमाने में शराब जारी की गयी, तो क्या गुनाह हो गया? मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक युग में रावण का शासन काल था। लेकिन शराब पीकर रावण ने अपनी सोने की लंका को नष्ट कर दिया। इसी तरह से, मान्यवर, दुर्योधन और दुश्शासन ने शराब पीकर देश में महाभारत पैदा किया। तो, मान्यवर, उसी तरह से अगर आप देश को नष्ट करना चाहते हैं और देश मे रावण पैदा करना चाहते हैं और यहां पर रावण-संवाद करना चाहते हैं, तो ठीक है, खूब शराब पीजिए और पिलाइये, भ्रष्टाचार करिये और कराइये, लीजिये और दीजिये। शराब मान्यवर, इस लिए जारी कर दिया कि सेठ साहूकारों से इनको पैसा चाहिये। इसलिए मान्यवर, ये शराब के जारी रहने के हित में है और जनता

[श्री गोपी नाथ वर्मा—]

सरकार ने जिन चीजों को प्रारम्भ किया था, उनको ये समाप्त कर देना चाहते हैं।

मान्यवर,इसी तरह से जनता सरकार ने अन्त्योदय योजना चालू की थी। जनता सरकार ने श्रम के बदले अनाज योजना चालू की थी। जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम चलाया था। लेकिन इन सभी को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। मान्यवर, अगर इस तरह से देश की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, कि देश में शराब बंटवाई जाय और उससे आर्थिक सुधार किया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो शराब पीने के लिए खुले आम मार्केट में बैनर और पोस्टर टंगवाते हैं, तो शराब पीने वाला आदमी अगर कोई व्यभिचार करता है या कोई कुकर्म करता है, तो फिर उसको दण्ड देने की बात क्यों करते हैं ? एक तरफ तो आप पीने की बात करते हैं, अगर पीकर वह बहक जाता है, तो उसकी दण्ड देकर उसको जिन्दगी क्यों तबाह करते हैं ? तो एक तरफ तो आप उसको पिलाते हैं और दूसरी तरफ आप उसको नष्ट करना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। शराब की बात का बड़े ऊंचे शब्दों में समर्थन जो माननीय सदस्य कर रहे हैं मैं उनको एक कहानी सुना रहा हूं। एक गुरुजी थे, उनके एक चेला था। चेले का काम था कि दिन भर वह सुग्गा पकड़ता था उसने एक दिन एक सुग्गा पकड़ कर गुरुजी को दिया। जब सबेरा हुआ तो सुग्गा कहने लगा, ऋषि जी उठिये। दातून करिये। नाश्ता करिये। पूजापाठ करिये, सीताराम जपिये। दूसरे दिन उनके चेले ने दूसरा सुग्गा पकड़ कर ऋषी जी को दिया। जब सुबह हुयी तो वह सुग्गा कहने लगा कि सुबह हो गयी है उठिये। 50 पैसे के अंडे 8 रु0 किलो गोश्त, 12 रुपये किलो मछली, 20 रुपये बोतल शराब। शराब खूब पियो, मौज करो। ऋषि जी ने चेले से पूछा तो कहने लगा कि पहला तोता मैं एक आश्रम से लाया था इसलिये वह अच्छी बात करता है। दूसरा तोता जो अंडा, मुर्गी की बातें करता है वह मैं कसाई के यहां से लाया हूं। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि जिस खून, खानदान, सोसाइटी का वातावरण होगा उसकी योजना उसकी बुद्धि वैसी होगी जैसी आपकी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मेरा एक निवेदन है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि रावण शराब पीता था। तो मान्यवर, निवेदन है कि रावण शराब नहीं पीता था सुरा पान करता था। वह सुरा कैसी थी जो जनता पार्टी के कार्यकाल में गली-कूचों में बिकती थी।

श्री दूधनाथ—

मान्यवर, आपने बोलने जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सदन के सामने जिस विषय पर विचार किया जा रहा है, मेरे ख्याल से यह बहुत अहम विषय है, बड़ा गम्भीर विषय है। माननीय सदस्यों को बड़ी गंभीरता से इस मसले पर विचार करना चाहिये और फिर निर्णय लेना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सामने और विशेषकर हमारे इस गरीब प्रान्त उत्तर प्रदेश के सामने नशाबन्दी और नसबन्दी दो ऐसे मसल हैं जिन पर गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों समाज के सामने एक बात रखी गयी, आबादी को कम करने के लिये नसबन्दी के सवाल को लेकर समाज के सामने हम उतरे लेकिन समाज ने उसकी उपेक्षा की। दूसरा सवाल नशाबन्दी का है जिस पर आज विचार हो रहा है। नशाबन्दी, शराब पीना, मैं कहता हूं लोग कहते हैं, हमारा देश और समाज कहता है और इस सदन की मान्यता है कि शराब एक बुरी चीज है। लेकिन हमें आज विचार करना है, शराब को बन्द करने की व्यवहारिकता को अमल में लाने के संबंध में। पिछली सरकार ने एक टेस्ट किया और नशाबन्दी का नियम लागू किया। उसमें हमने देखा कि लखनऊ के अन्दर और हमारे प्रान्त के दूसरे अन्य जिलों में धोखा धड़ी, चोरबाजारी के जरिये शराब बिकनी शुरू हुयी। दूसरी तरफ हमने यह भी देखा कि

तमाम लोग जो शराब पीने के आदी थे जहरीली शराब पीने से वह मर गये । शराब में विष मिलाया गया। बिचौलियों को नकली शराब बनाने, लूट करने और दौलत-वान बनने का मौका मिला । मैं कहना चाहूंगा कि हमारी दूसरी तरफ जो हम चाहते हैं और जो माहौल पैदा करना चाहते हैं उसमें मैं विश्वास और यकीन करता हूं कि विरोध पक्ष में बैठकर इस बात को जरूर कल करेंगे कि हम और आप दोनों का दायित्व है कि हम आप चलें, समाज में उतरे और समाज के सामने इसकी बुराई रखें तो एक दिन आयेगा कि शराब बन्दी अपने होगी और जो मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

अधिष्टाता महोदय, मैं जिस समय मंत्री जी अपना आबकारी का बजट पेश कर रहे थे तो जो उनकी भावना थी, मैं नहीं सोच पा रहा था कि वह क्यों इतने दुखी हैं ? लेकिन बहस के बाद मेरी समझ में आया कि वह इसलिये दुखी थे क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके सामने टंगा है । तो जब उनकी नजर गांधी जी पर पड़ी तो वह शर्मा गये कि बापू जी कितने दुखी होंगे कि हम गद्दी के लोभ में यह बजट पेश कर रहे हैं । बापू जी के सामने जो हमने वायदा किया था कि नशाबंदी देश में जरूरी होगी लेकिन आज उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं क्योंकि कुर्सी का लाभ है, तो उनको इसमें दया आ गयी और उनकी आंखें भर आयीं ।

मान्यवर, मैं इसमें दो बातें केवल कहना चाहता हूं कि चूंकि मय बहुत कम समिला है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज यह सदन, सरकारी पक्ष यह कहे कि यह ऊपर लटका हुआ पंखा नहीं है तो मान्यवर, आप कहने के लिये बाध्य है कि यह पंखा नहीं है चाहे वास्तव में यह पंखा ही है । तो मान्यवर, यदि यह चीज हट जाय कि अध्यक्ष, नीर क्षीर विवेकी हो तो, यदि गलत बात कही जाय तो उसको गलत माना जाय और सही बात को सही माना जाय तो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का कल्याण हो जायगा ।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग बार-बार जनता पार्टी की दुहाई देकर कहते हैं कि जनता पार्टी ने कुकर्म किये हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि पुलिस की क्राइम रिपोर्ट देखी जाय तो 80 फीसदी रिपोर्ट में लिखा जाता है कि शराब के नशे में गुण्डे, डकैत और अपराधी पकड़े जाते हैं जिससे यह सिद्ध है कि शराब अच्छी चीज नहीं है । वह आदमी को गलत बनाती है । तो जिस चीज से आदमी का स्वास्थ्य चला जाय, जिससे आदमी का चरित्र चला जाय, धन चला जाय तो उसका सेवन क्यों किया जाय ? इसलिये शराब को पीने का कानून नहीं बनना चाहिये और यदि पीने का कानून बनता है तो यही अच्छी बात नहीं है ।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने श्री मंगल पांडेय के बारे में जो जिक्र किया आजादी की लड़ाई के सम्बन्ध में तो उससे इसको जोड़ना उचित नहीं है । मंगल पांडेय की आत्मा कराहती होगी कि स्वतंत्रता की आजादी में मां बहनों की गोदी और सिंदूर खाली हो गई, उनकी चूड़ियां टूटीं और वह विधवा हुई है, तो उससे इस शराब बन्दी को जोड़ रहे हैं तो यह ठीक नहीं है । मान्यवर, हिन्दुस्तान गांवों का देश है इसलिये मैं चाहूंगा कि यदि देश में धन की कमी है तो देश में प्रधान मंत्री को और प्रदेश में मुख्य मंत्री को चाहिये कि गांवों में ऐसे अनैतिक लाइसेंस दें कि जिससे धन इकट्ठा होने का काम हो जायगा और इनका धन का काम चल जायगा । नशाबन्दी और नसबन्दी को एक साथ जोड़ दें जिससे इनकी धन की कामना पूरी हो जायेगी और देश और प्रदेश का उद्धार हो जायगा । मान्यवर, यह लोग कहते हैं कि जनता पार्टी ने यह कुकर्म किये और इसलिये वह चली गयी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने वह कुकर्म नहीं किये बल्कि उसने रास्ता दिखाया, जिससे इस देश का भला होने वाला है लेकिन पीने वाले लोगों ने उसको

[श्री रुद्र प्रताप सिंह—]
फिर हटाना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह आत्मा की पुकार कहां है जिसने बड़े-बड़े पदों को छोड़कर (इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर, श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए) ऐसे काम किये जो नहीं करना चाहिये था। इसलिये बापू की आत्मा को आप उठायें। यदि यह सत्य है तो आज तय हो जाय कि—

पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद में होश में आना हराम है।

इस लाइन को भी उसमें जोड़ें जो आप पास कर रहे हैं। मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। यह भी जोड़ लिया जाय तब यह बिल पास कर दिया जाय। कटौती होनी ही चाहिए यह हमारा निश्चित मत है। ऐसा अनैतिक कानून विश्व के इतिहास में न बना है और न बनेगा। अगर यह पास हो तो अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र यह भी बढ़ा लें। 21वां सूत्री कार्यक्रम शराब पीने का होगा और सभी के लिये 21 सूत्री कार्यक्रम हो जायगा।

*श्री दयाल कृष्ण—

अध्यक्ष महोदय, यह शराब रोकने का, मद्य निषेध का प्रश्न, एक दलगत राजनीति के अन्तर्गत इस पर विचार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार यह सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है मैं यह समझता हूं कि इसके पीने को, बनाने, वितरण को, किसी प्रणाली से रोका नहीं जा सका। किसी राजनीतिक दल को बीच में लाना या उसमें दोषारोपण करना ठीक नहीं है। 30 वर्ष के स्वतंत्र भारत के इतिहास में हर प्रकार का प्रयोग हो चुका है। वास्तविकता यह पाई गई कि शराब पी जाती है।

प्रश्न इस बात का है कि इससे प्रभावित अधिकतर कौन से लोग होते हैं और यह जाहिर है कि ये वे लोग होते हैं जो रोज के मेहनतकश मजदूर हैं। 20–25 रुपये कमाने वाला 10–15 रुपय शराब में खर्च कर देता है। सब से ज्यादा प्रभाव समाज के इन्हीं लोगों पर पड़ता है, उन के बाल-बच्चों पर पड़ता है।

माननीय मंत्री जी ने सुझाव देने की बात कही है। मैं चाहता हूं कि सब से पहले यह जो ठेकेदारी प्रथा है इस पर पुनर्विचार होना बहुत आवश्यक है। हर साल हर ठेके में लाखों रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं। शराब का प्रयोग खास तौर से मजदूर प्रयोग करते हैं, कम पैसे वाले प्रयोग करते हैं, उन पर सारा बोझ इस ठेकेदारी प्रथा का पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता चाहूंगा कि इस पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाय। अगर शराब का वितरण नहीं रोका जा सकता है तो उस को शुद्ध किया जाना चाहिए। उस के अंदर जो अल्कोहौलिक कन्टेन्ट है, जो ठेके में बिकती है, वह बड़ा घातक है, हर एक के हैल्थ को उससे दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार की शराब सरकारी ठेकों पर बेची जाय जिसका अल्कोहौलिक कन्टेट बहुत कम हो और उस की कीमत इस प्रकार की हो जिसे 10–15 रुपये में आदमी पी सकें। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में नीति निर्धारित की जाय।

दूसरी चीज लाइसेन्स की है। राजस्व की पूर्ति क्योंकि ठेके में कम रुपया मिलेगा हम पावर अल्कोहल बनाकर कर सकते हैं। पावर अलकोहल का प्रयोग पिछले विश्व युद्ध में किया जा चुका है। पावर अल्कोहल और पेट्रोल को मिला कर सन् 42 से 46 तक उत्तर प्रदेश में बेचा जाता था। पावर अल्कोहल का वृहद प्रयोग राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इससे करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बच सकती है। विदेशों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जो पेट्रोल मंगाना पड़ता है उसकी पूर्ति अल्कोहल से हो सकती है। राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे सकती है कि जो शराब ठेकेदारी में बिकती है उस की मात्रा में कम से कम 10–12 प्रतिशत तक अल्कोहल हो। इस प्रकार शराब का वितरण और बिक्री हो और उसका अमल तेजी और दृढ़ता के साथ किया जाय। कच्ची शराब और अन्य शराबें बनती हैं व्यवहारिकता की दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं। ऐसे निर्णय जो हमारी भावनाओं के विरुद्ध हों उनके लेने के लिये बड़ी दृढ़ता की जरूरत है और इस मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उसके लिये यह धन्यवाद का पात्र है क्योंकि यह निर्णय अप्रिय जरूर है, जो घोषित नीति है उसके विरुद्ध है लेकिन वास्तविकता के अनुरूप है। इन शब्दों के साथ जो मांग रखी गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर मूल्यवान सुझाव दिये हैं। एक बात जरूर देखने को मिली, यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रश्न है जिसके ऊपर दलगत नीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिये लेकिन पूरी बहस एक मुद्दे पर आकर रह गयी। उधर बैठे सभी माननीय सदस्य कहने लगे कि जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय उसने यह गलत काम किया, यह गलत काम किया और आप उसको रोक नहीं पाये। मैं थोड़ी देर के लिये स्वीकार कर लेता हूं लेकिन इस पर विचार किया जाय कि जहां भी शराब की दूकानें खुली हैं वे सब पिछले तीस साल में अनुमति दे कर खोली गयी थीं। साल डेढ़ साल के हमारे शासन में कोई नई दूकान खोलने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने कुछ जिलों में बन्दी जरूर कर दी मगर कोई दूकान मन्दिर के पास है या मस्जिद के पास है, इस विवाद में न जा कर सोचना यह होगा कि उसको खोलने में किस की अनुमति मिली थी मैं समझता हूं कि यह बहुत ही छिछला और हल्का तर्क है, इससे उठकर हमको विचार करना चाहिये। इसलिये आपने इसे खोल दिया क्योंकि कुछ जिलों में चन्दा मिला था। यह बात आपने स्वयं साबित कर दी उसे मैं कहना नहीं चाहता था। कौन नहीं जानता हरियाना, दिल्ली के बड़े बड़े ठेकेदार और थैलीशाह चुनाव के दौरान घूम रहे थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और जहां बन्दी थी वहां आपने खोल दी इससे यह बात अपने आप साफ हो जाती है।

प्रथाओं की बात उधर से कही गयी कि हमारे यहां पीने की प्रथा थी। धार्मिक ग्रन्थों तथा आख्याओं का अध्ययन तो मैंने किया है लेकिन मुझे विश्वास है कि इस प्रथा का समर्थन किसी ने न किया होगा। वारवाक दर्शन जो भौतिकवादी है उसने भी घी पीने की बात कही है, उसने यह नहीं कहा कि शराब तथा सुरा पिया करो। केवल प्रथाओं का नाम ले कर किसी खराब बात का समर्थन करना बहुत हल्की बात होगी।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि कानून से कोई बात रोकी नहीं जा सकती। यह आंशिक सही हो सकता है। अगर पूर्ण सही होगा तो बाल विवाह और विधवा विवाह के लिये आयु सीमा न रखी जाती। न जाने कितने कानून बने हैं जो नैतिकता से सम्बन्धित हैं और जिसमें हमने सीमाओं का निर्धारण किया है। इसलिये यह बात अपनी जगह पर तर्क हीन हो जाती है कि एक तरफ हम इस पर रोक हटा दें और दूसरी तरफ कुछ कर न पायें। दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। मान्यवर, चलनी में दूध दुहने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा होगा, सारा दूध नीचे गिर जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पुनः बल प्रदान करता और सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि इन तर्कों से जो दल की सीमाओं में बंधे हुये हैं उनसे ऊपर उठकर समाज के हित में विचार करें क्योंकि सभी ने स्वीकार किया है कि शराब खुलने का प्रभाव महिलाओं पर, बच्चों पर, गरीबों को, हरिजनों पर, मजदूरों पर पड़ेगा, अमीरों पर नहीं पड़ेगा। कमजोर वर्ग पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। जो दो चार

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

रुपये शाम तक पाता है और फिर गन्दे वातावरण में जाकर शराब पीता है तो यह कितनी खराब बात होगी, इसका आप अहसास कर सकते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप आने वाली संतानों की रक्षा कीजिये और इस पर पुनः-विचार कीजिये।

मान्यवर, मैंने एक दूसरी बात की तरफ भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसी के कारण जो रेवेन्यू आपको मिलना चाहिये वह आपको नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं मंत्री जी निवेदन करूंगा कि उसमें कड़ाई लाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया। मान्यवर, मुझे यह खेद अवश्य है कि विपक्षी दल के वरिष्ठ सदस्यों से मैं यह आशा जरूर करता था कि वे राजनीति से ऊपर उठकर जैसा कि हमारे सदस्य सीतापुर ने अभी अभी फरमाया कि अगर वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक सुझाव देते तो वह मेरे लिये मार्ग दर्शन का काम करता।

मान्यवर, जो खासतौर से क्रिटिसिज्म इस सदन में आज चला है, वह दो बातों पर चला है। पहली बात यह है कि इसके लिये नैतिक मूल्यों का आधार माना गया है। मैं इसी बात को मानता हूं कि नैतिक मूल्यों पर राजस्व के लालच से, नैतिक मूल्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये अगर राजस्व की कुर्बानी करनी पड़े तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो उसका समर्थन करूंगा। लेकिन मैंने पहले भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था पहले अपने भाषण में कि हमने मूल्यांकन किया कि जहां जहां प्रौहिबिशन किया गया था, जिन-जिन जिलों और तहसीलों में नशाबन्दी लागू की गयी थी वहां हमने नैतिक मूल्यों को प्राप्त किया? वहां हमने उलटा ही पाया। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने उसमें कुछ प्राप्त नहीं किया और बहुत खोया है। माननीय मोतीलाल देहलवी जी चले गये, उन्होंने सुरा का जिक्र किया था। 19 दवाओं के नाम पर शराब बिकती रही। उससे क्या हम नैतिक पतन की ओर नहीं बढ़े? मैंने इस वजह से कहा था कि जिले-जिले तहसील-तहसील में करेप्शन बढ़ गया स्मगलिंग बढ़ गयी। पुलिस का भी इसमें हाथ है, मैं इससे इन्कार नहीं करता। उस जमाने में पुलिस का हाथ भी रहा और उसकी आमदनी भी बढ़ी। उस जमाने में बाहर से आने वाली शराब का व्यापार भी बढ़ा। इस प्रकार हम नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के बजाय उनको समाप्त करने की तरफ बढ़े हैं। एक बड़ा मौलिक प्रश्न है हमारे सामने। हमारे रियासत साहब ने शराब के माने बताये शर जमा आब। जो उर्दू जानने वालें हैं वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं शर माने शरारत, झगड़ा आब माने पानी, तो जिस पानी को पीने से आदमी झगड़े पर उतारू हो जाये, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे माननीय सदस्य ने पुरजोर अल्फाज में यह आरम्भ करते हुये कहा कि आज सदन का पहला दिन अनुदानों पर बहस का है और यह हम पूज्य बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ कर आप और हम इसे पास कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा गजब हो गया यह तो हर साल यहां पर पास करते हैं इसी वर्ष क्या विशेष बात हो गयी।

हमारे माननीय सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी ने गांधी जी का तसकरा किया मैं उनको बधाई देता हूं कि आज उनका बापू को मानने की तरफ रूझान बढ़ता जा रहा है इससे मैं उनकी

कदर ही करूंगा और कुछ नहीं कहूंगा वह खुद सोच लें। मान्यवर, महात्मा जी के उपदेशों में से एक बात की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जंगे आजादी की पूरी लड़ाई में उन्होंने एक भी काम को जब तक आरंभ नहीं किया जब तक कि जनभावना को नहीं जान लिया और तब तक उनको कानूनी शेप देने को नहीं कहा। तो हमारा उद्देश्य भी यही है, हम भी यही चाहते हैं कि जन भावना उत्पन्न करें कि शराब पीना लोग छोड़ दें। मान्यवर, मुझे याद है सन् 47 से पहले शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की जाती थी, प्रचार किया जाता था, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि लेशमात्र भी किसी राजनीतिक दल ने इसकी तरफ कदम उठाया हो। तो आज माहौल ही बदल गया है, लोग उन चीजों की तरफ चलना नहीं चाहते हैं।

मैं ज्यादा बहस की तरफ नहीं जाना चाहता। तो इसके केवल दो पहलू हैं हमको अपने नैतिक मूल्यों को बनाये रखते हुए रेवेन्यू को भी देखना होगा। राजस्व को मैंने प्राथमिकता नहीं दी मैंने यह कहा कि मद्य निषेध होना चाहिये, संविधान के आर्टिकल 47 में जिसका तसकरा हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दिया, मान्यवर, मैं उसको अक्षरश: मानने वाला हूं अगर मुझको यह महसूस हो कि इससे हमारे नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। एक माननीय सदस्य जो मेरे ही जिले के रहने वाले हैं मेरे बारे में कहा कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं बहुत अच्छे आदमी हैं और कहा लेकिन उन्हों भी शायद ज का दे बा है तो उनके ज्ञान का जो उन्होंने मदन में दिया है खुदा ही हाफिज। मैं उन व्यक्तियों में से हूं लेशमात्र भी यह मालूम हो जाय कि हमारी भूतपूर्व सरकार ने जो कदम उठाया उससे देश और प्रदेश में नैतिक मूल्यों में वृद्धि हुई है और उसके बाद मुझ को यह विभाग मिलता, मैं यकीन दिलाता हूं हरगिज-हरगिज इसको स्वीकार नहीं करता, कम से कम जो शराब खोल दी गयी है इसको नहीं खोलता।

मान्यवर, मैं सफाई से कहना चाहता हूं इस बात को कि अगर विपक्षी दल के लोग सदस्य मुझे यह कुछ प्रेक्टिकल समझा दें कि इससे वास्तव में कुछ भला होने वाला है, तो फिर यदि हमें दुबारा भी प्रोहिबिशन करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। उसके लिए माननीय सदस्य कोई शब्द दे नहीं पाये। केवल गांधी जी का नाम लेकर कोई अव्यवहारिक बात करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्हें स्वयं लगा कि वह कोई प्रैक्टिकल बात न कहकर केवल थ्योरेटिकल बात कह रहे हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा न कहकर माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि कृपया इन अनुदानों को स्वीकार करें और विपक्षी दल के सदस्य, सीतापुर से चाहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—क—आबकारी विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—क—आबकारी विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की स्वीकार हुई है—एलगिन मिल, कानपुर में तालाबन्दी घोषित करने से हजारों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने के संबंध में शेष सूचनायें अस्वीकृत है।

श्री मोहन सिंह—

श्रीमन्, मैंने भी इस पर दिया था ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपका भी मैंने नाम शामिल कर लिया है।

[समय 3.55 बजे अपराह्न से]

सम्पूर्ण प्रदेश में अतिवृष्टि से हुयी क्षति की पूर्ति हेतु उचित आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, बाढ़ के संबंध में सदन में चर्चा हो चुकी है लेकिन उस समय से लेकर अब तक स्थिति में काफी अन्तर हो गया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि जो वक्तव्य होने जा रहा है, उसको पढ़ा हुआ मान लें और फिर किसी दिन सूखे और बाढ़ के संबंध में एक दिन की चर्चा आप करा दें तो अच्छा होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य बहुत बड़ा नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के संबंध में प्रदेश की सामान्य स्थिति और इस वर्ष इस दैवी आपदा से निपटने के लिए की गयी पूर्व तैयारी के विषय में इस सदन को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। जून, जुलाई व अगस्त मास में प्रदेश में होने वाली साधारण वर्षा इसवर्ष हुई वास्तविक वर्षा और इसी अवधि में वर्ष 1978 की बाढ़ विभीषिका के समय हुई वर्षा की स्थिति संलग्नक—1 में दिखायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष प्रदेश में वर्ष 1978 से भी ज्यादा वर्षा हुई है। वस्तुतः इस वर्ष राज्य में वर्षा पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक हुई है। फलस्वरूप बाढ़, जल प्लावन, भूस्खलन से 31—8—80 तक प्रदेश के 46 जिलों के 30 313 गांव तथा 1.90 करोड़ जन संख्या प्रभावित हुए। प्रदेश के कुल 298 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से

39.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है जिसमें 18.05 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल है। 31-8-80 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 7.44 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए है तथा 755 मनुष्य 3 093 पशुओं की मृत्यु हुई है। अनुमानित क्षति 116 करोड़ रूपये से भी अधिक है। जिलेवार विवरण संलग्क-2 में है फिर भी ऐसा नही कहा जा सकता कि प्रशासन इस ओर सजग नहीं था। विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों के कारण ही वर्ष 1978 की तुलना में इस वर्ष बाढ़ तथा जल प्लावन से कम क्षेत्रफल प्रभावित हो सका है। वर्ष 1978 में अगस्त तक 43.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था जब कि इस वर्ष 39.11 लाख हे0 क्षेत्र प्रभावित है। इसी प्रकार 18.05 लाख हे0 कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है जबकि वर्ष 1978 में अगस्त तक 21.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। परन्तु वर्षा बहुत अधिक होने के कारण मकानों को बहुत अधिक क्षति हुई है और कुल 755 में 641 मृत्यु अकेले मकानों के गिरने से ही हुई है। मृतकों की शेष संख्या में से केवल 33 बाढ़ के कारण मरे हैं जो इतनी बड़ी दैवी आपदा को देखते हुए बहुत कम है। प्रभावि क्षेत्रों से व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं अन्य राहत कार्यों में 4,537 नावें तथा 34 मोटर बोट का प्रयोग किया गया है। 31-9-80 तक मिली सूचना अनुसार 2,75 709 व्यक्तियों तथा 2,34,076 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। जिलों में सामान्य पुलिस के अलावा सहायता कार्य में होमगार्ड स को भी लगाया गया है। जनपद जौनपुर, देवरिया, इटावा, रायबरेली, गोण्डा एवं सुल्तानपुर में बाढ़ सहायता कार्य में प्रशिक्षित पी0ए0सी0 प्लैटून भी लगाये गये है। पी0ए0सी0 के पास मोटर चालित नावें भी है। जनपद प्रतापगढ़ एवं बांदा में सेना तथा उनके मोटर बोटों की भी सहायता ली गयी है। जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार मल्लाहों एवं गोताखोरों की सेवायें लेने तथा नावें किराये पर लेने एवं खरीदने हेतु विशेष सहायता मद से व्यवस्था कर लें।

इस दैवी आपदा से जूझने के लिए पहले से की गयी तैयारियां,सम्भावित बाढ़ क्षेत्रों में दी गई चेतावनी तथा बचाव कार्यों में तेजी का ही यह प्रभाव है कि इतनी बड़ी दैवी आपदा आने पर लोगों की सम्पत्ति की क्षति उस तुलना में कम हुई है। बाढ़ एवं जल प्लावन से प्रभावित जन संख्या भी अब तक केवल 19 प्रतिशत है।

बचाव एवं राहत कार्य के लिए जिलों में 1395 बाढ़ चौकियां,724 बाढ़ सहायता केन्द्र कार्यरत हैं। पर्वतीय जनपदों में एवं मैदानी जनपदों के तहसील मुख्यालयों पर खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था भी की गयी है। अहेतुक सहायता के लिए पूर्व निर्धारित धनराशि 100 रु0 की सीमा बढ़ाकर 150 रु0 कर दी गयी है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु गृह निर्माण अनुदान की धनराशि कच्चे मकानों के लिए 300रु0 से बढ़ाकर 500 रु0 एवं पक्के मकानों के लिए 400रु0 से बढ़ाकर 800रु0 कर दी गयी है। पूर्वतीय जनपदों के लिए पक्के मकानों के पुनर्निर्माण हेतु अधिकतम धनराशि 1 000 रु0 कर दी गयी है। यह भी स्पष्ट निदेश दे दिये गये है कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों के मामलों में गृह निर्माण अनुदान के लाभ से समाज का कोई वर्ग वंचित नहीं माना जायेगा। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों के मामलों में गृह निर्माण अनुदान की धनराशि न्यूनतम 200 रु0 देने हेतु मार्ग निदेशन भेजे गये है। लोगों को शीघ्र सहायता दिलाने के उद्देश्य से खण्ड विकास अधिकारियों को गृह निर्माण अनुदान बांटने का अधिकार दे दिया गया है। शासन के यह भी आदेश है कि वितरण से पूर्व तिथि एवं संस्था को सूचना स्थानीय विधायकों, ब्लाक प्रमुख एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी दी जाय ताकि वे वितरण के समय उपस्थित रह सके। शासन के द्वारा अब तक जिलों में बाढ़ राहत कार्य हेतु आपदा तकाबी मद में 4.13 करोड़ रु0 या अलावा अहेतुक सहायता मद में 3.97 करोड़ रु0, गृहनिर्माण हेतु अनुदान में 3.82 करोड़ रु0 तथा विशेष सहायता मद में 1.82 करोड़ रु0 कुल 9.61 करोड़ रुपया

[श्री यशपाल सिंह-]

उपलब्ध कराया गया है जबकि वर्ष 1978 में इसी अवधि के दौरान तीनों मदों को मिलाकर केवल 2.18 करोड़ रु0 उपलब्ध कराया गया था। जिलेवार विवरण संलग्न-3 में है।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्रभावित कृषकों से चाहे उनकी क्षति कितनी ही हुई हो भू-राजस्व एवं अन्य कृषि देयों की वसूली 30-11-80 तक स्थगित रहेगी। इसके अलावा कक्षा-7 से विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों जिनके अभिभावकों की जोतों को 50 प्रतिशत या अधिक क्षति हुई है या जिनके अभिभावक भूमिहीन कृषक हैं उन्हें अगस्त, 1980 से शिक्षा-शुल्क की वसूली से 6 माह के लिये मुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारियों को भी शासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राहत कार्य में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी और आवश्यकतानुसार जिलों को और भी धनराशि यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर ली गयी है। लोगों को रोजगार के अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने के लिये श्रम के बदले खाद्यान्न योजना की गति तीव्र करने के उपाय किये जा रहे हैं।

जिन जनपदों में भूसे की कमी की समस्या उत्पन्न हुई थी वहां भूसे के भण्डारण एवं उपलब्धता की व्यवस्था कर दी गयी है। क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरन्त मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है। शासन ने शीघ्रता की दृष्टि से यह भी आदेश दिये हैं कि ऐसी सड़कों की मरम्मत आगणन की स्वीकृति की बिना प्रतीक्षा किये ही करा ली जाय। रेलवे से भी बराबर सम्पर्क बना हुआ है और क्षति-ग्रस्त रेलवे ट्रेकों को तुरन्त मरम्मत की दिशा में राज्य शासन ने तुरन्त सहायता प्रदान की है।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न होने वाली महामारियों के प्रति भी शासन सजग है। हैजे तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त 452 लोगों में से 94 की मृत्यु हुई है। व्यापक रूप से हैजे के टीके लगाने की व्यवस्था की गयी है। अब तक 13.94 लाख लोगों को हैजे के टीके लगाये जा चुके हैं।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ की विभीषिका के प्रति शासन पूर्ण रूप से सजग है और यथासम्भव बचाव एवं राहत कार्य किये जा रहे हैं और आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(संलग्नकों के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 521 पर)

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतायेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि जिलों को निर्देश दे दिये गये हैं, राहत कार्यों के लिए अहेतुक सहायता दी जायगी। मिनिमम 200 रु0 कर दिया है और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए कच्चे मकानों पर 500 रु0 एवं पक्के मकानों के लिए 800 रु0 दी जायगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इस बात की पूरी जानकारी कर ली है कि आपके आदेश जिलों में लागू हैं या नहीं ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मुझे तो विश्वास है कि आदेश जो हैं लागू हो गये हैं लेकिन अगर किसी स्थान पर माननीय सदस्य शिकायत करेंगे तो उस पर तुरन्त ऐक्शन लिया जायगा।

श्री भीखा लाल--

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे उन्नाव जिले में चाहे पूर्ण रूप से मकान गिरा हो या आंशिक रूप से गिरा हो, केवल 100 रु0 दिये जा रहे हैं। हमारी जितनी मांग है, नहीं दिया जा रहा है। क्या जिले में जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार आप रुपया देने की कृपा करेंगे ताकि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक वहां पर बट सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश कर दिये गये हैं कि वहां की आवश्यकता के अनुरूप हम से वह मांग कर लें, हम उसको स्वीकार करेंगे । लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके संबंध में उनको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह न्यूनतम 200 से 800 तक ही दिया जा सकेगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि और अपने जनपद की सूचना के साथ यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अहेतुक सहायता 100 रु0 से बढ़ा : 150 रु0 दिया जायगा । लेकिन हमारे जिले में 20, 25, 30 रु0 तक ही सहायता दी जा सकी है । क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध मे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो यह अहेतुक सहायता के लिए आदेश दिये गये हैं, इसको तुरन्त लागू किया जाय ? जहां पर 50 प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में क्षति हुई, विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7 से लेकर विश्वविद्यालय तक उनकी फीस 6 महीने तक माफ रखी जायगी तो क्या मान्यवर, इस वर्ष सिंचाई और लगान भी माफ कर दिया जायगा ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्ट कर दें ।

श्री मित्रसेन—

क्या इस वर्ष की फसल का लगान और सिंचाई भी माफ कर देंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष—

लगान और सिंचाई को स्पष्ट कर दें ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, लगान तो स्थगित है ही । मान्यवर, जहां तक माफी का संबंध है वह नियमानुकूल किया जायगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे फैजाबाद के सम्मानित सदस्य ने इस बात को आपके सामने रखा था, यह बात सही है कि फैजाबाद में केवल 20 और 25 रुपये अहेतुक सहायता के रूप में अब तक बांटा गया है । और अकबरपुर तहसील में शायद 908 गांव है, जिनमें से लगभग 300 गांव जल-प्लावन से प्रभावित हैं, जिनकी सहायता के रूप में केवल 95 रु0 तक बंटे हैं, और कल तक वहां पर एक पैसा भी नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने मूल प्रश्न पर आइये ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं मान्यवर, जानना चाहूंगा कि जो बात मंत्री जी कह रहे हैं और इस पर जो बात विरोध पक्ष की ओर से कही जा रही है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री यशपाल सिंह---]

मान्यवर, यदि इस प्रकार की कोताही किसी भी लैबिल से होगी जसा कि बतायी गयी, तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जायेगा ।लेकिन इस ओर एक और कठिनाई हो सकती है, कि जिन मकान को क्षति हुयी या जिन परिवारों को क्षति हुयी, नका वैरीफिकेशन न हो पाया हो और पूरी तौर पर सही तौर पर विभाग वालों को जानकारी न मिल पायी हो,जिसकी वजह से उनमें पैसा तकसीम होने से रह गया हो । यह हो सकता है लेकिन अगर ऐसी बात हुई हो कि उनको पता हो और उन्होंने जानबूझकर वहा पैसा न बांटा हो, तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहा कि बाढ़ पीड़ित और वर्षा पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि जितने भी पैसे की आवश्यकता पड़े वह मांग लें और शासन देगा । तो मान्यवर, इससे पहले भी ऐसे मामलों में यह परम्परा रही है कि जिलाधिकारी हमेशा एक मीटिंग विधायकों की किया करते थे । तब उनके विश्वास को लेकर उन्हें सही स्थिति मालूम होती थी कि कितना नुकसान हुआ है और वास्तव में कितनी आवश्यकता है सहायता को । तो क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारियों को आदेश देंगे कि उस जिले के तमाम विधायकों को बुलाकर उनको विश्वास में लेंगे और उनके क्षेत्र को तकलीफों को भी सुनेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

माननीय सदस्य ने शायद यह सुना नहीं और पढ़ा तो है ही नहीं कि जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि क्षेत्र के संबंधित विधायकों, ब्लाक प्रमुखों तथा वहां के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को विश्वास में लाकर ही समस्त निर्णय लिये जाएं और उसके अनुसार धन बांटा जाए । (व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर जो हो रहा है हम लोगों के निर्देशों के विपरीत हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं, जो उन्होंने सदन में व्यक्त किया है कि जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि जैसा जो जिला कम पड़े, मांग लें । हमारी सूचना को सही मानकर कि हमारे जिले सीतापुर की सदर तहसील में 12–14 दिन हो गये हैं, जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा अभी तक धन स्वीकृत नहीं हुआ है । दूसरे यह कि कृषि क्षेत्रों को तकावी देने की बात तो कहते हैं परन्तु क्या अकृषि क्षेत्रों को सहायता नहीं दी जायेगी । मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि हमारे यहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन लोगों के मकान गिरकर नष्ट हो गये और काफी नुकसान आर्थिक रूप से हुए हैं लोगों के तो अब तक ऐसे लोगों को तकावी न देने के क्या कारण हैं, माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, मैंने कृषि और अकृति क्षेत्रों के बारे में अलग-अलग तो बताया नहीं । मैंने तो सब जगह बताया । दूसली बात जो माननीय सदस्य ने अपने जिले और तहसील के बारे में जिक्र किया है । अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मांगने पर भी यदि शासन ने स्वीकृति नहीं दी है तो शासन स्तर पर ही उस गलती को माना जायेगा । अगर जिला स्तर पर कोई गलती है तो जिला स्तर पर मानी जायगी । लेकिन माननीय सदस्य अगर और जानकारी स्पेसिफाई कर दें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) इतना समय निकल चुका है।

श्री रियासत हुसैन—

फिर टाइम बढ़ जायगा। एक सवाल की इजाजत दे दें।

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने तालिका दी है, 46 जिले बाढ़ पीड़ित हैं और छः जिले बिजनौर, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और रामपुर यह सूखे से पीड़ित हैं। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सदन में इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि 1978 में सूखे और 1980 में बाढ़ से 52 जिले प्रभावित हो गये, इस चीज को सामने रखकर 1978–79 से पिछले दो सालों का लगान जो स्थगित है उसको समाप्त करने की घोषणा माननीय सदन में करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

उसके ऊपर शासन सतर्क है, सजग है। विचार कर रहा है, जहां पर काबिले माफी है माफ जरूर किया जायगा।

[समय 4.16 बजे अपरान्ह से]

ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के सम्बन्ध में दुख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब मद 13 पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा 19 तारीख को प्रारम्भ हुई थी। उस दिन एक घंटा 48 मिनट इस पर चर्चा हुई थी। दो घंटे 12 मिनट और चर्चा होनी है। उस दिन जब आखिरी भाषण हुआ था अम्मार रिजवी साहब का तो उन्होंने प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कहा था। माननीय मोहन सिंह ने भी कहा था। उस समय मैंने यह निर्देश दिया था कि जो अपना प्रस्ताव रखना चाहेंगे संशोधन लिख कर दे देंगे। माननीय अम्मार रिजवी साहब की तरफ से यह संशोधन का प्रस्ताव आया है।

'प्रस्ताव की अन्तिम पंक्ति में शब्द "गम्भीर चिन्ता" तथा शब्द "व्यक्त करता है" के बीच शब्द "तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना" बढ़ा दिये जायं।'

यह संशोधन प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं आप समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि दो घंटे 12 मिनट इस पर समय शेष है। माननीय सदस्य इस पर अधिक से अधिक बोलना चाहेंगे माननीय मुख्य मंत्री सब उत्तर भी देंगे तो अगर आप उचित समझें तो पांच-पांच मिनट का समय कर दिया जाय।

एक सदस्य—

चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय।

---

†दिनांक 29 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से।

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा सुझाव है कि सात मिनट सदस्यों के लिए और दस मिनट नेताओं के लिए रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सात मिनट कर दिया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी भी मेरी बात सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय आजम खां जी

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत मामूली से मुद्दे पर यानी मुरादाबाद के बारे में जो चर्चा हो रही है जहां मेरे अपने शुमार के ऐतेबार से 2 हजार लोगों को मारा गया है उसमें 700 बच्चे हैं। इस छोटे से मामले पर सदन ने और आपने कृपया की है कि हमें बोलने का वक्त दिया है। अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूं—

जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है,
खून फिर खून है टपकेगा तो जम जायगा।

मैंने कई रोज पहले यह कहा था कि जिला इन्तजामिया ने अपनी कमजोरी पर अपनी कमी पर परदा डालने की नाकाम कोशिश की है जो फसाद जिला इन्तजामिया की खराबी के सबब हुआ उसको फिरकेवाराना फसाद कह दिया। मैं कहता हूं कि यह फिरकेवाराना फसाद नहीं था। 14 तारीख को साढ़े पांच बजे मैं मुरादाबाद पहुंचा। मैंने घूमकर देखा और समझा कि यह फिरकेवाराना फसाद नहीं था। लेकिन जिला इन्तजामियां ने जो आग लगायी मैं पूछता हूं, बताये यह सरकार क्या कोई हिन्दू इस बात के लिये तैयार होगा कि गीता को जलाया जाये कोई मुसलमान यह तैयार होगा कि कुरान को जलाया जाय। मैं कहता हूं कि अगर खुदा कहीं है जैसा मेरा इमान है कि खुदा है तो वह ऐसी साजिश तैयार करने वाले लोगों को बखशेगा नहीं। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी मैं उस घर की तस्वीर लाया हूं जहां जले हुये कुरान के सिवा कुछ नहीं है यह उस औरत की तस्वीर है जिसके बच्चे मार डाले गये वह पागल हो गयी है। यह बब्बन खां के घर की तस्वीर है मैं कहता हूं कि अगर यही होगा यहां पर जमहूरियत को यही गौइज्जत होगी तो कोई भी कमजोर तबक यहां पर इस मुल्क में रहने के लिये तैयार नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई शख्स ईदगाह मैदान में नमाज के लिये अपनी कमर में बम बांध कर, कोई शख्श बन्दूक और तोपें लेकर जायेगा मगर किसके लिये जायेगा उस मजमें में 60 हजार बड़े और इतने ही बच्चे थे मुरादाबाद की यह रियावत है कि वहां छोटी मस्जिदों में नमाज नहीं होती बल्कि वहीं बड़ी मस्जिद ईदगाह में नमाज होती है और ईदगाह के पास ही एक बड़ा मेला लगता है। जहां लोग अपने बच्चों के साथ ले जाते हैं कि वह मेला, वह बाजार बच्चें भी देखें और छोटे-छोटे खिलौने जिसको हम लोग तड़-तड़िया कहते हैं, खरीदते हैं। क्या कोई भाई या बाप, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अपने ही फूलों को अपने पैरों से कुचलेगा अगर अपनी औलाद होती और उनको मालूम होता कि उनके बच्चे और बच्चियों का कत्लेआम किया जायेगा तो क्या वह अपने भाई या बाप अपने बच्चों को वहां ले जाते? क्या कोई जालिम मां ऐसी होगी जो

अपने 4 साल से 8 साल के बच्चे और बच्चियों को नीले-पीले रिबिन बालों में बांधकर यह जानते हुये कि वहां ऐसा हादसा होने वाला है किसी बाप और भाई के साथ भेजेगी ? कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चों को कत्लेअ म कराने के लिये कमर में बम बांधकर जा गा । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ईदगाह में कितने गोले बरामद हुये कितनी तोपे और बन्दूकें बर मद हुयीं ? मैं कहता हूं कि आपने नमाजगाह को नम जगाह नहीं रखा बल्कि उसे मुकद्दस मुकाम को बन्दूकों, तोपों और गोलों का भन्डार कह दिया । मैं इन फोटोज का जवाब सरकार से चाहूंगा कि ये मकानात किसने गिराये, किसने लूटे । फिरकेवारियत को रुत देने के लिए हुकूमत जवाब दे । मैं आपसे कहना च हता हूं कि जहां 2 हजार लोग कत्ल कर दिये गये हों और हमें कहने तक के लिये हक नहीं रहेगा तो हमें एक दिन इस मुल्क में रहने का कोई अख्तियार नहीं होगा । आपने पूरे मु क को, कैदखाना बना रखा है । नामनिहाद जम्हूरियत हाउस में बाकी थी मगर उस का भी गला घोंटा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मुझे सच्चाई कहने का मौका दिया जाये वरना मुझसे कहा जाये कि मैं हाउस से चला जाऊं ।

श्री अध्यक्ष--

यह 7 मिनट का समय सदन की राय से, सहमति से हुआ था । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी पाबन्दी की जाये ताकि और सदस्य बोल सकें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

14 त रीख की शाम तकरीबन साढ़े पांच बजे मैं और हाफिज जी, मैं समझता हूं कि हाफिज़ जी हाफिज भी हैं और हाजी भी हैं मुरादाबाद गये, देखा कि आपकी पी0ए0सी0 की ट्रकों से लाशों को निकाल दिया गया । मुझे बतायें कि क्या वे इस मुल्क के रहने वाले हीं थे ? अगर वह पाकिस्तानी थे, अ बियन थे, अमरीकन थे, तो वे कैसे आये थे ? मेरे पास यह तस्वीर 15 साल का एक लड़की की है । इसके शौहर को इसके सामने मारा गया । 16 तारीख को जब हम और हमारे एक साथी वजीर जो पिछली सरकार में सेन्ट्रल मिनिस्टर हुआ करते थे, मुरादाबाद में दाखिल हुए तो तकरीबन 250 आदमियों ने हमारी गाड़ियां रोकीं । पी0ए0सी0 के ट्रक उन लोगों के सामने खड़े हुए थे । जब हमने अपनी गाड़ियां कटघरे थाने पर जाकर रोकीं तो एक मजिस्ट्रेट हमारी तलाशी लेने के लिये आये । तो मैंने पूछा कि आपको हमारे आने को यहां किसने कहा तो उन्होंने बताया कि पीछे खड़े लोगों ने । मैंने कहा कि आप कैसे आदमी हैं जो एक एम0एल0ए0 की तलाशी लेने के लिये आये? वह गली शहीद का चौराहा ह । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर एक लफ्ज गलत हो तो मुझे संगीन से संगीन सजा जो आप तजबीज करेंगे, मैं बरदाश्त करूंगा लेकिन वह गली शहीद के चौराहा पर । 100 मीटर के दायरे में 27 लोगों को पी0ए0सी0 ने मारा । ये मजबूर लोग जहां जाकर गिरे हैं वहां खून के धब्बे भी थे । जिसकी यह तस्वीर है । वहीं नमाजियों के 5 लोगों को मस्जिद के छत से निकाल कर कत्ल कर दिया गया । वहीं पर एक हाजी और हज्जन दूसरे दो लोग थे बूढ़ी हज्जन एक मंजिल के नीचे इसलिए बैठी रही कि मुझे कौन क्या करेगा । मगर पी0ए0सी0 के बहादुर जवान, इस मुल्क के रखवालों ने उस बुढ़िया को गोली मार दी जो 80 वर्ष की थी, 32 तोला सोना लूटा ।

अध्यक्ष महोदय, दलील दी गयी कि हथियारले जाये गये, इस बात का सबूत दें या इस बात की तस्दीक करें कि हजारों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया । काश

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

मुख्यमंत्री जी इस पर दो आंसू ही बहा देते या कह देते कि यह कत्लेआम आपने किया है। हिन्दुस्तान में रहने वाला हर कमजोर शख्स इस मुल्क में यह महसूस करता है कि उसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। जिस तरह कि जिस्म के किसी हिस्से में फांस चुभ जाये तो उस वक्त तक जिस्म को चैन नहीं नसीब होगा,पूरा जिस्म तड़फता रहेगा जब तक कि फांस न निकाल दी जाये उसी तरह से अगर इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान यतीम रहेगा, यह तबका परेशान रहेगा तो पूरा मुल्क तड़फता रहेगा।

आपने फरमाया, आपकी दिल्ली की सरकार ने फरमाया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, अरबी का हाथ है अमेरिका का हाथ है। वह बम जो अकलियत के सीने पर मारे गये, वह बम जो मुसलमान के घर पर गिरा, वह गोली जो मुसलमान के सीने को पार कर गयी, वह गोली, वह बम अरब का बना हुआ था, अमरीका का बना हुआ था। मुसलमान का कहें तो नाइन्साफी होगी। क्या वह बम अरब से आया था, पाकिस्तान से आया था, आप कहें अगर यह आपके अन्दर ताकत नहीं है अरब की बात कहेंगे तो तेल की मिलने वाली भीख बन्द हो जायेगी। अमरीका की बात कहेंगे तो कर्ज बन्द हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब भाषण बन्द करें, समय हो गया।

श्री मुहम्मद आजम खां--

एक लफ्ज कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा।

एक शेर कहता हू जो मुख्य मंत्री जी के नजर है।

थे वारदात हर एक संगेमील पर लिख दों,
लहू के दाग मिले रहनुमा के दामन पे।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर अभी माननीय आलम साहब ने रुख पेश किया मुरादाबाद की फसादाद के सम्बन्ध में। दो राय नहीं है कि यह फसादाद हिन्दुस्तान की तारीख में बदनुमा दाग की तरह लगता है। यह सिलसिला पहले से ही जारी है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि हम सदन में जो कुछ कह रहे कहीं वह लफ्ज ऐसी फिजा सदन से बाहर न बना दें कि..... (शोर)

खामोश रहिये। आप भी मंत्री रह चुके हैं उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकला करती थी।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, माननीय मोहन सिंह को मैं वह दिन याद दिलाना चाहता हूं। नारायण पुर कांड हुआ। आप वहां से तशरीफ लाये और आप यहां अपनी बात कहना चाहते थे। आपनेअपनी बात कही। यहां पर भी इस सिलसिले में कुछ बातें कहीं गयीं लेकिन ऐसी बात यहांपर नहीं होनी चाहिये कि वह बाहर निकल कर तनाव पैदा करे।

एक सदस्य--

उधर चले गये हैं।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मुझे खुशी है कि मैं उस जगह से बाहर आकर सही जगह पर आ गया हूं और आप अभी भी वहां हैं।

(मेजों की थपथपाहट।) (शोर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

आप सुन लीजिए। अन्ताक्षरी करना चाहते हैं तो अन्ताक्षरी कर लीजिये।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

इस समाज में अच्छे हैं बुरे भी हैं। इस समाज का एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इस समाज का हिस्सा लाइनफोर्सिंग एजेंसी भी हैं। लाइनफोर्सिंग एजेंसी में सब लोग अच्छे ही नहीं हैं। उसमें हिन्दू हैं, मुसलमान हैं। सारे हिन्दू और सारे मुसलमान अच्छे ही नहीं हैं। लाइनफोर्सिंग एजेंसी में सिक्ख भी हैं, ईसाई भी हैं। सबके सब अच्छे नहीं हैं। उनमें अच्छों की तादाद ज्यादा है लेकिन खराब भी कुछ तादाद में हैं। यह आपको मानकर चलना पड़ेगा कि हमारी लाइनफोर्सिंग एजेंसी में ऐसे तत्व भी हैं जो आपके जमाने में प्रमोशन पा कर आये हैं और आपकी पालसियोंपर चलकर दंगे करवाते हैं। हमारी सेकुलर सोशलिस्ट वजीरे आला को बदनाम करते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा फिरकापरस्ती का है जो इस तरह के काम करते हैं।

मान्यवर, मुझे कहना है कि मुरादाबाद में मुसलमान नमाज पढ़ने गये थे करबला की तरफ तो गये नहीं थे मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पर पहले जो वाक्या सामने आया है जिसको रियासत हुसैन जी ने बताया कि 4–6 बच्चों ने पुलिस से कहा कि आप यह जानवर जो नापाक है, आ गये हैं उनको हटा दें। तो बच्चों को या पुलिस वालों को उनको भगाना चाहिये था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ला इनफोर्सिंग एजेन्सी में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो दूसरे की कमिटेड पालिसीज को अपनाकर हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हों। हो सकता है कि वहां जो पुलिस की टुकड़ी है उसने कुछ ऐसे काम किये हों जैसे कि फेमिली प्लानिंग के जमाने में किया गया था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि यह हमारी एखलाकी जिम्मेदारी है जिसको श्री रियासत हुसैन जी ने कहा कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने अपनी जिम्मेदारी लिया है।

मान्यवर, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि मेरा सुझाव है कि हमको ला इंनफोर्सिंग एजेन्सी में यदि सुधार करना है तो हमको एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाना होगा जो ला इंनफोर्सिंग एजेन्सी के कंपोजीशन और उसके कैरेक्टर को सेकुलर बनाये और देखे कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल पर अमल हो रहा है कि नहीं। जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक अक्लीयतों के अपने जान माल के बारे में एतमाद बहाल नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, पी0ए0सी0 के बारे में जो इल्जाम हैं कि उसका रवैया एक तरफा था तो उसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। यह इस बात का सबूत है कि सी0आर0पी0 और फौज उन इलाकों में जहां दंगे हुए हैं वहां पहुंचाई गयी तो वहां पर अमन कायम हुआ और लोगों में एतमाद पैदा हुआ। इसलिये पी0ए0सी0 को हम सेकुलर ला इंनफोर्सिंग एजेन्सी में शामिल नहीं कर सकते हैं इसलिये कि इसमें 2 लाख में से सिर्फ 300 आदमी अक्लीयत के हैं। इसलिये ऐसी पी0 ए0 सी0 यदि शासन चलाता है तो सारे सूबों को सेकुलर बनाना होगा यदि सेकुलर नहीं बना सकते हैं तो इस देश में सेकुलरिज्म समाप्त हो जायेगा। यही बात हमारे देश में फासिस्ट और फिरकापरस्त लोग चाहते हैं। इसलिये यदि सेकुलरिज्म समाप्त हो जायगा तो जम्हूरियत खत्म हो जायेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी जाय जो उस जमाने में प्रोमोशन पाकर आये हैं और आपकी पालिसियों पर चलकर दंगे

[श्री खान गुफरान जाहिदी]
करवाते हैं और हमारे शासन को नष्ट करने और बदनाम करने की साजिश रचाई है उसका भंडाफोड़ हो सके और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय जो ओवर ऐक्टिंग करते हैं और हमारे अच्छे शासन के कैरेक्टर को बदनाम करते हैं।

श्री फखरे आलम—
अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर पहले कहना चाहता हूं:—

है खूनेजिगर जोश में दिल खोल के रोता,
होते जो कई दीदये खू-न-ब फिशा और।

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि मुरादाबाद का हादसा मामूली हादसा नहीं है। यह झगड़ा दो फिरकों के दरम्यान बल्वा और फसाद का झगड़ा नहीं था। इसको साम्प्रदायिक दंगा या फिरकेवराना फसाद कहना गलत है। जबलपुर, जमशेदपुर, रांची, अहमदाबाद और अलीगढ़ वगैरा में गुजीस्ता फसादात हुए थे। पिछले सालों में इसकी नवइयत दूसरी थी। जो फसादात हुए थे उनकी नवइयत दूसरे किस्म की थी। एक फिरके का दूसरे फिरके से झगड़ा हुआ था। मुरादाबाद के झगड़े में ऐसी बात नहीं थी क्योंकि वहां पुलिस,पी0ए0सी0आम पुलिस और निहत्थे मुस्लिम अवाम के दरमियान सीधा मुकाबला था। मान्यवर, यह बात ऐसी है कि मैं चाहूंगा कि इसको बड़े गौर से सुना जाय। ऐसा मामला है जिसमें हजारों आदमियों की जानें गयी हैं। यह इस मुल्क के इस प्रदेश के, रहने वाले एक ऐसे तबके की जिन्दगी का सवाल है जिसे गौर से सुनना चाहिये। अगर आप मरने की मजाक बनाना चाहते हैं, खून के बहने पर हंसना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आपको अख्तियार हैं, मगर मान्यवर,मैं यह कहूंगा कि आप सुनें, मुझे सुनाने का मौका दीजिए।

यह वाक्यात ऐसा हुआ कि पुलिस ने इन्टेलीजेन्स, डिसिप्लिन को ताक में रख दिया और इस बात की कोशिश की गई कि इस मामले को दूसरी नवैयत दी जाय, उसे साम्प्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश की जाय। यही बात पुलिस और पी0ए0सी0 चाहती थी कि इसे साम्प्रदायिक दंगा बनाया जाय। मुरादाबाद का हिन्दू मुसलमान आपस में लड़ना नहीं चाहता था, न लड़ना चाहता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि वह हिन्दू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। मान्यवर, यह एक ऐसी चीज हुई है कि इसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ पुलिस और पी0ए0सी0 की गोलियों से।

पूछ ये दोस्त कि क्या हिन्दू पे गुजरी है, क्या मुसलमान पर
मुझे तू इतना बतला दे कि इन्सानों पे क्या गुजरी।

इन्सान का खून बहा है, अकलियत का खून बहा है, जिनकी रक्षा होनी थी। फिरकावाराना फसाद ने पूरे उत्तरी भारत को अपनी लपेट में ले लिया। 48 घण्टों में दर्जनों मौतें हो गई। 17 अगस्त, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स का हवाला देता हूं, 'सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन दि ब्रास वेयर सेन्टर एण्ड अलटिमेटली दि यू0पी0गवर्नमेंट विल फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु लिव डाउन दि शेम आफ मुरादाबाद।" यह हिन्दुस्तान टाइम्स का 17 अगस्त का एडिटोरियल है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—
माननीय सदस्य इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री फखरे आलम—
उसमें यह कहा है कि मुरादाबाद ब्रास वेयर सेन्टर की पुलिस और वहां की इन्तजामात और यू0पी0 की सरकार इस बात को बहुत मुश्किल से साबित कर सकेगी कि उनकी जो

जिम्मेदारी थी उसको वह अदा कर सकी और जो मुरादाबाद की वजह से उसकी गर्दन शर्म से नीचे हुई है उसका जवाब नहीं दे सकती ।

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने ऐक्शन लिया । एक ऐसा ऐक्शन लिया जो एक वजीरआला को लेना चाहिए था और हम (तालियां) मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी पी0ए0सी0 ने जो कोआपरेशन करना चाहिए था, नहीं किया । हमें मुख्य मंत्री जी की नीयत पर कोई शुबहा नहीं है । हम यह समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी बड़ी ईमानदारी के साथ इस मामले को टेकल करना चाहते थे मगर मान्यवर, मुझे माफ किया जाय उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को फेल करना चाहते हैं । आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम के मातहत ऐसा किया है । हालात पर आपको काबू करने नहीं दिया गया ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जिस वक्त वहां बयान दिया तो कहा कि इसकी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लेते हैं । उसका एक रिएक्शन होना चाहिये था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी गर्दन शर्म से झुक जाना चाहिये थी । यह ऐसा मामला था जिसके ऊपर तमाम प्रदेश को एकजुट हो जाना चाहिये था और मुरादाबाद पहुंच कर यह कहना चाहिये था कि हम यहां अमन, सुलह व शांति के लिये आये हैं और उसके लिये जान की बाजी लगा देंगे । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । लोगों ने जानें देकर यह दिखा दिया कि अब आपको बहुत बड़ा ऐक्शन लेना होगा ।

"डूबकर मैंने तूफां की दे दी खबर, नाखुदा बे खबर है तो मैं क्या करूं ।"

मान्यवर, सुअरों के मस्जिद में घुसने के वाकयात के बाद पुलिस और पी0ए0सी0 को गोली चलाने की इजाजत किसने दे दी ? यह क्यों और कैसे हुआ ? जून, 80 के बाद तो हम यह समझ रहे थे कि प्रदेश के अमनो अमान को काबू में रखा जायगा और अब प्रदेश में कोई झगड़ा नहीं होगा ।

"लोग समझे थे यह इंक्लाब आते ही नज्मे कोहना चमन का बदल जायगा
यह खबर किसको थी आतिशे गुल ही से पत्ता-पत्ता नशेमन का जल जायगा ।"

मान्यवर, मैं अब चन्द प्रश्न आपकी इजाजत से सदन के सामने रखना चाहता हूं । मुरादाबाद में जो वाकया हुआ उससे वहां बहुत से सवालात पैदा होते हैं । पहला सवाल यह है कि क्या 80 हजार आदमी मय बच्चों के ईद के दिन लड़ने मरने के लिये आये थे ? क्या उससे उनको कोई फायदा होना था ? ईद सकून और सलाहियत के लिये होती है । क्या मुरादाबाद के मुसलमानों तथा वाल्मीकियों में जो सुअर पालते हैं कोई टेंशन पहले से था और अगर टेंशन था तो क्या ऐक्शन लिया गया था ? तीसरा सवाल यह है कि पुलिस का वर्जन है कि ईदगाह में लोग असलाह लिये हुये गये तो क्या उसका फर्ज यह नहीं था कि वह देखती कि कौन असलाह लिये जा रहा है और क्या यह माना जा सकता है कि ईद जैसे त्योहार पर असलाह लेकर कोई जायगा ? क्या केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकार के पास कोई सबूत है कि इससे कोई फारेन हैंड शामिल है । हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसमे कोई फारेन हैंड नहीं था। अगर फारेन हैंड था तो बतलाया जाय यह भी कहा गया कि कोई बहुत बड़े लीडर का इसमें हाथ था तो उसका नाम बतलाया जाय कि वह कौन लीडर कौन था जिसका हाथ इसमें था । पांचवां सवाल यह है कि जुडीशियल इंक्वायरी जल्द हो और बजाय जिला जज के कोई हाई कोर्ट का जज इसकी इंक्वायरी करे और मुख्य मंत्री जी उसके लिये डेड लाइन फिक्स कर दें जिसके अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे दे । छठा सवाल यह है कि जो लोग मारे गये चाहे वे किसी भी वर्ग के हों उन सबको मुआविजा दिया जाय और उनको रिहैबिलिटेट किया जाय । मुख्य मंत्री जी से मैं यह अर्ज करूंगा कि पुलिस तथा पी0ए0सी0 में मुसलमानों का काफी रिप्रेजेंटेशन होना

[श्री फखरे आलम]

ये और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फसादात इसी तरह से होते रहेंगे और लोग झगड़ा कर गे। अब मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं।

"करीब है यारों रोजे महशर छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर,
जो चुप रहेगी जबानें खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का।"

*श्री संजय सिंह—

मान्यवर, आज यह जो अहम सवाल है इसके लिये मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े घपले को बड़े साहस के साथ कंट्रोल किया, जिसको फैलाने के लिये बहुत सारी ताकतें लगी हुई थीं। माननीय सदस्य रियासत हुसैन साहब का यह प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव में चिन्ता व्यक्त की गई है। लेकिन विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने भाषण दिये वे उसे और भी ज्यादा चिन्ता का विषय बना दिये हैं। अभी माननीय सदस्य श्री फखरे आलम साहब बोल रहे थे। उनके दिल में तो था कि सरकार की प्रशंसा करूं, मुंह में बात आती भी थी लेकिन यह सोचकर कि वह विरोध पक्ष से बोल रहे हैं, हर बार अपनी बात बदल देते थे। मान्यवर, इकबाल ने कहा है "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा।"

प्रदेश में जगह जगह पर जो आज यह घटनायें हुई हैं उसमें बहुत सारी बात उछाली जा रही है। यह बात सही है कि यह घटनायें दुखद हैं लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि आज बहुत सारे लोग इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। बहुत से लोग हिन्दू का नाम लेते हैं, मुसलमान का नाम लेते हैं लेकिन जो भी भारत में रहता है वह भारतीय पहले है और हिन्दू तथा मुसलमान बाद में है। इस देश में आज मुरादाबाद, इलाहाबाद और अलीगढ़ का नाम लिया जा रहा है पुलिस, पी0ए0सी0 और सरकार को बुरा-भला कहा जा रहा है लेकिन पिछली सरकार ने जब अलीगढ़ में आग लगी थी, हिन्दुस्तान जल रहा था तो कितने लोगों ने पुलिस को बुरा-भला कहा, कितने लोगों ने सरकार को भला-बुरा कहा और कितने लोगों ने कहा कि उत्तरदायी लोगों को दण्ड दिया जाय। मैं कहता हूं कि उस आग के पीछे, उस समय की सरकार तक बदल गई लेकिन उसमें रहने वाले लोगों ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज आप मुरादाबाद के ऊपर लच्छेदार भाषण दे रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें।

श्री संजय सिंह—

मैं एलानियत कहना चाहता हूं मान्यवर, अध्यक्ष जी, कि सरकार ने जो कदम उठाये वह बहुत ही प्रशंसनीय हैं। अलीगढ़ का कांड हुआ था वह 13 महीने तक चलता रहा और यह घटनायें जिसमें कि बहुत सारी ताकतें काम कर रही थीं एक हफ्ते के अन्दर इनको रोक लिया गया, इसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी तो इसके बनते ही कई ऐसी विपदायें इसके सामने आई यह घटनायें आई, बाढ़ का प्रकोप आया और भी बड़ी-बड़ी आपत्तियों का इसको सामना करना पड़ा। मुरादाबाद की घटना के बारे में कहा जाता है कि वह एक बड़े भारी षड़यन्त्र का रिजल्ट है। पिछली सरकार ने हमको जातियों में बांटा कि ये हिन्दू हैं, ये मुसलमान हैं, ये यादव हैं, ये कुर्मी हैं जिसका आज यह परिणाम भुगत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो आज साहसिक कदम उठाया है और उसकी सैक्योरिटी फोर्स चाहे वह पी0ए0सी0 हो, पुलिस हो, आर्मी हो ने जो काम किया है यहां पर अमन चैन लाने के लिये, वह नितान्त प्रशंसनीय है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और केन्द्रीय सरकार को भी कि मौके-मौके पर जो भी सहायता की जरूरत हमें पड़े श्रीमती गांधी की सरकार ने जो हर तरह की मदद की, चाहे पैसे की मदद हो या फोर्स की मदद हो—समय-समय पर हमें मदद मिली। मैं चाहता हूं कि जो भी देशप्रेमी हैं, एकता में विश्वास रखता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षणण नहीं किया।

चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो उसका आर इसमे हाथ पाया जाय तो उसको कठोर दण्ड दिया जाय। उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय उसमे यह बात नहीं कही जाय कि यह मुसलमान के खिलाफ बात हो रही है और यह हिन्दू के खिलाफ बात हो रही है। अभी 3, 4 दिन पहले अमेठी की एक घटना है वहां अफवाह उड़ायी गयी कि गो कसी हो गई है, वह झूठी अफवाह थी, उससे तनाव बढ़ गया लेकिन सौभाग्य से वहां के आफिसर्स और लोगों ने कोई घटना होने से रोक दिया। उसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि दो तीन दिन बाद वह गाय मिल गयी लेकिन उड़ा दिया गया कि गाय मार दी है। तो इस तरह की जो घटनायें होती हैं उसमें जो अफवाहें फैलाते हैं उनको भी सरकार दंडित करे उसी तरह से जैसे कि जो घटना से संबंधित है। इस प्रकार एक देशद्रोह का षड़यंत्र इस प्रदेश के जरिये से पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गयी जिसको सरकार ने बहुत साहस और धैर्य से थोड़े समय में शांत किया।

मुरादाबाद के संबंध में बहुत सारी ऐसी सूचनायें मिली हैं कि कुछ ऐसी संस्थायें बनाई जा रही हैं जिनके पीछे षड़यंत्र हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसकी व्यापक जांच करायें और जो भी आवश्यक व्यवस्था हो वह करें। मेरे पास कुछ डाटा हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हजारों लोग मुरादाबाद मेंमारे गये, हजारों लोग इलाहाबाद में मारे गये तो उनकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में मरे हुए लोगों की संख्या 133 है, और इलाहाबाद में जो अफवाह फैलाई गयी कि हजारों लोग मारे गये वहां की संख्या सिर्फ 7 है जिसमें कुछ तो पुलिस की फायरिंग से मरे और कुछ आम जनता की फायरिंग से मरे। मुरादाबाद में जो घटना हुई उसमें ज्यादा भगदड़ से लोग मरे।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय सिंह—

ऐसी अफवाह उड़ाना कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुख की बात है इस चीज को समाप्त करनेके लिए पूरा प्रयास हम को करना चाहिये। मैं मुरादाबाद की इस घटना की चर्चा के अवसर पर कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति से दूर रहना चाहिये और सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें सहयोग करना चाहिये। इस घटना में बहुत सी बिल्डिंग गिर गयी हैं उसमें कुछ धार्मिक स्थान भी हैं उनको बनाने के लिये सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है और जो लोग मरे हैं उनको भी 3,4 लाख रुपये दिये गये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हिन्दू और मुसलमान की बात न की जाय, फोर्सेज को डिमारलाइज करने की बात न की जाय। (व्यवधान) वहां पर लच्छेदार भाषण देने की जरूरत नहीं है (व्यवधान) आप जानते हैं कि पाकिस्तान से पिछली आपकी रिजीम में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आवागमन की जो सुविधायें हैं उसमें वीसा के जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिये आपके जनता शासन में उनका पालन नहीं हुआ। मैं आंकड़े देना चाहता हूं पाकिस्तान से जो लोग आये उनकी संख्या 1976 में 7120 है, 1977 में जो आये उनकी संख्या 10983 है, 1978 में जो आये उनकी संख्या 17374 है। 1979 में जो आये उनकी 82721 है और इस समय तक 1980 में जो आये हैं उनकीसंख्या 29891 है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

]श्री संजय सिंह]--

मैं कहना चाहता हूं कि जो वीसा के नियम हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिये। अन्त में मैं अपने प्रदेश को सरकार का, मुख्य मंत्री जी का और विशेष रूप से प्रधान मंत्री श्रीमती इदिरा गांधी का अत्यन्त आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को रोकने के लिये साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ कदम उठाया मेरा आप सब से निवेदन है कि आप इसमें हर तरह से सहयोग दें।

श्री ख्वाजा हलीम--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रहा हूं, जबकि हमारी तरफ से बराबर यह बताया जा चुका है कि यह फिरकेवाराना फसाद नहीं थे, सत्ता दल की तरफ से बराबर ऐसी मिसालें दी जा रही हैं जिससे यह जाहिर हो कि यह फिरके वाराना फसाद थे। फिरकेवाराना फसाद तो इमरजेंसी में समाप्त हो गये। आपके राज्य में उस समय तो हमारे कत्लेआम को नेशनलाईज्ड किया गया। आपने हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए नसबन्दी का काम शुरू किया और जब उसका विरोध किया गया तो, चाहे सुल्तानपुर हो या मुजफ्फरनगर या फिर तुर्कमान गेट हो, हर जगह उसके बहारें से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यह भी वैसा ही कत्ले-आम है जो आपके जमाने इमरजेंसी में हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो सरकारी अमला है वह यह नहीं देखता है कि इंदिरा गांधी लाल किले पर खड़े होकर क्या कहती हैं, वह तो यह देखता है कि वह क्या कर रही हैं और उनकी पालिसी क्या है। इनकी नीति भी दोहरी है, यह दोहरी पालिसी खेलते हैं इनकी लिखने की पालिसी एक है और करने की दूसरी है। कहने की और लिखने को तो यह कहते हैं कि हमारी पालिसी अल्पसंख्यकों और कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की है, उनकी रक्षा करने की है, लेकिन इनका हर अमल उसके पूरी तरह खिलाफ है। इसके बाद इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार जिस तरह से यह हमारे साथ कर रही है, सरकारी अमला उसे देखता है और उसे ही वह भी अमली जामा पूरी तरह से पहनाता है। इसका सबूत जीता जागता यही है कि जिस अमले के हाथ हमारे खून से इमरजेंसी के समय रंगे हुए थे, इन्दिरा गांधी ने सत्ता में आने के बाद उन्हें फिर तरक्की देकर ऊंची ऊंची जगह पर बिठाल दिया—चाहे वह भिण्डर हों, जगमोहन हों या माता प्रसाद हों या और कोई हो। आज उसी पर अफसर अमल कर रहे हैं और तरक्की पाने के लिए हमारे साथ तरह तरह की ज्यादती और कत्लेआम कर रहे हैं।

अब मैं मुरादाबाद की घटना पर आना चाहता हूं। यह उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें हमारा कत्ले आम किया गया था, जिस तरीके से, नेशनलाईज्ड तरीके से इमरजेंसी में कत्लेआम किया गया था। इसमें आपकी खुले आम साजिश रही है। इसके सबूत में मैं कुछ मुद्दे की बातें पेश करके आपको बताना चाहता हूं। आज तक हम सब मुसलमान वहां पर ईद के मौके पर और अन्य मौकों पर नमाज पढ़ते चले आये हैं,उसमें से किसी में कोई बता दे कि आर्म-फोर्श लगाई गई हो। लेकिन यह पहली बार है जब वहां पर आर्म-फोर्स भेजी गई। यह इसलिये किया गया कि वहां पर आपको हमारा कत्लेआम कराना था। फोर्स भेजने के दो तरीके होते हैं—या तो मुसलमान आपसे रिक्वेस्ट करते कि हमें खतरा है या हिन्दू कहते कि ईद की नमाज हो रही है, हमें बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन किसी की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है। हमारा कत्ल कराने के लिए यह आर्म फोर्स लगाई गई थी। जब एस० ओ० ईमाम साहब को लेने गये तो उसने कहा कि यहां पर कोई झगड़ा होने वाला है। इसीलिये मैं आया हूं। यह भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हरिजनों के साथ इसके पहले से कोई झगड़ा था। यदि उनका हरिजनों के साथ पहले से कोई झगड़ा रहा होता, तो सुअर घुसने के सवाल पर होने वाले झगड़े में हरिजनों की पास की बस्ती पर हमला किया गया होता। वह भीड़ ऐसी हालत में उनकी बस्ती पर अवश्य ही हमला करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बात केवल इतनी थी कि उन्होंने पुलिस सिपाही से कहा कि आपकी यह जिम्मे-दारी है कि आप सुअर को भगा दें बाहर। यह ऐलान किया गया था पुलिस की तरफ से वहां

पर कि 12 बजे के पहले कोई भी छुट्टा जंगली जानवर न खोला जाए। जब नमाजियों के सामने से जानवर गुजरा तो उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए, इस पर उसको मारा-पीटा गया। इसी मुद्दे पर यह सारी लड़ाई हुई। लोग कहते हैं कि वहां पर लोग हथियार लेकर गये थे किन्तु यदि लोग हथियार लेकर गये होते तो वहां पर हथियारों से किसी अफसर की मौत हुई होती। पथराव से और भगदड़ से मौत न हुई होती।

इस बारे में मुख्य मंत्री जी का खुद का बयान कितना झूठा है, इसे भी आप देखें। 28 अगस्त के 'नवजीवन' में लिखा है कि 131 मौतें हुई हैं, किन्तु उसी के नीचे तफसील में लिखा हुआ है कि 11 व्यक्ति फायर आर्म्स से, 80 कुचलकर, 31 चाकूबाजी से और 5 आगजनी से तथा 70 व्यक्ति पथराव आदि से मरे हैं। इसका टोटल 197 बैठता है। तो यह उल्टी सीधी बातें। क्यों। जब आदमी झूठ बोलता है तो इसी तरह से होता है। यह झूठ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमन्, 'नवजीवन' अखबार में यह छपा है।....

श्री अध्यक्ष--

माननीय ख्वाजा साहब, आप अपने बयान को संतुलित रखें। यह आपका कहना असंसदीय है, अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मैं कह यह रहा था कि "नवजीवन" उन्हीं का अखबार है जिसमें इनका बयान छपा है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

इन्होंने मुख्य मंत्री जी के लिए शब्द "झूठा" प्रयोग किया है जो असंसदीय है। इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय ख्वाजा जी बैठ जायं। जब इसकी चर्चा आरम्भ हुई थी तो उस समय भी और जब कार्य-मंत्रणा समिति में इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ था उस समय भी मैंने बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि इस विषय पर चर्चा को संतुलित ढंग से चलाया जाय। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कि मुख्य मंत्री जी झूठ कह रहे हैं यह असंसदीय है, अनपार्लियामेंटरी है। (व्यवधान) सदन में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जो अशोभनीय हो। इसके पहले भी संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत जितने भी अध्यक्ष हुए हैं सबने अपने निर्णयों में कहा है कि "झूठ कहना" असंसदीय है, अनपार्लियामेंटरी है। कृपया इस शब्द को आप वापस लीजिये (व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसे "झूठ" के बजाय "असत्य" कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे वापस लेते हैं?

श्री ख्वाजा हलीम--

ठीक है। उसे मैं वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति से बैठिये। उन्होंने इस शब्द को वापस ले लिया है।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मरने वालों के वारिसान को रिलीफ दिया जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा मरने वाले मुसलमानों की कीमत 5000 रुपया रखी गयी है। एक इन्सान के लिए महज 5000 रुपया दिया जा रहा है इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं। कम से कम 1 लाख रुपया, जिस तरह से हवाई जहाज के हादसे में दिया जाता है, हर एक को दिया जाय। यह एक जान के लिए बहुत कम धनराशि है। अगर यह एक जान की कीमत है तो आज सबकी कीमत तय हो जानी चाहिये कि कितनी कीमत मंत्री की और कितनी मुख्य मंत्री की हो और कितनी एक अफसर की है ताकि वह अदा की जा सके।

आपने यहां पर यह भी कहा कि कमीशन बैठा दिया गया है। लेकिन आपने कमीशनों को उठाया है, अलीगढ़ में जो कमीशन बैठा था उसे उठा लिया गया। कमीशन भी जब आप एक तरफ बिठालते हैं, एक तो उसमें हाई कोर्ट का जज नहीं बिठालते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिये। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जब जज बैठता है तो जो पुलिस के अफसर होते हैं उनको वकील करने के लिए सरकार खर्चा देती है और वह एक गरीब जो फसाद में लुटे मरे वह अपना वकील खुद करे। उन लोगों को भी वकील सरकार की तरफ से मिलना चाहिये। वरना ऐसा कमीशन बनाने से कोई फायदा नहीं, वह बेकार है और आज तक जितने कमीशन सरकार ने बिठाये किसी अधिकारी को दंड नहीं मिला..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ख्वाजा हलीम--

अलीगढ़ में फसाद क्यों हुआ? (व्यवधान) वहां के लोगों ने मुरादाबाद की घटना पर अपने गमों का इजहार करने के लिये काली पट्टियां बांधी, उन लोगों की आवाज को रोका गया (व्यवधान) मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ था, तब सुना करता था कि अलीगढ़ में एक एस0 ओ0 मुसलमान हुआ करता था, आजादी के बाद से कोई एस0 ओ0 भी नहीं आया। चौधरी चरण सिंह ने अपने शासन में ऐसा किया भी था, पर कभी वहां पर मुसलमान एस0 ओ0 नहीं भेजा गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अब बैठिये

श्री ख्वाजा हलीम--

16 तारीख को वहां कर्फ्यू लगाया गया, 17 तारीख को पी0ए0सी0 ने वहां लूट मचाई ..... (व्यवधान) कांग्रेस के दफ्तर तक को लूटा गया (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप अब बैठिये, और लोगों को भी मौका दीजिये।

श्री ख्वाजा हलीम---

जो लड़के सराय रहमान छतों पर बैठे थे..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

मान्यवर, 15 अगस्त के दिन जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लाल किले पर अपनी तकरीर शुरू की तो उनके पहले अलफाज यह थे कि आज हमारा दिल गम से भरा हुआ है । सुनने वालों को ऐसा लगा कि शायद वे अपने जवान बेटे की बाबत जो आनन फानन में खत्म हो गया का जिक्र करें, लेकिन उन्होंने अपने जिगर पर, अपने दिल पर, पत्थर रखकर उसका कोई भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने मुरादाबाद के हालत पर गम का इजहार किया । उनके गम की जो आवाज थी वह हिन्दुस्तान के हर कोने कोने में बुलन्द हुई । अगर मुरादाबाद के लोगों की जबान में कहा जाये तो यह कहा जा सकता है--

"टपक ए शमा, आंसू बन के, परवाने की आंखों से,
सरापा दर्द हूं, हसरत भरी है दास्तां मेरी ।"

मुरादाबाद के लोगों पर जो गुजरी है, उसका हम सभी को दुःख है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

हमारी प्रधान मंत्री और जनाबवाला, आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि मुरादाबाद को साम्प्रदायिक रूप न दिया जाय, उसे फिरकावाराना फसादात का रूप न दिया जाय । वहां पर हरगिज ही कोई फिरकावाराना फसादा की कोई झलक पैदा नहीं हुई । इसलिए हम लोगों को खुशी है कि बावजद इसके कि बहुत कोशिश की गयी कि वहां यह कहा जाय कि हिन्दू-मुस्लिम फसाद थे । लेकिन यह नहीं हुआ बल्कि हम इस बात को खुशी का इजहार करते हैं कि वहां के हिन्दू भाइयों ने बहुत काफी हमदर्दी दिखाई और मुसलमानों ने हिन्दू भाइयों के साथ हमदर्दी दिखाई । जो कुछ वहां पर हुआ, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है । हमारे खूबसूरत मुल्क के लिए इस तरह के वाक्यात उसके चेहरे पर कलंक का टीका है, उसको दूर करना हम सब का फर्ज है ।

हम यह देख रहे हैं कि पिछले चन्द साल से जब से कि हमारी जनता सरकार यहां आई थी और उसके बाद जब सिकस्त उनको हुई और हमारी कांग्रेस सरकार आई, हर चीज को पोलिटिसाईज किया जा रहा है, चाहे रेप का मामला हो चाहे जो भी मामला हो, चाहे इस तरह का मामला हो । अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा कि हम मुसलमान भाइयों को पी0 ए0 सी0 में कभी नहीं दाखिल होने देंगे । अभी संजय सिंह जी ने जितने वाक्यात सुनाये, जो जनता पार्टी के जमाने में हुए हैं, उसके पीछे क्या है? हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को समझना है, हमारी सरकार को बहुत ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं, क्या फोर्सेज हैं जो इन तमाम चीजों के पीछे काम कर रही हैं ? जनाबवाला मैं आप से अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे सभी लोगों के दिल में दुःख है मुरादाबाद के वाक्यात से मगर हमें बहुत खुशी है कि बहुत कोशिश की गयी कि और जगह उसका असर हो, लेकिन उसका असर और जगह पर नहीं हुआ । मुसलमान का कोई सफेद खून नहीं , हिन्दू का ही कोई लाल खून नहीं है, सभी के एक रंग का खून है । हम अपने मुल्क का और भी ज्यादा ख्याल करते हुए अपने दुश्मनों को यह न मौका दें कि ऐसे वाक्यात हों जिससे वह खुश हों । हमारे दुश्मन बाहर बहुत से हैं । हमें यह भी देखना है कि

[श्रीमती कुदसिया बेगम]--

जहां-जहां प वाक्यात हुए हैं उनमें अगर बाहर का हाथ है तो, इसकी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि देखें इसमें किसका हाथ है। जो हमारे यहां हिन्दू और मुसलमान लोग हैं वह हरगिज इस तरह क. ख्याल अपने दिल में आने न दें कि यह कोई फिरकावाराना फसाद था।

हमारी आजादी के तीस साल हो गये हैं। यहां पर आराम से मसलमान और हिन्दू भाई एक साथ रह रहे हैं। पिछले सालों का तजुर्बा यह है कि मसलमान जहां काम करते हैं और उनके हाथों में उद्योग है, और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें वहीं सताया जाता है और मैं समझती हूं कि इन सब को दूर करने के लिए हमारी सरकार सही कदम उठायेगी। मैं मुख्य मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से उन्होंने परेशान लोगों की सहायता करने में, मस्जिदों का मरम्मत करवाने में और जिन के शौहर मर गये या जवान बच्चे मर गये, उनको मुआवजा दिलाने में जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय है। और मैं चाहूंगी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग रह गये हैं, जिनके घरों के लोग मारे गये हैं, उनको मुआवजा किसी वजह से अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर गयी हूं मैंने देखा है, और वहां के हालात को जाना है, ऐसे लोगों को भी मुआवजा दिया जाये। जिनके लाखों और हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है और मैं उस बात की तरदीद करना चाहती हूं कि कोई भी मुसलमान ईद के दिन, जो काफी खुशी का दिन होता है, एक महीने रोजे रखने के बाद यह दिन आता है, अपने बच्चों को साथ लेकर कुर्ते-पायजामे में असलहों को छुपाकर बन्दूकों और लाठियों को कैसे ले जायेगा, यह सरासर गलत है, यह केवल एन्टी-नेशनलिस्टों का काम है, जो देश के पक्के दुश्मन हैं, उनका काम है जो यह चाहते थे कि किसी भी तरह हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़वाया जाए और इसे फिर का वाराना झगड़ा बनाकर देश को बदनाम किया जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि उनकी यह चाल कामयाब न हो सकी और इसमें भी कोई शक नहीं कि शासन जो कुछ भी इस संबंध में कर सकता था, उसने किया और अभी कर रही है, और मैं तो यह कहूंगी कि प्रदेश में और जिलों में या मुरादाबाद में जो भी हालत हैं इस वक्त उनको दुरुस्त करने में सहयोग देने की हम सब की जिम्मेदारी है, देश के हर फर्द की जिम्मेदारी है, अखबार वालों और सरकारी मशीनरी सब की जिम्मेदारी हैकि कोई ऐसी बात न करें, जिससे कोई इश्तियाक पैदा हो और फिर कोई चिंगारी भड़के।

श्री रियासत हुसैन--

जो चर्चा चल रही है मुरादाबाद के बारे में, उनकी स्पीचेज के ऊपर.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने श्री भीखालाल जी को बुलाया है, कृपया उन्हें बोलने दें। आप कृपया बैठ जायें।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मुरादाबाद में और प्रदेश के अन्य जगहों पर जो घटनाएं घटीं उससे हम सभी लोग चिन्तित हैं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के सभी लोग शांतिप्रिय ढंग से रहना चाहते हैं। इसी वजह से इस विधान सभा में जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां है और शासक दल सभी ने एक ही स्वर से कहा है और सभी ने वाक्यात की निन्दा की हैं और सभी ने एक जुटकर यह माना है कि यह दंगे जो हुए हैं वह साम्प्रदायिक दंगे नहीं है। यह दंगे केवल असामाजिक तत्वों द्वारा कराये गये हैं और इन दंगों के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है और उसकी हम सभी लोग कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। तो मान्यवर, इन चीजों को देखते हुए कुछ प्रश्न सामने उभरे हैं, जिनके ऊपर हमारे शासन को सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं---कान, नाक और आंख आदि यदि ये कमजोर हो जायेंगे तो शरीर की क्षमता में कमी आ जायेगी। इसी प्रकार से हमारे शासन के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे इन्टेलीजेंस है, सी० बी० आई० और सी० आई० डी० आदि यदि यह कमजोर हो जायेंगे तो इफिशियेंसी भी कमजोर हो जायेगी और शासन-

तंत्र का मतलब ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का घटनाचक्र अगर ऐसे विभागों के हाथों में होगा, जिनका कोई काम सही नह और कोई सूचना वक्त पर नहीं मिलेगी तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा ? हमारा मत है कि इन तीनों अंगों की क्षमता कम हुई है। एक अवसर ऐसा आया था जब मुझे सी0बी0आई0 की दक्षता पर प्रसन्नता हुई थी जिस समय देश की प्रधान मन्त्री पर एक सर फिरे नौजवान ने चाकू फेंका था तो 24 घंटे के अन्दर हमारी सी0 बी0 आई0 ने पता लगा लिया था कि इसकी साजिश कहां से की गई और मुख्य व्यक्ति बड़ौदा में पकड़ लिया गया था। लेकिन आज कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका प्रदेश का इंटेलिजेंस और सी0आई0डी0 जवाब नहीं दे सके। वह आदमी कौन था जो पिस्तौल य असलह लेकर ईदगह की नमाज में गया और जिसने फायर किया। क्या सी0आई0डी0 अथवा पुलिस जो हजारों की तादद में ईदगह के चारों ओर मौजूद थी, किसी व्यक्ति को असलहा ले जाते वक्त उसको रोक सकी, उसको डिटेक्ट कर सकी ? यह फेल्योर है। आगे प्रश्न उठता है कि जहां पचास हजार आदमी थे, हजारों की तादाद में पुलिस और पी0ए0सी0 खड़ी थी, उस भीड़ में सुअर कैसे चला गया। कोई कहता है कि गया ही नहीं। कोई कहता है कि किसी ने लाकर छोड़ दिया। क्या सी0आई0डी0 ने बताया कि सुअर लाकर छोड़ा गया तो उसको छोड़ने वाला कौन था ? इस सवाल को सी0आई0डी0 को हल करना चाहिए।

माननीय रियासत साहब ने कहा कि मुरादाबाद एक सेंसिटिव मुकाम है। लेकिन सी0आई0डी0 ने सेंसिटिवनेस से शासन को आगाह नहीं किया। जिस समय कोई बात उठती है मुरादाबाद में पहले रिएक्शन होता है। आसाम में आन्दोलन चल रहा था कि बंगालियों को बाहर निकालो उसका रिऐक्शन मुरादाबाद में हुआ कि मुरादाबाद से पंजाबियों को निकालो। क्या इस नाजुक स्थिति से सी0आई0डी0 और इंटेलिजेंस ने शासन को आगाह किया ? जब हरिजनों की एक बारात को रोकने और एक हरिजन लड़की को भगाने का वाक्या होता है उससे जो फिजा पैदा हुई, क्या सी0आई0डी0 और इंटेलिजेंस के लोगों ने सरकार को आगाह किया और क्या आइन्दा लिए कोई सतर्कता बरती गयी ? हुआ यह कि दस दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया और एक नये व्यक्ति नवयुवक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में भेज दिया जो वहां के हालात जानता नहीं। क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मुनासिब था ? जो डिस्ट्रिक्ट का हैड था, जहां पर ऐसी बैकग्राउंड हो उसको दस दिन पहले हटा दिया जाय। इस मामले में हमारी सी0आई0डी0 और इंटेलिजेंस फेल हुई।

माननीय अम्मार रिजवी साहब ने यहां पर ऐलान किया कि उन मामलों में कोई भी आदमी दोषी पाया जायगा चाहे जितना बड़ा नेता या अफसर हो बख्शा नहीं जायगा। इस ऐलान का स्वागत करता हूं। लेकिन ऐलान मैं बहुत सुन चुका हूं, सरकार के असरदार आदमियों के मुंह से सुन चुका हूं। किसी जिले में हरिजन पर हमला होगा तो जिला अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जायगा, अगर महिला पर आक्रमण होगा तो जिला अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जायगा। साम्प्रदायिक दंगा होगा तो जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा। लेकिन जिला अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने का यही सबूत है कि मुरादाबाद से उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाय ? क्या ट्रांसफर सजा है ? जिम्मेदार ठहराने का जो ऐलान करते हैं उसको ठीक तरह से लागू किया जाय। वरना प्रशासन समझ लेता है कि सरकार का क्या मंशा। कोई घोड़ा दस बीस कदम चलने के बाद घुड़सवार को पहचान लेता है कि वह लद्धड़ है या तेज तर्रार है। तेज तर्रार अगर घुड़सवार हुआ तो घोड़ा तेजी से चलता है। इसलिए सरकार जो इन प्रशासन के घोड़ों को चलाती है अगर कमजोर साबित हुई तो ऐलान कुछ होगा और अमल कुछ होगा।

दो बातों की तरफ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जो घटनाएं हो रही हैं गहराई से उनके कारणों में जाना पड़ेगा। इसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही कारण हैं। रुहेलखण्ड के अन्दर दर दराज गांवों में आदिवासी तथा हिन्दू और मुसलमान रहते हैं, वहां

[श्री भीखालाल]—

इस तरह के दंगे नहीं होते। अलीगढ़ और मुरादाबाद के दूर दराज गांवों में जहां हिन्दू और मुसलमान रहते यह दंगे नहीं होते क्योंकि सामाजिक रूप में वह गरीबी में बसर कर रहे हैं। उनकी समस्याएं सम न हैं उनके दिलों में कोई टकराव नहीं है। लेकिन दंगे वहीं हो रहे हैं जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहां पर वर्किंग क्लास ने उद्योगों में अपना स्थान बना लिया है और अपने उद्योग कायम कर लिए हैं। वहां पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा शोषकों और मजदूरों के हितों का टकराव होता और वहीं पर दंगे होते हैं। जहां आर्गनाइज्ड वर्किंग क्लास ने उद्योग खड़े किये हैं। मुरादाबाद में मजदूरों ने मेटल उद्योग में अपना स्थान बनाया है। और आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ रहा है। अलीगढ़ में ताला उद्योग में मजदूरों ने अपना स्थान बनाया है। इसी तरह से बनारस में कालीन और रेशम उद्योग में मजदूर ने अपना स्थान बनाया है, आगरा में हमारे हरिजन भाइयों चमड़े के उद्योग में अपना स्थान बना लिया है ने उनके हितों का टकराव होता शोषकों और उद्योगपतियों के बीच। इस लिए दंगा जैसी घटनाएं किसी न किसी प्रकार से वहीं पर कराई जाती है। दूसरा कारण राजनैतिक है। हमारी प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि इन दंगों में विदेशियों का हाथ है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भी कहा कि विदेशियों का हाथ है। लेकिन न तो प्रधान मंत्री ने और न कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कहा कि कौन है वह विदेशी शक्ति प्रधान मंत्री ने यह तो कहा, कि अरब मुल्कों का इन दंगों में हाथ नहीं है लेकिन यह नहीं बताया कि किसका हाथ है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के दंगों के पीछे उन साम्राज्यवादी शक्तियों का हाथ है जो विकासशील देशों में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं अमेरिका हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है और यह उसकी घोषित विदेशी नीति है जो उनकी मंशा है विकासशील देश हैं और जो अपने देश का विकास करके आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं जब उनके यहां अस्थिरता होगी तो वह विकास नहीं कर सकते हैं। आज यह देश बहुत खुश होंगे कि हमारे यहां चीनी कम पैदा हुई जहां हम 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करते थे वहां आज 2 लाख टन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इस बात से साम्राज्यवादी शक्तियां बहुत खुश होंगी। यह शक्तियां हमारे देश को अपना बाजार कायम रखना चाहते हैं। वह साजिश करते हैं हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की। हमारे देश में ऐसे तत्व मौजूद हैं और वह सरकारी नौकरियों में ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, शिक्षा संस्थायें हैं साम्प्रदायिक दलों में और समय-समय जो अवतार होते रहते हैं हिन्दुस्तान में उनकी शक्ल में मौजूद है जो इन साम्राज्यवादी मुल्कों की साजिशों में अस्थिरता पैदा करने में मदद कर हैं। मान्यवर, 1977 के चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ सन् 80 के चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। साम्राज्यवादी शक्तियां यह समझ गई हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में बैलेंसिंग शक्ति कौन है। कोई भी शासक पार्टी को बैलेन्सिंग शक्ति के अन्दर शासन के खिलाफ आक्रोश पैदा करो जो सरकार में था देश में अस्थिरता पैदा होगी यह बैलेंसिंग वर्ग है हरिजन और मुसलमान। आज चाहे बेलची का कांड हो चाहे नारायणपुर का कांड हो चाहे कफलटा का कांड हो चाहे मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगा हो यह उन्हीं साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश का नतीजा है और असामाजिक तत्व उनकी साजिश में रहते हैं ताकि देश में शासन के खिलाफ असंतोष पैदा हो। आज जो महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है यह सब उन्हीं की मिली-जुली साजिश है। इसके पीछे बहुत गहरी राजनीतिक साजिश है। मेरा कहना है कि सी0 आई0 डी0, इन्टेलिजेंस को पता लगाकर स्पष्ट कहना चाहिये अरब हमारा दोस्त है कह दिया गया लेकिन दुश्मन कौन है इसके बारे में खामोश है। मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। मैं सुझाव के तौर पर एक दो बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर पी0ए0सी0 को रिआर्गनाइज करने की जरूरत है। प्रशासन पर पुलिस की कीनिंग की जरूरत है और उसमें जो साम्प्रदायिक तत्व हैं उनको निकालने की जरूरत है।

पता नहीं सरकार करना चाहती है या नहीं। समय-समय पर जो घोषणाएं होती हैं उनसे पता चलता है कि कुछ कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। 30 तारीख को मेरठ में एक मीटिंग में स्वराष्ट्र राज्यमंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना ने कहा कि सरकार नया सशस्त्र पुलिस दल गठित करने या राज्य की पी0ए0सी0 में अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यह 30 तारीख का बयान है जो 31 तारीख के 'आज' में निकला है। दूसरा है स्वराष्ट्र मंत्रालय का बयान जो 1-9-80 के 'आज' में छपा है—पुलिस में मुसलमानों और हरिजनों की भर्ती का निदेश। स्वराष्ट्र मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि पुलिस में मुसलमानों हरिजनों और आदिवासियों को अधिक संख्या में भरती किया जाय। इससे कुछ स्पष्ट नहीं है कि किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।

मेरा सुझाव है कि पी0ए0सी0 में मुसलमानों और हरिजनों को काफी तादाद में भर्ती कीजिये। श्री संजय सिंह ने एक बात कही मैं भी उसका हिमायती हूं कि पी0ए0सी0 की तरफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है लेकिन अगर यह कहा जायगा कि पूरी पुलिस नालायक है तो इससे पुलिस डिमारलाइज होगी। पुलिस में कुछ ईमानदार लोग भी हैं। उनकी संख्या हालांकि कम है। पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो शांति और व्यवस्था को मेनटेन्ड रखना चाहते हैं। पुलिस में धर्म निरपेक्ष लोग भी हैं। अगर उनको भी फिरका परस्त तत्वों की कतार में खड़ा कर दिया जायगा तो उनमें डिमारलाइजेशन होगा। इसलिये पूरे तौर पर इनकी स्क्रीनिंग की जाये। मुसलमान पढ़े-लिखे नवयुवकों में काफी असंतोष है। सरकारी नौकरियों में पुलिस में यह नौजवान तबका समझता है कि हमारे लिये कोई जगह नहीं है, उनकी चिन्ता को रोकने के लिये हमें कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। अन्त में चाहूंगा कि जो बातें मैंने कहीं उन पर ध्यान दें और जो लोग हताहत हुए हैं उन पर संवेदना व्यक्त करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि फिरकापरस्त तत्वों को दबाने में कम्युनिट पार्टी शासन को पूरी तरह से साथ देगी।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मुरादाबाद शहर में जो फसाद हुआ जो हंगामा हुआ उसकी चर्चा चल रही है। मैं अपने इस सदन को बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद शहर जो पीतल की सनद में मशहूर है,न केवल हिन्दुस्तान बल्कि पूरी दुनियां में मशहूर है। 30 सालों से आज तक फिरका-परस्ती के नाम पर वहां इलेक्शन लड़े जाते रहे लेकिन इस बार जब इलेक्शन लड़ा गया तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत हुई। इलेक्शन खतम नहीं होने पाया था कि शुरू में ही वहां इस तरह के झगड़े पैदा कर दिये कि वहां जिले के अफसरान को उसको रोकने के लिये कर्फ्यू लगाना पड़ा। उसके एक माह बाद षड़यन्त्र रचा गया जावेद के साथ। उसको कुछ लोगों ने मारा और उसके बाद थाने में ले गये और वहां पर उसकी मृत्यु हो गयी। उसके एक माह बाद रमजान शरीफ में एक बाल्मीकि की लड़की की शादी थी, उसकी बारात आ रही थी। अजान का वक्त होने की वजह से कुछ लोगों ने बाजा बजाने को मना किया। कुछ लोगों ने मना किया उसके बाद ईंट और पत्थर शुरू हो गये। इन्हीं सब फिजाओं को देखकर कम्युनल फिजा बना रहे हैं।उसके बाद ईद के मौके पर एक षड़यन्त्र रचा और एक सुअर को ढकेल दिया और जब कुछ मुसलमानों ने पुलिस वालों से कहा कि इसको रोका क्यों नहीं तो उन्होंने कुछ जवाब दिया और इस पर तकरार हो गयी।किसी ने एक ईंट फेंक दी पुलिस वालों पर और उस पर जो झगड़ा हुआ वह आज आपके सामने पेश हो गया है।आज यह कहने का मौका नहीं कि वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वह आज सब लोग जानते हैं। वहां पर किन लोगों की जानें गयीं, कितने बच्चे मासूम हो गये, कितने लोगों का खून बहा, और इस तरह के झगड़े हुए और कौमी गल शहीद पर आग लगाई।

[श्री हाफिज मुहम्मद सिद्दीक]

गलशहीद पर फायरिंग हुई। उसके बाद 2–4 पुलिसमैन मारे गये वहीं पर बहुत से लोगों को जलाकर फूंक दिया गया जोकि वहां पर निहत्थे खड़े हुए थे। पुलिस ने इस ऐब को छिपाने के लिये ही फिरका-परस्ती को मौका दिया कि किसी प्रकार से यह हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा हो जाये। 13 की रात को हमारी मुख्य मंत्री जी से टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 14 को पहुंच रहा हूं। श्री राम सिंह खन्ना और श्री अब्दुल रहमान साहब भी पहुंच गये। सेन्ट्रल के गृह मंत्री जैल सिंह साहब भी पहुंच गये। उन्होंने बात करके हिदायतें दीं। हमारे यहां के अफसरान को यह बात नागवार हुई कि यह हुक्मरान वहां कैसे पहुंच गये। दूसरे दिन और तबाही मचानी शुरू कर दी। मुरादाबाद सैकुलर जहन बन चुका था। कांग्रेस का अपोजीशन प्रारम्भ किया, उसका फायदा पूरा-पूरा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार से कि वह इस बात को देखे कि किसका हाथ था किसका नहीं था। दोषी जो हैं उसको सजा मिलनी चाहिये इनको हरगिज बख्शा नहीं जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, मुरादाबाद में जो लोमहर्षक घटना हुई है, जिस तरह से निहत्थे लोगों को मारा गया, वह बहुत ही निन्दनीय है। 50–60 हजार लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर थे, उन लोगों को सरकार को नियंत्रित करना चाहिये था। जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनमें कोई तकरार न होने पाये इसके लिए सरकार को रास्ता निकालना चाहिये था। इसके बजाय तनाव बढ़ाने की कोशिश की गयी। मैं यह स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि सुअर को शासन के लोगों ने निहत्थे लोगों को मारने के लिये अन्दर किया था।

(शोर)

13 तारीख को यह हुआ। नमाज पढ़ाने वाले पेशनबाब कहते हैं कि 160लाशें उठायी गयीं। अस्पताल के अन्दर 160 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि 130 लोग मरे। असत्य बयान किया। शासन ने संगठित रूप से कमजोर और दुर्बल लोगों को मुरादाबाद में मारने का काम किया है। प्रधान मंत्री कहती हैं कि ब्रोकेन मशीनरी मिली है उनको। इनकी मशीनरी ठीक नहीं हुई है। मैं नहीं समझ पाता कि किस वर्कशाप में मशीनरी ठीक कराने भेजी है इन्होंने। 9 महीने में तो नयी मशीनरी तैयार हो जाती है। (हंसी)। मान्यवर, इस पैटीकोट गवर्नमेंट ने अपनी मर्दा गी दिखाने के लिये हजारों लोगों को भून डाला। जैसा कि अभी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता कह रहे थे, पुलिस के लोगों ने, पी0 ए0 सी0 के लोगों ने मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। चुन-चुन कर इन्होंने मकानों को जलाया। पीतल का वहां बहुत ज्यादा काम होता है, पीतल को लूटा गया। मैं मान लेता हूं कि कुछ लोगों ने यह काम किया आप उनके सामानों को लूटें और शासन से जो आपको गिरफ्तारी करने का अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल करके आप डकैती डालने का पेशा करें। इसलिये हमको बुनियादी परिवर्तन करना होगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरह से शांति और व्यवस्था को सुधारा जाय।

मुरादाबाद सेंसिटिव जिला है। हमारे मुख्य मंत्री जी नये-नये हैं। सिर्फ दो लोग आप लोगों में पुराने हैं। मुरादाबाद ऐसा जिला है जहां पर 6 महीने के अन्दर 4–4 तबादले किये गये हैं। पहले प्यारे मोहन अग्रवाल जी थे, उनका स्थानान्तरण किया गया। 13 जुलाई को जिस दिन यह दंगा हुआ उसके 15 दिन पहले वहां पर एक दूसरे कलेक्टर को भेजा गया। वह बिल्कुल अनुभवहीन आदमी थे। हम लोगों ने 17 जिलों को चुना था। इन 17 जिलों में से ऐसे कलेक्टर भेजे जाने चाहिये जो अनुभवी हों और उत्तेजित न हों। लेकिन आप राजनीति से घिरे हैं और जब दंगे चल रहे थे तो आपने नये कलेक्टर मधुकर गुप्ता

को वहां भेज दिया। वह वहां की समस्याओं को नहीं समझते हैं, अनुभवहीन थे। वहां पर आपसे पहले आपके गृह मंत्री पहुंच गये। राज्य सरकार को जानकारी बाद में हुई। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, मुख्य मंत्री वहां पहुंचे।

आप लोगों ने कहा कि इस दंगे के अंदर विदेशी हथियार पाये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में यह हथियार पहुंचे कहां से। छापा मारा जाना चाहिये। अमेठी में, आपके यहां मांडा में, समथर में देखना चाहिये कि कितने विदेशी हथियार आपके महलों में हैं। आपने वह हथियार क्यों रखे हैं। होता क्या है कि जो लोग विदेशों को जाते हैं तो अपने साथ लाइसेंस भी लिये जाते हैं और वापस जब आते हैं तो पिस्तौल या ऐसी ही कोई चीज ले आते हैं। वह जायज तरीके से ड्यूटी देकर हथियार लाते हैं। हो सकता है कि रामपुर वगैरह के अन्दर कुछ हथियार बनाने के कारखाने हों, उनको आपको देखना चाहिये और ऐसे हथियारों को जब्त करना चाहिये। लेकिन आप पूरे देश की फिजा को खराब कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान और कभी अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान का तो इसी में हित है कि हिन्दुस्तान में दंगे होते रहें। जब हिन्दुस्तान में दंगे होते रहेंगे तो पाकिस्तान का वजूद बरकरार रहेगा। उसका वजूद इस बात पर निर्भर करता है कि यहां दंगे होते रहें ताकि वह अपने देश की जनता को डराने और धमकाने के लिये कह सकें कि देखो अगर हिन्दुस्तान एक ही होता तो जो हालत हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हो रही है वह तुम्हारी भी होती। वह इन दंगों को एक्सप्लायट करते हैं। माननीय सदस्य अमेठी अभी नये-नये आये हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर जनता पार्टी ने पाकिस्तानियों को आने दिया। हमने इसलिये उनको आने दिया था कि 30 साल का घाव भरे और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान में रिश्ते सुधरें। इसलिये हमने उनको यहां आने दिया था। अगर यह पाकिस्तान बना है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी के ऊपर है। आपके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान बनाया है। तो मान्यवर, आज क्या हालत है। आज देखना पड़ेगा कि कोई भी देश जहां ईमानदारी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर वोट लिये जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता बढ़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि देश के अन्दर पिछले 30 सालों में क्या हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालिफत की है, खान अब्दुल गफ्फार खां उनके, कोई वतन नहीं है और मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा बन गया, जोश मलिहाबादी के पास सिर छिपाने के लिये जगह पाकिस्तान में नहीं है। आपने मुस्लिम लीगियों को अपनी पार्टी में ले लिया। इसलिये यह सब हो रहा है। आपको इन सवालों पर गौर करेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यह कहना कि विदेशी ताकतों ने दंगा कराया, मुख्य मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कीजिये, आपके शासन ने, पी0ए0सी0 ने निहत्थे लोगों को मारने का काम किया है। आपने स्वीकार किया है इसलिये आप इस्तीफा दें, आपकी प्रधान मंत्री इस्तीफा दें जो हरिजनों के नाम पर मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईद के पवित्र त्योहार पर मुरादाबाद में और उसके बाद धीरे-धीरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो एक विनाश लीला हुई वह अत्यन्त शर्मनाक है और मैं समझता हूं कि हर राष्ट्र का नागरिक इन घटनाओं से चिन्तित है। लेकिन यदि तथ्यों को सही आधार पर नहीं सोचा गया तो सही निष्कर्ष भी निकालना संभव नहीं होगा। सदन के जजबात में आ कर सदन में मेजें आप थपथपाते रहें तो सही बात सामने नहीं आयेगी। आज हिन्दू और मुसलमान दोनों इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि साजिश होने के बाद भी उन्होंने उसको साम्प्रदायिक दंगे का रूप नहीं होने दिया। लेकिन मान्यवर, सब बातों के निचोड़ में मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी, एक पंक्ति में कही जाय तो, राज्य सरकार की है और जो भी खून खराब हुआ है उसके लिये पूरी-पूरी जिम्मेदारी इस प्रदेश शासन की है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, जैसे श्री मुह मद आजम और श्री भीखालालजी ने कहा तो उसमें कुछ मुद्दों पर विचार करना बहुत जरूरी है और क्या इस बात पर विचार करना जरूरी नहीं है कि जो तथ्य हमारे सामने आये हैं कि मासूम बच्चे ईद की नमाज में चले गये या ऐसे लोग चले गये या कुछ जानवर चले गये तो उसमें मैं नहीं जाता लेकिन यह बात सही है कि चारों तरफ आग लगी। सब होने के ब द यह बात विचार करनी पड़ेगी कि मुस्लिम ल ग के कैम्प में आग क्यों नहीं लगी। सुअर वहां पहुंचे कि नहीं यह विवाद की बात हो सकती है लेकिन समाचार पत्रों की कटिंग से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुअर वहां पहुंचे कैसे। चूंकि वहां पुलिस के लोग तैनात थे तो फिर यह बात क्यों हो गयी। लेकिन यह बात साफ है कि वहां पर तनाव था तो तनाव की जानकारी शासन को क्यों नहीं मिली। पूरे प्रदेश में यो जनाबद्ध तरीके पर हिंसक उपद्रव की बात है तो उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर क्यों नहीं दी गयी। समाचार-पत्रों में है कि यदि वहां शरारती तत्व थे तो उनको रोकने के प्रयास क्यों नहीं किये गये। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आग अभी वह बुझी नहीं है किन्तु समाचार-पत्रों में है कि मुरादाबाद और अमरोहा में जो हो रहा है वह हमारे सामने है। मुख्य मंत्री की बात में दम था कि उन्होंने कहा था कि दूसरी जुडिशियल इनक्वायरी बैठा रहे हैं। जिस दिन अलीगढ़ की जुडिशियल इन्क्वायरी वापस हुई मान्यवर,जुडिशियल इन्क्वायरी में कम से कम मेरी तो आस्था समाप्त हो गई है। मुझे याद है मुख्य मंत्री जी ने कहा था। मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था। उन्होंने कहा था कि न्याय मंदिरों में आस्था समाप्त हो जायगी तो देश का क्या होगा। अगर सत्तारूढ़ दल का मन चाहा परिणाम देने में माननीय न्यायाधीश सक्षम नहीं होंगे, सरकार न्यायिक जांच के आदेश वापस करा लेगी तो मान्यवर, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमें शक पैदा हो गया है। इस डिबेट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वह इस बात का वायदा कर दें कि जुडिशियल इन्क्वायरी जो मुरादाबाद के बारे में बैठाई गयी है वह किसी भी दशा में वापस नहीं ली जायगी, इसका कोई बहाना नहीं होगा।

एक बात और बता देना चाहता हूं। चारों तरफ समाचार-पत्रों में आ रहा है, मैं समय को देख हुए उद्धरण नहीं देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस (ई) के महामंत्री ने संकेत कर दिया है कि इसमें विदेशों की साजिश है। मान्यवर, साजिश है कि नहीं यह बात प्रतिपक्ष के लोग कह सकते हैं लेकिन अगर सरकार के लोग यह बात कहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह साफ बतायें कि किस देश का साजिश में हाथ था। यह जिम्मेदारी किस पर होगी। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार बताये कि दंगों के पीछे किस देश का हाथ है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। अरब देश हैं उनसे भी मित्रता की आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्र पर संकट पैद कर के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिये हम किसी देश से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखना चाहते। आप को साफ कहना चाहिए। चाहे कितना बड़ा देश क्यों न हो राष्ट्र के लिये संकट पैदा करने पर हम उसका डट कर सामना करने के लिये तैयार रहेंगे। आपको साफ कहना चाहिए। यह जिम्मेदारी शासन की है। शासन इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।

एक बात बड़ी खास अभी सदन में कही गयी। इधर के लोगों ने भी कहा और हमारे साथियों ने भी कहा। उन्होंने कहा कि पी0 ए0 सी0 का पुनर्गठन होना चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि उसमें अल्प-संख्यक भाईयों को और हरिजनों को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। यह बड़ी खतरनाक बात है। इसका तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सुन लीजिए। यह बात हमारे मन में कहां से आई। हमारे पास कोई सबूत है इस बात का कि वहां पर कोई मुसलमान है वह हिन्दू पर गोली चला देगा, हिन्दू है वह मुसलमान पर गोली चला देगा। केन्द्र सरकार ने परस्पर

विरोधी मत दिये हैं किया जायगा या नहीं किया जायगा। उत्तर प्रदेश में आदेश आ गये लेकिन छिपाया गया है। इस संबंध में एक उद्धरण देना चाहता हूं। 1971 में अलीगढ़ में दंगा हुआ था। जुडिशियल इनक्वायरी माथुर कमीशन को सौंपी गयी। क्या उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान में, किसी कमीशन ने फाइनडिंग दी है कि हिन्दू ने मुसलमान को मार दिया है, मुसलमान ने हिन्दू को मार दिया है। आप देखें। माथुर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, "श्री फजलुर रहमान, एडवोकेट, का सुझाव इस धारणा से प्रेरित जान पड़ता है कि हिन्दू अधिकारी साम्प्रदायिकतावादी होते हैं और वे मुसलमानों के साथ ज्यादती करेंगे। आयोग इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता और वह यह कहना अपना कर्तव्य समझता है कि अलीगढ़ के हिन्दू अधिकारियों ने वर्तमान दंगों के दौरान अपने आचरण द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि यह प्रारम्भ से अन्त तक निष्पक्ष रहे थे और इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने मुसलमानों की जान बचाने के लिए नियमित कार्य के दायरे से बाहर जाकर भी प्रयास किया।"

दूसरे स्थान पर लिखा है "मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती—दूसरा सुझाव श्री फजलुर रहमान द्वारा यह दिया गया है कि मुस्लिम अधिकारियों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाय जहां मुसमानों का बहुमत हो या वे एक बड़ी संख्या में वहां रहते हों।" आयोग के समझ में यह बात नहीं आई। मैं यह कह सकता हूं कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का कोई व्यक्ति हो, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। अगर इस अवधारणा पर पुलिस की भरती या तैनाती की गयी तो पुलिस डिमार-लाइज होगी। इस खतरे पर भी हमको सोचना होगा। झगड़ा हिन्दू मुसलमानों में नहीं होता। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो झगड़ा कराते हैं। मेरे पास कई जुडी-शियल इंक्वायरीज की समरीज हैं जिनमें यह दिया गया है कि न हिन्दू जिम्मेदार हैं न मुसलमान जिम्मेदार हैं, कुछ तत्व उनको गुमराह करते हैं।

अभी एक समाचार की खबर है कि मुसलिम को बचाने के लिए हिन्दू ने खून दिया। खबर इस प्रकार है "नगर के तनावपूर्ण माहौल में जहां कुछ शरारती तत्व दंगा करा कर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हिन्दू मुसलिम भाई चारे की एक मानवीय घटना प्रकाश में आई है। बिहारीपुर सब्जी मंडी में कल हुई चाकूबाजी की एक घटना में गम्भीर रूप से घायल मुस्लिम युवक अच्छन के आपरेशन के बाद उसे खून की आवश्यकता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री माथुर ने स्वयं अपना रक्त देकर हिन्दू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करते हुए मानवता का आदर्श प्रस्तुत किया।" इस तरह हिन्दू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो शरारती तत्व होते हैं" वे उनको गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। मुस्लिम भाई बड़े सेंसिटिव हैं। इस पृष्ठ भूमि में जैसा श्री मुख्तार अनीस कह रहे थे भारत के विभाजन की जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही है। गलत धर्मनिरपेक्ष की नीति, तुष्टीकरण की नीति का ही यह परिणाम है। मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्थाओं को इसने बढ़ावा दिया है जो साम्प्रदायिक जेहाद की बातें फैलाया करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि प्रशासन को पूर्ण जागरूक रहना चाहिये और हिन्दू मुसलमानों की शांति समितियां जगह जगह बनाई जायें और जो इस प्रकार के तत्व हैं जो हिन्दू मुसलमानों के भाई चारे को नष्ट करना चाहते हैं उनको दबाने के लिए सख्त और कठोर कार्यवाही की जाय।

श्री खैरुल बशर—

मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले बैठ जायं (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मेरा तो प्रस्ताव ही है। मुझे जवाब देने के लिये समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—
पहले आप लोग बैठें ।

श्री खैरुल बशर—
मुझे 5 मिनट का वक्त दिया जाय । मैं जरूर बोलूंगा ।

(श्री अकबर हुसैन तथा कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—
पहले आप बैठ जायं । (व्यवधान)

अब समय कम है क्योंकि अभी मुख्य मंत्री जी को बोलना है और श्री रियासत हुसैन जी का तो यह प्रस्ताव ही है । जब मुख्य मंत्री जी बोल लेंगे तो उसके बाद में उनको मौका मिलेगा (व्यवधान)

श्री मित्रसेन—
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप इस इश्यू पर समय बढ़ा दें और लोगों को बोलने का मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष—
आप कृपया बैठें ।

श्री खैरुल बशर—
मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलूंगा, आप अनुमति दें ।

श्री अकबर हुसैन—
मैं जनता (एस) की तरफ से बोलना चाहता था । मेरे दल की तरफ से प्रस्ताव आया था । मुझे बोलने नहीं दिया गया इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अकबर हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—
जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं ।

(एक साथ कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

आप लोग कृपया बैठें और शांति रखें ।

श्री खैरुल बशर—
मैं बैठ जाऊंगा लेकिन फिर खड़ा हो जाऊंगा इसलिये मैं बोलूंगा और मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—
आप सब बैठ जायं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—
मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—
आप कृपया बैठ जायं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस सदन का कोई सदस्य कहता है कि मैं बोलूंगा चाहे अध्यक्ष के आदेश न हों, तो मैं कहना चाहता हूं कि बिना आदेश के मैं एक सदस्य को भी बोलने नहीं दूंगा । दूसरी बात यह है कि किसी विषय पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना मेरे अधिकार में नहीं है (व्यवधान) । कृपया शांत रहें ।

अगर नेता विरोधी दल और नेता सदन ने अपनी रुचि व्यक्त की तब मैं चर्चा का समय बढ़ाऊंगा ।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे करीब 25 मिनट का समय लगेगा । उसी के अनुसार आप समय देने का निर्णय ले सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय . . . (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने आधे घंटे का प्रस्ताव रखा है और आप एक घंटा कह रहे हैं . . . (व्यवधान) (मुख्य मंत्री से) नेता विरोधी दल ने चर्चा आधे घंटे और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है आप भी इस बारे में अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

15 मिनट समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं 25 मिनट का समय बढ़ा देता हूं ।

अब मैं विरोध पक्ष की तरफ से एक सदस्य को बुलवाऊंगा । उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलेंगे और तदुपरान्त रियासत हुसैन जी उसका उत्तर देंगे ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

15 मिनट के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा है । इसलिये इतने समय में तीन आदमियों को बोलने का मौका दें . . . (व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं भी बोलना चाहता हूं, मैं एक नयी बात बताना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

डा० बृज किशोर मिश्र—

अगर इनको अवसर दिया तो मैं भी बोलूंगा, 20 बार खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए ।

श्री अकबर हुसैन—

मुझे भी अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप थे नहीं मैंने आपका नाम पुकारा । अब मैंने श्री अकबाल हुसैन को बुला लिया है ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मुरादाबाद में 13 ता० को ईद-उल-फितर के मौके पर जो घटना घटी वह हमारे प्रदेश में रहने वाले चाहे वह हिन्दू भाई हों या मुसलमान भाई या हरिजन भाई

[श्री अकबाल हुसैन]

इस प्रदेश और देश का नागरिक होने के नाते शर्मनाक विषय है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब तक दंगों की नवायत जो होती थी वह साम्प्रदायिक हुआ करती थी लेकिन मुख्य मंत्री जी के शासन काल में वह 13 ता0 को जो दंगा हुआ वह पहली बार इस प्रदेश में साम्प्रदायिक न होकर पुलिसजनों और अल्पसंख्यकों के बीच का दंगा हुआ जहां पर ईद के पवित्र मौके पर नमाज अदा करने के लिए आये थे । आपके शासन काल में यह पहला अलग नवायत का दंगा था । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह दंगा पुलिसजनों और नमाजियों के बीच हुआ जिसमें शासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब हुआ । मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह जरूर कहा है कि इस दंगे की नैतिक जिम्मेदारी उन पर आती है । मान्यवर, आपके द्वारा ही यह पुस्तिका बंटवायी गयी है 'नवभारत टाइम्स' इसमें कहा गया है । हमारे दल कांग्रेस अर्स को दिया है यह 18-8-80 का 'नवभारत टाइम्स' है ।

श्री अध्यक्ष—

समय का ध्यान रखें ।

श्री अकबाल हुसैन—

14 अगस्त को दोपहर बाद से पी0ए0सी0 ने गश्त लगाना बन्द कर दिया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि पी0ए0सी0 ने इस प्रदेश के शासन को खुली बगावत की है । आपको याद होगा मई, 1973 में जब पी0ए0सी0 ने बगावत की थी तो उस समय के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और नैतिकता को देखते हुए त्याग-पत्र दे दिया ।

श्री मोहन सिंह—

ऊपर से कहा गया ।

श्री अकबाल हुसैन—

जो भी था उन्होंने पूरी सरकार को भंग कर दिया । तो 13 ता0 को ईद-उल-फितर के पवित्र मौके पर निहत्थे नमाजियों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गयीं जिसमें मासूम बच्चे शहीद हो गये । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 13 ता0 को जब आप इलाहाबाद में अपने मुसलमान भाईयों से गले मिलने गये थे वहां का कार्यक्रम रद्द कर मुरादाबाद जाते । इलाहाबाद में कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई थी, उस कार्यक्रम को समाप्त करते और आपको मुरादाबाद में उन गरीब मुसलमानों के ऊपर उसमें चाहे हिन्दू हों या कोई हों उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसके लिये वहां जाना चाहिये था । उसको न करके जब मुरादाबाद जल रहा था, आप वहां मुसलमान भाइयों को बधाई देने गये थे...

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री सूझ-बूझ से काम लेते तो यह नौबत न आती । पेट्रो-डालर की जो बात कही गई है, उसके बारे में सफाई देते हुए माननीय भीखालाल ने सही ही कहा है यह दंगे उन्हीं नगरों में कराये जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक लोग सम्पन्न हों । हमको मालम हुआ है कि वहां के लोग काफी सम्पन्न हैं । मुरादाबाद में 70 करोड़ पये का फारेन एक्सचेंज हर वर्ष आता है और वहां एक गरीब मजदूर की प्रति दिन की आमदनी 30 से लेकर 50 रुपये तक की है । तो ऐसे सम्पन्न नगर में पेट्रो डालर की मदद से ऐसे दंगे कराने की बात करना बिलकुल गलत है । मुझे अपनी पार्टी कांग्रेस अर्स की तरफ

से वहां पर भेजा गया था, मैं डा० अग्रवाल से वहां मिला था, वह वहां पर नमाज के समय मौजूद थे। उनको उनके घर तक पहुंचाने वाला हाजी का लड़का था, उनकी पत्नी को अस्पताल तक पहुंचाने वाला भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय का एक लड़का था। माननीय अम्मार रिजवी साहब ने भी ठीक ही कहा है कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। तो जब यह नहीं है तो पुलिस और पी० ए० सी० ने वहां जो निहत्थे नमाजियों पर गोलियां चलाईं उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए, नैतिकता का तकाजा पूरा करते हुए अपने पद से इस्तीफा दें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें।

श्री खैरुल बशर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दीजिए (व्यवधान) मैं आपसे बार-बार नम्र निवेदन करता हूं..... (व्यवधान) मैं नेता विरोधी दल से भी कहना चाहता हूं कि वह व्यवस्थित रूप से जो सदन में कार्यवाही चल रही है, उसको वह चलाने में हमें सहयोग दें।

श्री खैरुल बशर—

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मेरे दल का कोई भी नहीं बोला है, मैं आपसे फिर फिर आग्रह करता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए।

श्री खैरुल बशर—

[×× ×× ××]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। यह सदन आप लोगों के सहयोग से बहुत सही ढंग से चल रहा है कृपया आप उसमें बाधा न पैदा करें। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी परीक्षा न लें और सदन की कार्यवाही ठीक से चलने दें। मैं सब नेताओं से चाहूंगा कि वह हमें सहयोग दें।

श्री खैरुल बशर—

[× × ×]

(व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे माननीय सदस्य गुस्से में ही चले गये, लेकिन मैं उनका गुस्सा अपने सर-आंखों पर रखता हूं। मैं आज इस सम्मानित सदन में सफाई देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं सजा मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। ईद की मुरादों की सुबह मुरादाबाद में मौत के मातम की शाम हो गई। एक ओर मासूम बच्चों की लाशें, दूसरी ओर पथराव से आहत मैजिस्ट्रेट डी० पी० सिंह की लाश

नोट —[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

एक ओर गोली के शिकार इंसान, दूसरी ओर गुलशहीद के थाने में पी० ए० सी० जवान का झुलसा हुआ कंकाल। मौत के इस गलियारे में गुनाह कहीं छिपा हुआ था कि इंसाफ ने क्षण भर आंखें बन्द कर लीं थी यह तो न्यायिक जांच बतायेगी, पर कीमत हम सब अदा कर रहे हैं। एक जख्म हर दिल में हो गया है।

सवाल केवल आंकड़ों का ही नहीं है दिल में सुलगती हुई आग का है जिसकी एक चिनगारी पूरे घर को जला सकती है। एक गमगीन दिल दुनियां की तमाम खुशियों से भारी होता है। दिल पर जो शिकन सी है, हिमालय का पहाड़ न हो जाय। इससे हमें होशियार रहना है।

इसमें रिपोर्टों की कागजी आड़ में नहीं छिपना चाहता हूं जिस वाकया की गवाह आसमान हो उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। उस सच्चाई तक पहुंचना अपना ईमान है। उसी ईमान को सामने रखकर इस घटना की खबर होते ही शासन ने न्यायिक जांच की घोषणा की। जिससे सच्चाई पर पर्दा न पड़ सके। हमारी पार्टी की घोषणा थी कि जहां भी दंगा हो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बदल दिया जायेगा। हमने उस वायदे पर तुरन्त अमल किया। यह बात भी सही है कि जिन परिवारों का कोई अजीज मर गया उनकी देखरेख के लिये कि राज्यकोष से जो राहत दी गयी वह ठीक ढंग से पहुंच गई कि नहीं, इलाज ठीक से चल रहा है कि नहीं एक गजटेड आफीसर श्री एम० ए० खान को तुरन्त नियुक्त किया। शासन ने यह भी जिम्मेदारी ली कि जिन घरों के लोग मरे उनके परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी में लिया जायेगा। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है मैं केवल इसलिये कह रहा हूं कि सरकार के हाथ में जो कुछ था उसको करने में एक मिनट भी वह नहीं हिचकी। हम जानते हैं कि जो खामियाजा हुआ इन्सान की जान गई, सरकारी अनुदान से पूरा नहीं किया जा सकता। इन्सान की जान सरकारी नोटों पर नहीं तोली जा सकती है।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि एक तरफ से एक वातावरण बना, कि हमारी इन्टैलीजेन्स ने काम नहीं किया लेकिन इस सदन के सामने इन्टैलीजेन्स की उस रिपोर्ट का हिस्सा जो उसने 12 तारीख को लिखी और वहां पर जिला प्रशासन और शासन को दी कुछ ही अंश पढ़कर सुनाता हूं। अन्य अंशों के लिये मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य दबाव न करें। वह इस प्रकार है—

"अकसर ईद तथा नमाज के समय बहुत से जानवर जैसे गाय, सांड़ तथा सुअर आदि भीड़ के बीच में आकर शांति तथा व्यवस्था का कारण पैदा कर सकते हैं जिसमें प्रबन्ध में अवांछनीय तौर पर कठिनाई उत्पन्न होती है जो आम लोगों की शिकायत का कारण बनती है" और गुल शईद का जिक्र किया गया। इन्टैलीजेन्स के बारे में जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा, वह भी सतर्क रही, वह अपनी आंख मूंदे नहीं रही और उन्होंने भी अपनी जो कार्यवाही की उसको भी मैं इस रिपोर्ट के एक अंश को पढ़कर बताना चाहता हूं—"उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 12-8-80 को सायं 6 बजे क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में ईद के अवसर पर पुलिस प्रबन्ध सम्बन्धी एक सभा की गयी जिसमें मेरे अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी प्रथम एवं द्वितीय (मैं नाम नहीं लेता) आदि उपस्थित थे। समस्त समस्याओं पर विचार किया गया और सांड़ वाली घटना को लेकर (ईद के नमाज के अवसर पर) जानवरों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने पर बल दिया गया था और यह भी कहा गया था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस ओर भली प्रकार सतर्क कर दें। समस्त थानाध्यक्षों द्वारा आश्वासन दिया गया था।"

मान्यवर, इसका मतलब है कि शासन ने तुरन्त आवश्यक कदम उठाया। इसका एक और सबूत है और वह यह कि पिछले साल ईद के अवसर पर दो कम्पनी से कम पुलिस तैनात की गयी थी। इस वर्ष 4 कम्पनी तैनात की गयीं। दंगे के आंकड़े भी मेरे पास हैं। पिछले

से काफी कम दंगे हुए, पर फिर भी काफी पुलिस लगायी गयी। इससे स्पष्ट है कि इन्तजाम करने में कोई कमी नहीं रखी गयी। एक बात स्पष्ट मैं और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि हमें अपने अभिसूचना विभाग को और सुदृढ़ करना है। जो भी इन्टेलीजेन्स में जाता है, एक दबाव पड़ता है कि उनको पुलिस में कर दिया जाये। इन्टेलीजेन्स का काम एक सम्पर्क का काम है। उसको यह खतरा भी बना रहता है कि सरकार के बदल पर उसकी सुरक्षा रह पायेगी या नहीं। तो इसको सुदृढ़ करने पर भी हम विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, पी0 डी0 ऐक्ट की बड़ी चर्चा की गयी। माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने उसकी चर्चा की। यही बात नहीं थी कि उसके बारे में केवल उन्हीं के मन में आशंकायें थीं, मेरे मन में भी आशंकायें थीं और इसी कारण उसका ड्राफ्ट मेरी मेज पर रात को 10 बजे तक पड़ा रहा। एक ओर नागरिक के स्वतन्त्रता में कटौती की सम्भावना, दूसरी ओर नागरिकों पर ही उठते हुए खंजर लिये हाथ को काटने की जिम्मेदारी, एक ओर विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, दूसरी ओर ज्वाला उगलने वाली जिह्वा, एक ओर समाज के अराजकतत्व, दूसरी ओर इन्हीं से पनाह मांगने वालों का समाज। और अन्त में मैंने फैसला किया कि हम लोगों से जो त्रस्त हैं, जो भयभीत हैं, जो जिन्दगी सकून की बिताना चाहता है, उसकी ओर से लड़ना होगा और जो तत्व इस प्रदेश और देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं उनका मुकाबिला करना होगा। मैं जानता हूं मान्यवर, हिन्दू नहीं लड़ना चाहता है, मैं जानता हूं मान्यवर मुसलमान नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन इन दोनों को लड़ाने वालों से हम लोगों को लड़ना होगा और उन लोगों का भी चेहरा हम लोग पहचानते हैं मान्यवर।

मेरी स्थिति की बात कही गयी और मैंने जिम्मेदारी कही कि मैं अपनी जिम्मेदारी नैतिक लेता हूं और इस माने में मैं अपने को इस सदन के हवाले करता हूं। मुझे कबूल है कि मेरे टुकड़े-टुकड़े हो जायं, लेकिन कौमी जिन्दगी के टुकड़े-टुकड़े हो जायं यह कबूल नहीं। इसी कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ, इसी भावना के साथ मान्यवर इस सदन में हम लोग देश की अक्षुणता की शपथ खाकर आये हैं और उस सौगंध पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हस्ताक्षर किये हैं। एक ओर हजारों जान चली जायं तब सख्ती से कदम उठाया जाय कि जान जाने से पहले ही कदम उठाकर हजारों जानें बचा ली जायं क्योंकि कमजोर हकूमत की कीमत जनता जान से देती है। मैं समझता हूं कि पी0 डी0 का अराजक तत्वों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके हौसले पस्त हुए किन्तु राजनैतिक लोग हिंसात्मक लक्ष्य रख दें। मैंने आश्वस्त किया था कि पी0 डी0 राजनैतिक लक्ष्यों के लिये नहीं उपयोग किया जायगा। लेकिन अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति ऐसा करते हैं, तो उनके लिये उपयोग करने में कोई हिचक नहीं है।

हमारे साथी जो उधर बैठे हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं इस बीच आप लोगों से सम्पर्क रहा। आप लोगों का सामूहिक बयान भी आया कि इस माने में एक जुट होकर जहां तक प्रेम-भाव और सौहार्द्र की बात है, अराजक तत्वों का मुकाबिला करेंगे। इस माने में मैं अपना आभार उनके प्रति इस सदन में प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि शासन और सत्ता हाथ बांध सकती है, दिल नहीं बांध सकती है। दिल बांधने का काम सबके सहयोग से ही हो सकता है। इसकी जो सीमायें हैं, उससे हम भलीभांति अवगत हैं। इसीलिये हमने सभी से अपील किया था कि इसमें हम लोग राष्ट्र को देखते हुए एक साथ रहें और उस माने में जो आप लोगों की अपील आई, उसके हम आभारी हैं। इसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस माने में कई जगह लखनऊ में देखा गया कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी बहुत ही समझदारी रही और बहुत ही उनका सहयोग रहा कि इस तरह की जो तनाव की स्थिति रही, उसमें बहुत समझदारी से काम लिया। अभी अमरोहा में 15 हजार का जुलूस निकला जिसमें हमारे 500 हिन्दू भाई शरीक

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हुए। साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी दोषी होगा, उसको दंडित करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि देश के हर सिपाही को और हर प्रशासन के व्यक्ति को हम अगर बुरा समझेंगे तो यह श्रृंखला जो हम बांध रहे हैं, वह नहीं बांध पायेंगे। लेकिन धीरे धीरे और एक साथ एक ही वक्त में और हर तरफ एक ही वातावरण बना, जिसे मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि इस संबंध में अपनी जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आप लोगों का सहयोग रहा उसके साथ ही प्रशासन ने भी जो भी काम किये और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा सत्ता का आधार तब तक संगठित नहीं हो सकता जब तक उसे हर वर्ग का विश्वास न प्राप्त हो और देश का प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस न करता हो। इसलिये हमारी सरकार का लक्ष्य यही रहा है कि हर वर्ग का विश्वास प्राप्त करे। मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा जो आज की नई चीज नहीं है। आज से 5 हजार वर्ष पूर्व एक ऋषी से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुवर हमारा देश कैसा है। ऋषि ने कहा—"नाना जाति, नाना वर्ण और नाना धर्म।" कि यहां कई प्रकार की जाति, कई प्रकार के वर्ण, कई प्रकार के धर्म तथा कई प्रकार की भाषायें बोलने वाले लोग हमारे देश में हैं। तब शिष्य ने पूछा गुरु से, अगर ऐसा है तो इसमें एकता कैसे आयेगी तो गुरु ने कहा कि एक चीज को मान लेने से एकता आ सकती है तब शिष्य ने पूछा कि कौन सी चीज एक मान लेने से एकता आ सकती है।

श्री मुख्तार अनीस—

इंदिरा गांधी को एक मान लेने से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

तो ऋषि ने कहा—"पुत्रों हम् पृथिव्यां" कि पुत्रों हम सब इस पृथ्वी के एक पुत्र हैं। इसी से संबंधित मोहम्मद साहब ने अपनी एक हदीस में साफ साफ कहा कि "हब्बुल वतन मिनल ईमान" वतन की मोहब्बत ईमान का एक जुज है। इसलिये आइये आज हम इस देश की माटी को माथे लगायें और संकल्प करें कि इस माटी में अपने भाई के खून की बू नहीं, बल्कि आपस की मोहब्बत की खुशबू आयेगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) माननीय रियासत हुसैन जी, आप अपनी बात को ज्यादा भूमिका के साथ न कहकर थोड़े समय में कह लेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं मान्यवर, अपनी बात को बहुत थोड़े समय में कहने की कोशिश करूंगा। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बातें अपने पूरे वक्तव्य में कहीं। एक तो यह कि वतन की मोहब्बत ईमान का एक जुज है और हम सब एक समान विश्वास पर खड़े होकर हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करेंगे। दूसरी यह कि हमारे टुकड़े-टुकड़े हो जायं, मंजूर है किन्तु कौमी जिन्दगी के टुकड़े-टुकड़े होना मंजूर नहीं। इसलिये मैं अपनी बात इन्हीं दोनों बातों पर कहूंगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेरे पास कुछ तथ्य हैं। एक-दो का हवाला मैं दूंगा। 14 तारीख की सुबह तक असगरी बेगम इस्लामनगर आबादी करूला पर साढ़े सात बजे सुबह पी0ए0सी0 के सात जवानों ने पहुंच कर 22 साल के एक लड़के, एक 14 साल के लड़के, एक दामाद और एक 11 साल की लड़की जो भइया-भइया कहती चली गयी, ले गये। उन चारों का कहीं पता नहीं है। कल भी एस0एस0पी0 को कहा गया है। पता नहीं उनको कहां मार कर फेंक दिया गया है। आपके द्वारा मैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह तथ्य दे रहा हूं। 27 तारीख की मीटिंग में मैंने कहा था और जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने 29 तारीख को किया था।

श्री राजेन्द्र सिंह—

उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मैंने मुख्य मंत्री जी से यह कहा था कि आप मेरे साथ चलें । मैं उन गड्ढों पर आपको खड़ा कर दूंगा जहां पर बिना पोस्ट मार्टम चार पांच ट्रक लाशें दफन कर दी गई हैं । यह हरतला ग्राम के पास है । यह सारी फोटो आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा ताकि सच्चाई तक पहुंचने में उनको मदद मिलेगी कि पोस्टमार्टम के बिना कितनी लाशें कहां कहां फेंक दी गयीं । श्री कुई फकीरपुरा में जो चार आदमियों के मारे जाने और लूट की घटना हुई है वहां एक तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहता है, गांव के एक तरफ पी0ए0सी0 की बैरक्स हैं । उन लोगों ने वह घटना की है और श्री कुई की मस्जिद को भी आर0पी0एफ0 और पी0ए0सी0 के लोगों ने डैमेज किया । इस मस्जिद की फोटो भी आपके पास सच्चाई तक पहुंचने के लिए भेज दूंगा । दो खाली कारतूस भी आपके पास भेज दूंगा जो तहसील स्कूल जिसका फासला ईदगाह से दो किलो मीटर है पर इस्तेमाल हुए हैं और बुद्धन को 11 बजे पी0ए0सी0 ने किस तरह से गोली मार कर खत्म किया । यह फोटो और है । साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि श्रीकुई फकीरपुरा में जो चार आदमी मारे गये और लूट हुई, वहां के इंस्पेक्टर ने जो मुसलमान नहीं है 88 आदमियों को 396 में मुकदमा कायम करके, मुलजिम बना कर भेजा । वह आदमी जेल में है । लेकिन उसको शासन ने यह इनाम दिया है कि उसका विजिलेंस में ट्रांस्फर कर दिया । सिविल लाइन के इंस्पेक्टर को सच्चा काम करने के लिए विजिलेंस में ट्रांस्फर पर भेज दिया गया । सच्चाई पर पहुंचने के लिए रिजवी साहब नोट कर लें । गलशहीद चौकी के पीछे हाजी अनवार साहब और उनके तीन जवान लड़कों को घर से निकाल कर, सड़क पर ला कर गोली मार दी और जेवर वगैरह लूट लिया जिसका हवाला श्री आजम ने भी दिया । उसी चौकी के सामने हाजी हमीद की बीबी को जिन्दा जलाया गया जिसका भी हवाला आजम साहब ने दिया है । यह सच्चाई पर पहुंचने के लिए मदद करने के लिए आप के पास भेज दूंगा । यह नक्शा भी भेज दूंगा ।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि चाहे मेरे टुकड़े हो जायं लेकिन वतन के टुकड़े न हों । यही माननीय सदस्यों की भी इच्छा होगी कि वतन के टुकड़े न हों । इस संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । आपको याद दिलाऊंगा थोड़ा सा पुराना इतिहास बहुत थोड़े से लफ्जों में । मौलाना आजाद ने कहा था 14-ए-ए मार्डन एप्रोच टू सिलम बाम्बे 1963 पेज 112–13 में "मैं मुस्लिम हूं जिसका मुझे फक्र है इस्लाम की 13 सौ साल की रवायात मेरी रूह में समाई है मेरी बाहरी जिन्दगी में इस्लाम कोई रुकावट नहीं डालता है बल्कि रास्ता दिखलाता है मुझे फक्र है कि मैं हिन्दुस्तानी हूं और मैं उसका एक जज हूं ।" सर सैय्यद साहब ने पंजाब में हिन्दुओं से रिताब करते हुए कहा 38 आई विड "तुमने हिन्दू लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया है यह दुरुस्त नहीं है मेरी राय में हिन्दू कोई खास मजहब के लिये नहीं है बल्कि हर हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू के लिए है । मुझे इसलिये अफसोस है हालांकि मैं हिन्दुस्तान में रहता हूं मगर आप मुझे हिन्दू नहीं मानते हैं ।" आगे जिन्ना साहब आल पार्टी रिशेपशन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से 23–24 मौलाना मोहम्मद अली जौहर सदारत जो ए0 आई0 सी0 सी0 के प्रेसीडेंट थे उस समय कहा था कि दुनिया में कोई ताकत रुकावट नहीं डाल सकती शोराज की मांग में बशर्ते हिन्दू मुस्लिम साफ दिल से मिल जायं । इसके आगे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 26–10–37 से 1–11–37 में यह कहा गया कि हर शहरी मजहबी की आजादी और जमीर की आजादी हो अपने मजहब को खर माततौसी कर सके । सन् 1937 से 39 में कांग्रेसी सरकार ने सबसे अहम काम फिरकेवाराना फसाद को

[श्री रियासत हुसैन]—
बचाना था ।उसके बाद 37 से 39 तक जो सरकारें कांग्रेस और कुलीशन की चल रही थी उस समय फजलेहक और नेहरू के बीच पत्र व्यवहार हुआ था जिसमें फजलेहक ने नवम्बर 1939 में मुसलमानों की तकलीफों को कांग्रेस के बोरेहुकूमत की हेडिंग से बिहार और सी0 पी0 की सरकारों में 42 नुकात की तरफ लिखा था । जिसमें नम्बर 3, 15, 16, 28 व 35 अहम है । उनमें प्रमुख यही है कि मंदिर या मस्जिद के सामने बाजा न बजाये जायें ऐसे जुलूस या रंग आदि का प्रयोग न किया जाय। रिजवी साहब, आप इस किताब को मंगा कर देख लीजियेगा कि इस वक्त इन 42 प्वाइंटों में से कितने पर आप अमल कर रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी, शेख अब्दुला ने जिस समय इंटर नेशनल कांफ्रेंस हो रही थी गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेज दिया और उस पर बैंड लगा दिया यह है सेकुलरिज्म, लेकिन 31 अगस्त को जब मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ था 25 सूत्रीय प्रोग्राम हिन्दू महा सभा का बांटा गया है।25 सूत्री प्रोग्राम आपकी कांग्रेस सरकार के माने या इनके माने। जो पुलिस की निगरानी में, पी0ए0सी0 की निगरानी में बंटे । यह भी मैं आपके पास भेज रहा हूं । आप ठंडे दिल से सोचें कि उस वक्त क्या मामला था जब देश के अन्दर लड़ाई चल रही थी डेवलपमेंट हुए । फजलुल हक ने 42 प्वाइंट लिख कर भेजे और देश के टुकड़े हो गये। आज हम उन पर कहां स्टैंड करते हैं । आज मंगा कर के देखिये । मुझे विश्वास है कि आप जैसा चीफ मिनिस्टर, अच्छे, ईमानदार, सब बातें है लेकिन आप जैसा ईमानदार, अच्छा, भला आदमी इस प्रदेश के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्ट शासन से मुकाबला कर सकेगा ? अगर आप कर लें तो इस प्रदेश का यह सौभाग्य होगा और अगर आप जैसा आदमी इनका मुकाबला न कर सके तो हमारी रिक्वेस्ट पर नहीं स्वयं हथियार डाल कर हट जायें ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रस्ताव आया था संशोधन का पहले उसको प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में शब्द 'गम्भीर चिन्ता' तथा शब्द व्यक्त करता है के बीच में शब्द"तथा शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना" बढ़ा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अब इस संशोधन के साथ रियासत साहब का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 13 अगस्त को ईद-उल-फितर की नमाज के समय मुरादाबाद में और उसके बाद उसी से संबंधित अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, सम्भल तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई हिन्सात्मक दुर्घटनाओं पर दुःख और गम्भीर चिन्ता तथा शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
4 सितम्बर, 1980 ।

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 419 पर)

संलग्नक "अ"

मांगपत्र तथा मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही

मांगपत्र	कार्यवाही
1—नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी, जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया जाय।	बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी अधिकारी के विरुद्ध निलंबन कार्यवाही का किया जाना असंभव है।
2—दिनांक 24–7–1980 को इन्क्रीचमेंट का नाटक किया गया स्वयं इन्क्रोच करा कर धन लिया गया तथा दिखावा किया गया।	अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य सही प्रकार से किया गया। स्वयं श्री हरप्रसाद (अनशनकारी) ने इस कार्य को सम्भ्रांत नागरिकों की बैठक में सराहा है। उन्हें आश्वसित कर दिया गया है कि विषम परिस्थितियों में अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चलाया जायगा।
3—सफाई व्यवस्था खराब है ठीक करायी जाय।	जहां तक नगर में सफाई कराने का प्रश्न है अतिवृष्टि के कारण अपेक्षित सफाई न हो सकी। इस विषय में स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं। अनशनकारियों को परगना मैजिस्ट्रेट ने स्वयं अपनी ओर से रुचि लेने का आश्वासन दिया है।
4—नक्शा भवन पास किये जायें रिश्वतखोरी बन्द की जावे।	भवनों के नक्शे पास करने के कार्य के सम्बन्ध में परगना मैजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि कार्य के सम्बन्ध में यदि कोई अनुचित रूप से धन न मांगता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक विभाग में सजगता लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।
5—नगरपालिका की नजूल भूमि, जो अनधिकृत बेची गयी है, जांच कर वापस ली जाय। पालिका उसका सही प्रबन्ध करे।	नजूल की जमीन बेचे जाने का आरोप असत्य है। नजूल की भूमि विधिवत् पट्टे पर दी गयी है। अनशनकारियों को बता दिया गया है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता हो तो प्रकाश में लायें।
6—नागरिकों पर वर्षों का गलत बकाया दिखाकर वारन्ट बनाय गये। वापस लेकर सही किये जायं।	नगरपालिका के अभिलेखों के रख-रखाव सही न होने के कारण कुछ मामलों में रिकवरी सर्टिफिकेट गलत जारी हुए हैं। अनशनकारियों को आश्वासन दे दिया गया है कि इस सम्बन्ध में अनुशासी अधिकारी

स्वयं रुचि लेंगे और गलत दिखायी गयी अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

7—जल व्यवस्था अत्यन्त क्षीण है। हैण्डपम्प जो लगवाये गये हैं बेकार हैं ठीक करवाये जायं ।

जल वितरण व्यवस्था क्षीण अवश्य है परन्तु ऐसी नहीं कि जल संकट हो गया हो । नगर में लगे हैण्डपाइपों को ठीक कराने के लिए जलकल अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है ।

8—पालिका स्टाफ कर्मचारियों द्वारा नागरिकों की बेइज्जती न की जाय ।

इसके पूर्व या अभी तक पालिका के कर्मचारियों द्वारा नागरिकों से अभद्रत करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । फिर भी सभी को शि टता बरतने के आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

परगना मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वयं अनशनकारियों ने अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध लाउडस्पीकर पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है ।

9—भूमिहीनों के प्रति पालिका ने शोषण किया है। इन्हें नियमानुसार आबंटित भूमि दी जाय ।

भूमिहीनों को भूमि देने के लिए पालिका पास कोई भूमि नहीं है ।

10—पालिका के अधिकारीगण, जो लखनऊ प्रतिदिन जाते हैं तथा खुले आम रिश्वत लेते हैं, के विरुद्ध जांच की जावे तथा दोषी व्यक्तियों को तुरन्त निलंबित किया जाये ।

अनशनकारियों को आश्वासन दे दिया गया है कि उनके द्वारा रिश्वत लेने वालों के नाम बताये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । परगना मैजिस्ट्रेगट ने स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है कि वे लखनऊ जानेपर अवकाश लेते हैं अथवा नहीं ।

11—वोटर लिस्ट में जिन्दा व्यक्ति मरे लिखे गये हैं और जिन्दा व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं। ठीक किये जायं ।

वोटर लिस्ट बनाने का कार्य निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि किसी मतदाता का नाम लिस्ट में अंकित होने से न रह जाय ।

12—सकल ला मोहल्ले की सड़क बनव ई जाय। 24-7-1980 को सकलाला में मकान पानी से भर गये थे उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी जबकि नाटक अवश्य किया गया ।

सड़क का निर्माण पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर सम्भव है । नगर में एक सकलाला मोहल्ले के जल-भराव का कारण खारजा नाला का अवरुद्ध हो जाना है। जिसकी सफाई व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है ।

मांग पत्र

13—नगर के नागरिकों की दवाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा धन दवाई हेतु कहां जाता है जांच की जाय।

14—बिजली के बल्ब नगर में क्यों नहीं लगाये जाते ? गलियों व सड़क पर अंधेरा व्याप्त रहता है। मिटटी के तेल की लालटेन बेकार हैं मिट्टी का तेल तनखाह पर खर्च किया जाता है।

15—कर्जा सरकार का क्यों नहीं दिया गय । वह कितना है ?

16—उच्च न्यायालय के आदेश को क्यों ठुकराया गया ? कुओं की सफाई नहीं की जाती और न दवाई पड़ती है।

कार्यवाही

नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां नागरिक दवा प्राप्त कर सकते हैं। इस केन्द्र को नगरपालिका द्वारा कोई धन नही दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से अनशन-कारियों को बता दिया गया है।

नगर में रोशनी की उचित व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इससे अनशनकारियों को अवगत करा दिया गया है।

राजकीय ऋण की अदायगी के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही ऋण की अदायगी की जायेगी।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वसूली की कार्यवाही रद्द की जानी थी परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं समाप्त की गई।

इस सम्बन्ध में आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करा दी गई है।

नगर के कुओं को ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित कराया गया है इस सम्बन्ध में जून के समय यह काय क्रम चलाया गया था।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सूची 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 427 पर)

परिशिष्ट संख्या I

विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन के ग्रामों की सूची जिनमें वर्ष 1980 में सूखे के कारण कुओं में पानी सूख गया था ।

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था	
			कुओं की संख्या जिनको साफ कराया गया	अन्य उपाय
1	2	3	4	5
1	महेवा	मुसमरिया	1	
2	"	नसीरपुर	1	
3	"	बैरई	1	
4	"	खैरई	2	
5	"	हरखपुर	1	
6	"	गुढगुवाँ	1	
7	"	मैनपुर मुस्तकिल	1	
8	"	महेवा	1	
9	"	नौराकलाँ	1	
10	"	अटराकलाँ	1	
11	"	हथनौरा	1	
12	"	श्यामतपुर	1	
13	"	कोडाकिरोही	1	
	"	दिवारा	1	
14	"	सतरहजू	1	
15	"	कुहकनू	1	
16	"	चुर्खी	1	
17	"	शेखपुर बुढा	1	
18	"	बिनौरा	1	
19	"	नूरपुर	1	
20	"	इमिलिया खुर्द	1	
21	"	सरैनी मुस्तकिल	1	अस्थायी पाइन लाइन भी बिछायी गयी ।
22	"	सरसैला	1	
23	"	हैदलपुर	1	
24	"	सोहरपुर मुस्तकिल	1	
25	"	ककहारन	1	
26	"	अभेदेपुर	—अस्थायी पाइप लाइन बिछाकर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
27	महेवा	रिनिया बेदेपुर	—	तदैव
28	"	ईगुई	—	तदैव
29	कदौरा	कानाखेड़ा	2	अस्थायी पाइप लाइन भी बिछायी गयी ।
30	"	सुरहती	2	"
31	"	जमराही	2	
32	"	सजेहरा	2	
33	"	जयरामपुर	1	
34	"	थमना	1	
35	"	नजीरपुर	2	अस्थायी पाइन लाइन भी बिछायी गयी ।
36	"	उकस्त्रा	2	तदैव
37	"	जकसिया	2	टैंकर द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया गया ।
38	"	रियाजनगर	2	"
39	"	मोधीपुर	2	"
40	"	मुमतजाबाद	1	अस्थायी पाइप लाइन भी बिछायी गयी ।
41	"	शहीदनगर	2	
42	"	रैली	1	
43	"	इकौना	1	
44	"	सुल्तानपुर कालपी	1	टैंकर द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया गया ।
45	"	शारदानगर	1	
46	"	अमरेही	1	टैंकर द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया गया ।
47	"	कुसमरा	2	
48	"	गुढगुवां	—	अस्थायी पाइप लाइन बिछाकर ।
49	"	अमेरवा	—	तदैव
50	"	पथरेहटा	—	तदैव
51	"	परासन	—	तदैव
52	"	पांडेपुर	—	तदैव
53	"	मझवार	—	बबीना-ग्राम समूहपेयजल योजना के अन्तर्गत स्थायी पाइप लाइन द्वारा ।
54	"	निस्वापुर	—	तदैव
55	"	अलीपुर	—	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्रामों में सूखा राहत कार्य हेतु अस्थाई पाइप लाइनों पर व्यय की सूचना

परिशिष्ट सं0 2

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	नलकूप की स्थिति एवं संख्या	अस्थायी पाइप लाइन बिछाने पर व्यय			पेयजल व्यवस्था की अवधि		कुल दिवस
				पाइप तथा स्पोल्प आदि की टूट-फूट आदि हेतु लागत		योग	कब से	कब तक	
1	2	3	4	5	5अ	5ब	6	7	8
1	महेवा	सरैनी मुस्तकिल	सिरहारा कासिमपुर/43 कालपी	रु0 5,094	रु0 12,900	रु0 17,994	3-5-80	11-7-80	70
2	"	अभदेपुर	अभेदेपुर/42कालपी	1,224	1,940	3,164	29-4-80	11-7-80	74
3	"	रिनिया वेदे पुर	रिनिया वेदे पुर/55कालपी	4212	10,560	14,772	23-5-80	11-7-80	50
4	"	ईगुई	ईगुई/5 कालपी	5,346	10,240	15,586	26-5-80	11-7-80	47
5	कदौरा	उकरुवा	खरेंटा/एच0जी070 जिला हमीरपुर	3,561	4,800	8,361	1-5-80	11-7-80	72

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	5अ	5ब	6	7	8
6	कदोरा	नजीरपुर	तदेव	2,900	5,600	8,500	1-5-80	11-7-80	72
7	,,	मुमतजाबाद	बबीना, ग्राम समूह पेयजल योजना की पाइप लाइन से	10,419	8,000	18,419	3-5-80	11-7-80	70
8	,,	काना खेड़ा	काना खेड़ा	5,000	20,200	25,200	3-5-80	11-7-80	70
9	,,	गुढ़गुवां	गुढ़गुवां 80 कालपी	2,374	18,400	20,774	9-5-80	11-7-80	64
10	,,	अभरुया	अभरुवां 34 कालपी	1,548	1,800	3,348	7-5-80	11-7-80	66
11	,,	पथरेहटा	काना खेड़ा	7,900	14,000	21,900	7-5-80	11-7-80	66
12	,,	परासन	परासन 84 कालपी	8,200	6,000	14,200	26-5-80	11-7-80	47
13	,,	पान्ड़ेपुर	आटा ग्राम समूह पेयजल योजना की पाइप लाइन	4089	3,200	7,289	11-5-80	11-7-80	31
			योग	61,867	1,17,640	1,79,507			

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 429 पर)

तालिका

जिला चिकित्सालय, एटा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कासगंज, जिला एटा में 1 जनवरी 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक बाह्य रोगियों की संख्या तथा उन पर हुए व्यय के विवरण

संस्था का नाम	दिनांक 1-1-79 से 31-12-79 तक			
	बाह्य रोगियों की संख्या	व्यय विवरण		
		औषधि	सर्जिकल	योग
		रुपयों में	रुपयों में	रुपयों में
1—जिला चिकित्सालय, एटा	88,810	67,500	16,000	83,500
2—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कासगंज, जिला एटा	36,634	18,150.17 पै0	4,556.35 पै0	22,706.52 पै0

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पी० पृष्ठ 158 पर)

तहसील सलेमपुर में स्थित सीमेंट लाइसेंसियों की सूची एवं त्रैमास जनवरी, मार्च, 1980 तथा त्रैमास अप्रैल-जून, 1980 में आवंटित सीमेंट की मात्रा

(मात्रा मी०टन में)

नाम सीमेंट लाइसेंसी तथा पता	त्रैमास-जनवरी मार्च, 1980	अप्रैल-जून 1980
1	2	3
1—मेसर्स विश्वनाथ प्रसाद श्याममनोहर, सलेमपुर	24	25
2— „ रुकमानन्द विनोद कुमार, सलेमपुर ..	36	25
3— „ पदम कुमार हरिशंकर, सलेमपुर ..	12	25
4— „ भारत सीमेंट स्टोर, सलेमपुर ..	48	50
5— „ महालक्ष्मी दाल मिल, सलेमपुर ..	24	25
6— „ गुप्ता चाफकटर, सलेमपुर ..	24	25
7— „ राधेश्याम राधाकृष्ण, लार ..	24	25
8— „ कौशल किशोर, लार ..	24	25
9— „ अब्दुलगनी खुर्शीद अनवर लारी, लार ..	24	25
10— „ इनामुलहक जियाउलहक, लार ..	24	25
11— „ रामगुलाम मिश्रा, लार रोड ..	36	25
12— „ कलीमुल्ला नईमुल्ला लारी, लार ..	24	25
13— „ एकबाल अहमद सिराज अहमद, भागलपुर ..	28	25
14— „ अछेबर पांडे, भागलपुर ..	28	25
15— „ जयसवाल ट्रेडर्स, भागलपुर ..	28	25
16— „ विजय चन्द शशिकांत, नकटा ..	28	25
17— „ जगतनरायन तिवारी, बनकटा ..	28	25
18— „ नन्द किशोर रघुबन्श प्रसाद, भाटपार ..	24	25
19— „ भाटपार सहकारी समिति, भाटपार ..	12	25
20— „ मदनलाल बनवारीलाल, भाटपार ..	12	25
21— „ मालवीय जनरल स्टोर, भाटपार ..	—	—
22— „ ज्वालाप्रसाद राजकुमार, भाटपार ..	—	—
23— „ प्रदीपकुमार वेदप्रकाश, भाटपार ..	24	50
24— „ हरीश चन्द सत्यप्रकाश, भाटपार ..	48	50
25— „ रामबृक्ष रामकुमार, भाटपार ..	12	25
26— „ इन्दरकुमार कोडिया, भाटपार ..	12	—
27— „ रामनाथ जयसवाल, भाटपार ..	—	—
28— „ शंकर प्रसाद, भटनी ..	12	25
29— „ रामनरेश मोहनलाल भटनी ..	28	25 (पचीस)
30— „ गनेश प्रसाद रामनरेश भटनी ..	24	25
31— „ बाबराम मोहनलाल भटनी ..	14	—
32— „ शंकर भडार, भटनी ..	12	—

1		2	3
33— ,, जवाहर प्रसाद, भटनी	..	12	25
34— ,, कुमार सीमेंट स्टोर, भटनी	..	—	—
35— ,, गुप्ता कृषि भंडार, भटनी	..	12	25
36— ,, शंकर प्रसाद गंगाराम, भटनी	..	12	—
37— ,, नाथूराम हरश चन्द, बरहज	..	36	50
38— ,, जगदीश प्रसाद गोपीकृष्ण, बरहज	..	36	—
39— ,, मदनलाल सीताराम, बरहज	..	24	25
40— ,, रामश्रौतार राम, शिवपूजनराम, बरहज	..	36	25
41— ,, मुन्नी लाल मोती लाल, बरहज	..	—	—
42— ,, पुन्नी लाल जयसवाल, बरहज	..	60	75
43— ,, घनश्यामदास कपिलदेव प्रसाद, मझौलीराज	..	48	50

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 478 पर)

संलग्नक—1

माह जून, जुलाई व अगस्त में वर्ष 1978 एवं 1980 में हुई वर्षा की तुलनात्मक तालिका

(मिली मीटर में)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	जून			जुलाई			अगस्त		
		मास की साधारण वर्षा	वास्तविक वर्षा 1978	वास्तविक वर्षा 1980	मास की साधारण वर्षा	वास्तविक वर्षा 1978	वास्तविक वर्षा 1980	मास की साधारण वर्षा	वास्तविक वर्षा 1978	वास्तविक वर्षा 1980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*मेरठ मंडल									
1	सहारनपुर	89.2	203.4	74.3	270.4	349.4	359.1	269.2	708.2	328.9
2	मुजफ्फरनगर	69.6	142.4	94.3	216.1	301.0	352.8	201.5	532.6	158.5
3	मेरठ	70.1	99.5	40.0	201.3	166.5	355.2	190.9	439.8	196.9
4	गाजियाबाद	70.0	70.8	81.6	196.7	226.9	251.1	196.7	398.9	178.3
5	बुलन्दशहर	69.3	157.9	73.1	192.1	341.6	275.2	191.1	423.7	203.5
6	बिजनौर	107.3	211.6	189.4	317.5	260.0	235.7	310.9	599.7	246.0
	आगरा मंडल									
7	अलीगढ़	64.8	135.0	80.0	190.2	246.6	338.8	193.6	350.3	145.1
8	मथुरा	41.9	79.7	97.7	175.3	250.1	292.7	185.0	274.5	200.4
9	आगरा	50.9	82.7	94.3	196.1	216.9	357.1	209.1	250.6	313.6
10	मैनपुरी	55.9	157.6	72.7	205.4	214.7	419.2	228.4	266.2	297.5
11	एटा	57.0	140.0	89.9	204.0	163.2	432.9	212.1	262.1	271.7

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
	रुहेलखंड मंडल									
12	बरेली	125.0	354.5	77.0	325.3	245.4	416.2	312.0	452.5	182.7
13	बदायूं	75.5	344.3	140.5	250.3	308.7	384.5	235.3	350.0	234.5
14	शाहजहांपुर	119.7	381.5	186.8	300.0	306.3	581.6	284.1	282.2	177.8
15	पीलीभीत	152.4	179.3	99.2	379.5	189.8	370.5	341.9	280.1	172.9
16	मुरादाबाद	102.5	240.4	146.6	274.5	323.6	287.0	271.6	461.9	111.6
17	रामपुर	110.0	434.7	111.2	350.9	413.5	363.3	400.0	647.9	264.3
	इलाहाबाद मंडल									
18	फर्रुखाबाद	65.2	231.8	77.1	237.0	204.7	433.0	242.1	375.7	368.3
19	इटावा	54.3	115.9	85.9	221.8	399.1	375.0	945.7	175.9	471.6
20	कानपुर	64.9	158.6	179.7	236.0	140.7	509.9	245.6	299.6	565.0
21	फतेहपुर	70.4	270.3	152.3	276.4	235.9	537.2	289.7	285.8	680.5
22	इलाहाबद	80.7	182.1	120.4	303.7	231.3	398.2	300.2	273.6	558.2
	झांसी मंडल									
23	बांदा	73.3	141.4	163.4	300.7	279.6	358.2	309.0	307.0	731.2
24	हमीरपुर	69.6	222.4	61.4	275.8	172.6	423.4	277.4	252.9	800.9
25	झांसी	73.3	152.6	139.9	296.4	229.4	225.5	279.6	328.0	632.6
26	ललितपुर	73.3	218.6	193.4	298.5	292.9	225.9	300.5	456.9	588.9
27	जालौन	64.5	103.1	106.3	241.4	222.7	390.6	259.5	258.1	773.2
	वाराणसी मंडल									
28	वाराणसी	87.6	165.3	101.0	307.3	236.6	402.5	326.3	298.0	209.3
29	मिर्जापुर	104.5	195.8	179.4	334.0	334.0	281.4	360.0	232.4	181.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	जौनपुर	87.3	112.5	180.4	296.8	301.8	551.8	296.5	357.7	284.7
31	गाजीपुर	119.6	212.7	56.8	292.2	316.2	426.2	314.1	312.4	362.3
32	बलिया	110.6	220.4	151.3	279.3	370.2	427.9	294.5	401.7	487.8
	गोरखपुर मंडल									
33	गोरखपुर	167.3	257.4	241.4	398.6	400.5	522.9	364.7	404.6	657.2
34	बस्ती	183.0	187.3	187.8	380.0	393.8	474.0	325.3	341.6	385.6
35	आजमगढ़	107.6	198.6	113.4	298.2	261.9	498.7	285.4	240.7	262.8
36	देवरिया	159.8	76.7	220.8	308.2	271.6	521.6	298.2	306.8	395.2
	कुमायूं मंडल									
37	नैनीताल	190.0	370.7	163.7	485.5	664.8	540.8	468.3	801.1	352.3
38	अल्मोड़ा	177.3	210.6	73.5	264.9	245.3	258.2	310.4	349.8	246.1*
39	पिथौरागढ़	246.9	375.6	220.0	487.3	511.9	424.7	478.9	521.5	220.6
	गढ़वाल मंडल									
40	चमोली	144.6	216.3	262.0	358.2	387.9	407.3	380.4	881.9	363.5
41	उत्तरकाशी	140.0	146.0	177.6	392.1	346.2	581.0	389.0	455.1	320.7
42	गढ़वाल	158.2	251.1	176.6	326.1	224.1	510.3	403.4	413.6	369.4
43	टिहरीगढ़वाल	107.0	203.2	57.4	446.6	303.0	506.2	500.5	568.5	436.2
44	देहरादून	380.8	319.1	153.0	655.6	602.8	464.7	506.6	903.0	528.5
	लखनऊ मंडल									
45	लखनऊ	86.8	55.0	134.7	295.4	256.8	705.9	271.8	271.0	558.2
46	उन्नाव	67.8	260.7	52.6	265.1	233.8	656.9	247.3	247.3	632.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	रायबरेली	80.5	90.7	172.6	291.3	133.4	649.8	277.3	386.6	562.8
48	सीतापुर	108.5	202.3	85.7	285.1	181.0	832.2	267.3	222.0	379.0
49	हरदोई	83.5	200.6	156.2	271.5	232.0	764.5	249.7	236.1	301.4
50	खीरी	139.5	183.6	121.9	297.5	469.6	464.5	289.7	294.2	254.3
	फैजाबाद मंडल									
51	फैजाबाद	106.5	185.4	82.0	306.1	351.6	541.1	282.0	252.8	436.6
52	गोण्डा	138.9	205.7	141.9	339.5	547.3	557.3	315.4	189.8	466.5
53	बहराइच	149.7	216.1	69.4	314.5	391.5	626.2	309.5	216.9	358.6
54	सुल्तानपुर	83.7	180.7	135.5	307.1	370.7	792.6	289.9	310.3	474.8
55	प्रतापगढ़	82.2	99.6	116.3	303.8	241.5	699.0	298.0	212.3	642.1
56	बाराबंकी	98.4	202.5	96.1	299.7	355.2	789.3	281.0	267.9	505.5

*सूचना अपूर्ण

अनंतिम विधान सभा

नत्थियां

संलग्न क–2

प्रदेश में बाढ़ तथा वर्षा से क्षति का विवरण 31–8–80 तक

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रभावित कृषिगत क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	11	2,300	630	230
2	मुजफ्फरनगर	110	24,618	20,045	14,489
3	मेरठ	15	5,173	1,831	..
4	गाजियाबाद	13	4,018	5,886	..
5	बिजनौर	11	386	708	289
6	मैनपुरी	847	..	69,273	69,273
7	एटा	7	132	44	44
8	बदायूं	162	66,563	49,000	6,635
9	शाहजहांपुर	110	53,600	6,635	2,615
10	पीलीभीत	61	13,028	..	..
11	मुरादाबाद	86	26,383	15,000	3,000
12	फर्रूखाबाद ..	202	1,12,700	18,515	16,795
13	इटावा	1,350	9,52 0 00	99,000	98,000
14	कानपुर	2,148	30,73,000	6,15,744	1,36,392
15	फतेहपुर ..	1,447	12,14,289	3,03,927	1,40,958
16	इलाहाबाद ..	2,869	13,00,089	1,21,051	1,21,051
17	बांदा	563	2,44,872	50,432	34,457
18	हमीरपुर ..	1,005	4,66,669	2,82,601	57,724
19	जालौन ..	703	3,98,031	3,857	3,857
20	वाराणसी ..	216	105 (परिवार)	8,000	..
21	मिर्जापुर ..	423	1,76,770	43,150	20,564
22	जौनपुर ..	953	6,39,900	46,013	36,575
23	गाजीपुर ..	426	2,01,190	36,649	19,477
24	बलिया ..	801	7,58,880	60,229	39,972
25	गोरखपुर ..	937	5,74,700	56,671	30,323
26	बस्ती ..	931	2,25,110	60,645	35,282
27	आजमगढ़ ..	287	1,50,250	30,451	16,582
26	देवरिया ..	1,772	9,36,069	1,30,544	1,00,234
29	नैनीताल ..	..	..	..	..
30	अल्मोड़ा ..	..	..	..	..
31	उत्तर काशी ..	2	..	..	..
32	गढ़वाल ..	7	47	4	4
33	टिहरी गढ़वाल ..	3	100	..	..

क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मानव क्षति	पशुक्षति	सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान (लाख रु0 में)	व्यक्तिगत सम्पत्ति का नुकसान (लाख रु0 में)	प्रभावित कृषिगत भूमि का मूल्यांकन (लाख रु0 में)	कुल क्षति (लाख रु0 में)
7	8	9	10	11	12	13
58	..	2	..	0.50	1.70	2.20
1,480	..	2	..	3.40	230.52	233.92
..	..	..	..	..	..	..
309	..	..	..	12.00	..	12.00
20	..	12	6.70	0.28	6.40	13.38
7,700	16	11	24.74	45.87	133.35	203.96
26	1	..	..	0.12	0.45	0.57
133	2	..	..	1.91	7.00	8.91
6,342	5	42	0.11	26.59	11.21	37.91
24	1	..	..	0.07	..	0.07
..	..	..	..	..	21.70	21.70
1,281	19	..	..	2.77	255.53	258.30
1,15,000	40	221	..	120.00	712.78	832.78
63,132	80	526	3.78	377.96	960.73	1342.47
78,530	32	445	..	65.02	384.00	449.02
33,642	24	335	0.95	292.00	600.00	892.95
13,849	14	30	1.46	250.32	120.03	371.81
28,640	7	219	4.11	311.65	440.84	756.60
19,287	..	16	0.32	180.12	30.52	210.96
..	..	..	..	..	334.29	334.29
..	..	..	..	..	..	..
7,830	15	13	0.29	57.47	393.26	451.02
85	..	..	..	2.09	34.54	38.63
1,877	22	..	..	22.63	168.15	190.78
2,898	5	2	..	54.63	60.55	115.18
65	20	2	..	1.15	21.00	22.15
43	1	..	..	0.43	24.39	24.82
4,611	16	6	13.09	23.23	211.03	247.35
..	12	..	..	..	..	..
..	4	..	..	..	..	..
13	24	..	5.00	3.00	..	8.00
20	1	60	40.26	0.28	0.08	40.62
22	7	..	..	1.25	..	1.25

1	2		3	4	5	6
34	देहरादून	..	6	3,276	75	75
35	लखनऊ	..	835	4,49,796	72,831	37,392
36	उन्नाव	..	1,799	12,42,299	3,20,235	1,40,311
37	रायबरेली	..	1,422	9,09,552	83,499	41,259
38	सीतापुर	..	1,901	14,85,580	2,06,933	1,57,782
39	हरदोई	..	905	5,46,340	1,81,550	66,717
40	खीरी	..	487	3,00,000	1,09,551	49,326
41	फैजाबाद	..	597	3,15,788	2,62,15	26,040
42	गोण्डा	..	451	3,10,615	1,18,831	77,342
43	बहराइच	..	358	86,564	16,456	8,670
44	सुल्तानपुर	..	1,537	9,14,639	2,52,414	1,10,751
45	प्रतापगढ़	..	380	86,355	28,660	11,600
46	बाराबंकी	..	997	7,19,800	1,20,918	74,632
	कुल योग	..	30,313	1,90,02,985	39,10,639	18,04,667

संसद पुस्तकालय

7	8	9	10	11	12	13
195	..	15	0.54	5.66	1.64	7.84
25,265	67	100	0.50	107.00	58.71	166.21
77,597	55	145	1.78	503.23	995.46	1500.47
43,017	54	122	37.39	85.99	101.60	224.98
90,960	47	236	..	488.27	521.61	1009.88
40,822	39	375	100.27	87.84	314.19	502.30
5,005	7	6	..	..	..	..
2,901	19	14	0.10	9.18	150.07	159.36
2,138	4	..	..	4.86	..	4.86
511	2	..	23.50	1.00	393	28.43
27,654	10	51	..	26.99	470.74	497.73
4,200	26	15	48.20	31.54	80.00	159.74
36,212	57	70	6.24	154.43	66.55	227.22
7,44,396	755	3,093	319.33	3362.74	7928.55	11610.62

विधान सभा उत्तर प्रदेश

दैवी आपदाओं के कारण 1–6–78 से 31–8–78 तक आवंटित धनराशि का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	निःशुल्क सहायता	गृह निर्माण अनुदान	विशेष सहायता	योग (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
	मेरठ मंडल				
1	सहारनपुर ..	1.50	..	..	1.50
2	मुजफ्फरनगर ..	0.55	1.00	..	1.55
3	मेरठ ..	0.45	3.00	0.10	3.55
4	गाजियाबाद ..	0.10	0.45	0.20	0.75
5	बुलन्दशहर ..	1.75	1.45	..	3.20
6	बिजनौर ..	0.75	0.74	0.01	1.50
	योग ..	5.10	6.64	0.31	12.05
	आगरा मंडल				
1	अलीगढ़ ..	1.50	1.50	..	3.00
2	मथुरा ..	0.40	0.40	1.40	2.30
3	आगरा ..	0.30	..	0.20	0.50
4	मैनपुरी ..	0.15	0.15	0.20	0.50
5	एटा ..	0.35	0.20	0.10	0.65
	योग ..	2.70	2.35	1.90	6.95
	रुहेलखंड मंडल				
1	बरेली ..	0.75	6.25	0.35	7.35
2	बदायूं ..	2.50	2.00	1.25	5.75
3	शाहजहांपुर ..	4.90	4.90	0.45	10.25
4	पीलीभीत ..	0.40	0.40	0.10	0.90
5	मुरादाबाद ..	1.30	1.10	0.65	3.05
6	रामपुर ..	2.25	1.25	0.25	3.75
	योग ..	12.10	15.90	3.05	31.05
	इलाहाबाद मंडल				
1	फर्रुखाबाद ..	6.00	12.00	2.27	20.27
2	इटावा ..	..	0.70	..	0.70

1	2	3	4	5	6
3	कानपुर ..	0.25	0.30	0.30	1.85
4	फतेहपुर ..	0.80	0.20	0.06	1.06
5	इलाहाबाद ..	0.30	0.20	0.91	1.41
	योग ..	7.35	13.40	3.54	24.29
	झांसी मंडल				
1	बांदा ..	0.70	1.45	0.88	3.03
2	हमीरपुर ..	..	..	..	..
3	झांसी ..	..	..	0.50	0.50
4	ललितपुर ..	..	0.10	..	0.10
5	जालौन ..	..	..	..	..
	योग ..	0.70	1.55	1.38	3.63
	वाराणसी मंडल				
1	वाराणसी ..	0.25	..	0.10	0.35
2	मिर्जापुर ..	..	..	1.16	1.16
3	जौनपुर ..	0.25	..	0.25	0.50
4	गाजीपुर ..	0.30	0.25	0.45	1.00
5	बलिया ..	6.75	4.75	5.20	16.70
	योग ..	7.55	5.00	7.16	19.71
	गोरखपुर मंडल				
1	गोरखपुर ..	1.65	0.10	3.50	5.25
2	बस्ती ..	13.25	8.25	12.60	34.10
3	आजमगढ़ ..	1.20	1.15	0.60	2.95
4	देवरिया ..	1.56	1.00	3.50	6.06
	योग ..	17.66	10.50	20.20	48.36
	कुमायूं मंडल				
1	नैनीताल ..	0.50	0.20	0.10	0.80
2	अल्मोड़ा ..	0.10	0.10	..	0.20
3	पिथौरागढ़ ..	0.10	0.25	..	0.35
	योग ..	0.70	0.55	0.10	1.35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5	6
	गढ़वाल मंडल					
1	चमोली	..	0.30	0.35	..	0.65
2	उत्तरकाशी	..	0.45	0.25	1.25	1.95
3	गढ़वाल	..	0.35	..	..	0.35
4	टेहरी गढ़वाल	..	0.25	0.25	..	0.50
5	देहरादून	..	1.00	1.00	..	2.00
	योग	..	2.35	1.85	1.25	5.45
	लखनऊ मंडल					
1	लखनऊ	..	0.25	0.15	0.10	0.50
2	उन्नाव	..	2.75	5.65	1.27	9.67
3	रायबरेली	..	0.20	0.50	0.10	0.80
4	सीतापुर	..	1.45	0.25	0.22	1.92
5	हरदोई	..	0.50	0.25	1.60	2.35
6	खीरी	..	1.90	1.20	5.05	8.15
	योग	..	7.05	8.00	8.34	23.39
	फैजाबाद मंडल					
1	फैजाबाद	..	1.05	0.25	0.40	1.70
2	गोंडा	..	16.65	8.00	3.50	28.15
3	बहराइच	..	3.10	5.00	1.09	9.19
4	प्रतापगढ़	..	0.10	0.05	0.25	0.40
5	बाराबंकी	..	1.02	0.20	0.65	1.87
	योग	..	22.22	13.80	6.09	42.11
	कुल योग	..	85.48	79.54	53.32	218.34
	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0		..	..	30.00	30.00
	कुल योग	..	85.48	79.54	83.32	248.34

सत्यमेव जयते

दैवी आपदाओं के कारण आवंटन

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	1-6-80 से 31-8-80 तक				1-4-80 से 31-8-80 तक आपदा तकावी का आवंटन
	नि: शुल्क सहायता	गृह निर्माण अनुदान	विशेष सहायता	योग	
1	2	3	4	5	6
1—मेरठ मंडल					
1—सहारनपुर	0.60	0.60	..	1.20	0.90
2—मुजफ्फरनगर	2.00	4.00	1.00	7.00	3.50
3—बिजनौर	1.00	1.00	0.50	2.50	10.50
4—गाजियाबाद	0.20	..	..	0.20	1.80
5—बुलन्दशहर	1.00	2.00	0.30	3.30	3.60
6—मेरठ	..	..	..	..	2.80
योग ..	4.80	7.60	1.80	14.20	22.80
2—आगरा मंडल					
1—अलीगढ़	1.00	1.00	0.70	2.70	6.25
2—एटा	..	..	..	..	1.10
3—मथुरा	1.00	1.00	1.00	3.00	2.50
4—मैनपुरी	4.50	7.00	1.00	12.50	13.60
5—आगरा	..	..	..	..	12.00
योग ..	6.50	9.00	2.70	18.20	35.45
3—रुहेलखंड मंडल					
1—बरेली	1.75	1.00	0.53	3.28	0.50
2—बदायूं	2.00	2.00	1.00	5.00	1.60
3—शाहजहांपुर	2.00	1.00	0.50	3.50	2.15
4—मुरादाबाद	1.00	0.50	0.50	2.00	2.60
5—पीलीभीत	1.00	0.50	0.75	2.25	3.60
6—रामपुर	1.00	..	0.50	1.50	1.90
योग ..	8.75	5.00	3.78	17.53	12.35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
4—इलाहाबाद मंडल					
1—फर्रुखाबाद	4.00	2.00	1.00	7.00	3.90
2—इटावा	20.00	30.50	..	50.50	34.60
3—कानपुर	16.35	37.50	4.60	58.45	9.50
4—फतेहपुर	10.00	13.00	4.50	27.50	0.10
5—इलाहाबाद	21.00	18.00	13.30	52.30	25.50
योग ..	71.35	101.00	23.40	195.75	78.60
5—झांसी मंडल					
1—बांदा	10.00	10.00	7.15	27.15	20.00
2—झांसी	1.00	1.00	0.50	2.50	7.80
3—ललितपुर	0.50	0.50	1.50	2.50	0.50
4—हमीरपुर	8.00	10.00	3.00	19.00	5.00
5—जालौन	4.00	7.00	1.00	12.00	5.50
6—आयुक्त, झांसी मंडल	..	..	13.52	13.52	..
योग ..	21.50	28.50	26.67	76.67	46.80
6—वाराणसी मंडल					
1—वाराणसी	1.00	1.00	1.00	3.00	12.50
2—मिर्जापुर	3.00	3.00	2.25	10.25	16.00
3—जौनपुर	23.00	12.00	19.00	73.00	10.50
4—गाजीपुर	24.00	3.00	2.00	8.00	10.50
5—बलिया	24.00	11.00	16.00	51.00	12.50
योग ..	75.00	30.00	40.25	145.25	62.00
7—गोरखपुर मंडल					
1—गोरखपुर	16.00	6.00	16.50	38.50	6.95
2—बस्ती	5.00	7.00	3.00	15.00	10.00
3—आजमगढ़	6.00	3.00	3.00	12.00	6.50
4—देवरिया	18.00	5.00	5.00	28.00	0.50
योग ..	45.00	21.00	27.50	93.50	23.95

1	2	3	4	5	6
8—कुमायूं मंडल					
1—नैनीताल	..	0.20	..	0.20	0.50
2—अल्मोड़ा	0.87	..	1.00	1.87	0.50
3—पिथौरागढ़	2.00	12.00	1.00	15.00	1.00
योग	2.87	12.20	2.00	17.07	2.00
9—गढ़वाल मंडल					
1—चमोली	0.60	1.80	..	2.40	2.00
2—उत्तरकाशी	5.00	5.00	5.00	15.00	1.50
3—पौड़ी-गढ़वाल	0.67	0.65	..	1.32	0.85
4—देहरादून	0.40	0.20	0.10	0.70	0.50
5—टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	1.75
योग ..	6.67	7.65	5.10	19.42	6.60
10—लखनऊ मंडल					
1—लखनऊ	11.50	23.50	5.50	40.50	10.65
2—उन्नाव	9.12	15.00	1.15	25.27	4.65
3—रायबरेली	24.00	14.00	3.50	41.50	7.70
4—सीतापुर	18.00	25.00	8.25	51.25	27.95
5—हरदोई	25.20	30.20	2.00	57.40	30.50
6—खीरी ..	7.00	6.00	3.00	16.00	4.60
योग ..	94.82	113.70	23.40	231.92	86.05
11—फैजाबाद मंडल					
1—फैजाबाद	7.00	7.00	4.00	18.00	11.20
2—गोंडा	15.00	7.00	5.00	27.00	6.70
3—बहराइच	9.00	4.25	3.90	17.15	1.65
4—सुल्तानपुर	10.00	13.00	5.50	29.50	4.90
5—प्रतापगढ़	13.70	7.00	3.50	24.20	10.50
6—बाराबंकी	5.00	8.00	4.00	17.00	1.70
योग ..	59.70	46.25	25.90	131.85	36.65

1	2	3	4	5	6
जिलों को 1-6-80 से 31-8-80 तक आवंटित धनराशि ..	396.96	381.90	182.50	961.36	
जिलों को 31-5-80 तक आवंटित धनराशि ..	148.80	66.25	102.70	317.75	
योग, जिलों का	545.76	448.15	285.20	1,279.11	
विभागों को 31-8-80 तक आवंटित धनराशि ..	57.87	..	143.11	200.98	
कुल योग ..	603.63	448.15	428.31	1,480.09	
1-4-80 से 31-8-80 तक जिलों का आपदा की मद में आवंटित धनराशि					413.35

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 158 विधान सभा--15-12-80-(2954)-1980-845 (प्रो0)।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश